

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

संपादकीय		2
अनुचिंतन		4
साक्षात्कार		6
लेख		
◆ वित्तीय शिक्षण	डा. रमाकांत शर्मा	10
◆ लघु ऋण- गरीबों की जीवन रेखा	अंशुप्रिया अग्रवाल	19
◆ बैंकों में तकनीकी विकास और कर्मचारी प्रशिक्षण	विद्याभूषण मल्होत्रा	24
इधर-उधर से		
◆ धन-शोधन (मनी लॉन्डिंग) एवं इसे रोकने के उपाय	सरजू शरण	31
◆ बैंकों में लाभप्रदता आयोजना	राजेन्द्र सिंह	36
परिक्रमा		
◆ रिवर्स मोरगेज योजना - बुजुर्गों का सहारा	ओम प्रकाश अग्रवाल	45
पुस्तक निबंध		
◆ पुस्तक समीक्षा	हरमीत सिंह जस्सल	48
◆ बैंकिंग		56
लेखकों से/ पाठकों से		59
		60

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें

- 'जोखिम प्रबंधन - एक विवेचन'***
- 'बैंकों में लाभप्रदता'*
- 'बैंकों में कार्पोरेट गवर्नेंस'**
- 'स्टेल बैंकिंग और मार्केटिंग' ***
- 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली' ***

- * संस्कार साहित्य माला 7, कृष्णा विहार, टाटा कम्पाऊंड, इला ब्रिज, एस. वी. रोड, अंधेरी (प.), मुंबई -400 058 के पास बिक्री हेतु उपलब्ध
- ** निदेशक रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन (बिक्री अनुभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारिबैंक, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001 के पास बिक्री हेतु उपलब्ध
- *** आधार प्रकाशन प्रा. लि. एस. सी एफ. 267, सेक्टर 16, पंचकूला, 134 113 (हरियाणा) के पास बिक्री हेतु उपलब्ध

इस अंक के प्रकाशन में राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री महेंद्रपाल शर्मा एवं प्रबंधक (राजभाषा) श्री के. पी. तिवारी का सहयोग प्राप्त हुआ।

बैंकिंग चिंतन
अनुचिंतन

पते में परिवर्तन

कार्यकारी संपादक
बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन
भारतीय रिजर्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई - 400 018.



संपादक - मंडल

प्रबंध संपादक

श्रीमती पी. कुमार

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

डॉ. शरद कुमार

निदेशक, सांख्यिकी और प्रबंध सूचना
विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

सुश्री रूपम मिश्र

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

डॉ. रमाकान्त शर्मा

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

सूरज प्रकाश

सहायक महाप्रबंधक, (राजभाषा)
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

संदर्भ

प्रभुता व्यास

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, मुंबई

डॉ. सुरेश कुमार

उप महाप्रबंधक (राजभाषा), भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई

डॉ. दामोदर खडसे

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे

डॉ. गणेश कुमार

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
इलाहाबाद बैंक, कोलकाता



वार्यवकाशी संपादक

पुष्प कुमार शर्मा

उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

संदर्भ-स्थाचिव

के. सी. मालपानी

सहायक प्रबंधक, (राजभाषा)

भारतीय रिजर्व बैंक

राजभाषा विभाग

केंद्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस,
वर्ली, मुंबई - 400 018.

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक उन विचारों से सहमत हों। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिजर्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

श्रीमती पी. कुमार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, राजभाषा विभाग, गारमेंट हाउस, वर्ली, मुंबई -400 018 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा
मयूर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मुंबई - 400 001 में मुद्रित।

इंटरनेट <http://www.rbi.org.in/hindi> पर भी उपलब्ध।

E mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन : 24982076 फैक्स नं. - 24982077

मुख्यपृष्ठ : सुधाकर वरवडेकर

संपादकीय

प्रिय पाठको

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्।
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति॥

-चाणक्य नीति- 10.9

चिन्तन

चाणक्य नीति की ये पंक्तियां हमें यह बताती हैं कि यदि व्यक्ति में स्वयं की प्रज्ञा अर्थात् बुद्धि जिसे अंग्रेजी में हम इन्टेलिजेन्स कहते हैं, है तो शास्त्र, उसके लिये ज्ञान का भंडार खोल देंगे अन्यथा शास्त्रों का ज्ञान नेत्र विहीन व्यक्ति को दर्पण देने के समान रह जाएगा। हम वास्तव में शिक्षा, प्रज्ञा और ज्ञान इन्हें सामान्यतः अलग-अलग रूप में नहीं समझ पाते। हम शिक्षा को ज्ञान कह देते हैं जबकि ज्ञान तब आता है जब प्रज्ञा के साथ-साथ शिक्षा भी हो।

प्रश्न उठता है कि शिक्षा क्या है- व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन ही शिक्षा है जो हमें विभिन्न स्तरों पर गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। गुरु, माता-पिता से लेकर हमारे अनुभव हो सकते हैं, हमारे शिक्षक हो सकते हैं, हमारे साथी हो सकते हैं, हमारा वातावरण हो सकता है, हमारे आस-पास की हर एक गतिविधि, हर एक व्यक्ति, हर एक कागज की हर एक पंक्ति, हर एक दृष्टिकोण, हर एक पहल, हर एक निर्वाह, हर एक कार्य हो सकता है बशर्ते हमारी प्रज्ञा उन्हें अपने भीतर सोखने में सक्षम हो। यहीं से ज्ञान की पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है। ज्ञान बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर मनुष्य को परिमार्जित करता है, उसका निरंतर विकास करता है, क्योंकि ज्ञान भी निरंतर चलनेवाली अनूठी प्रक्रिया है। दूसरी तरफ, हमारी प्रज्ञा हमारा जन्मजात संस्कार है, कर्मवादी इसे कर्मफल कहते हैं, भौतिकवादी इसे वैज्ञानिक कसौटी पर डीएनए का प्रतिफल कहते हैं, रहस्यवादी इसे अलौकिक शक्तियों का वरदान कहते हैं। प्रज्ञा हमारा आईक्यू है, प्रज्ञा हमारे भीतर शिक्षा को ग्रहण करने का साधन है, प्रज्ञा स्वयं को समझने और उसे व्यक्त करने का माध्यम है, प्रज्ञा हमारी शक्ति है जिसमें शिक्षा का पुट मिलाकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनुष्य की प्रज्ञा की डिग्री पर ही मनुष्य के ज्ञान की डिग्री निर्धारित की जा सकती है।

बैंकिंग जगत में भी जो बैंकर जुड़ता है वह अपनी प्रज्ञा के साथ बैंकिंग की

व्यावहारिक शिक्षा को जोड़ता है, उसे अनुभवों से परिमार्जित करता है और उसे अपनी सेवाओं में ढालता है। वित्तीय समावेशन का मिशन वित्तीय शिक्षण के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, अतः बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय शिक्षण का महत्व बढ़ गया और सभी बैंकर इस महायज्ञ में अपनी-अपनी ओर से आहुति देने के लिए तत्पर हो गये। मानवीय स्वभाव है कि 'वित्त संबंधी' प्रज्ञा मनुष्य में जन्मजात -सी होती है क्योंकि वह धन का महत्व अपने आप समझने लगता है। अतः इस प्रज्ञा को वित्तीय शिक्षण के माध्यम से जोड़कर हम व्यक्ति विकास, परिवार विकास, समाज विकास, क्षेत्र विकास और देश विकास के दीप का प्रज्वलन कर सकते हैं क्योंकि वित्तीय ज्ञान की लौ न केवल जीवन में प्रकाश लाती है बल्कि हमें सक्रिय भी बनाती है और यह सनातन सत्य है कि सक्रियता अपने आप में सफलता की गारंटी होती है।

अनुचिंतन

ज्ञान के इस परिप्रेक्ष्य में, रिजर्व बैंक वित्तीय शिक्षण के माध्यम में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बैंक ने इस पुनीत कार्य के लिये समर्पित अपनी वेबसाइट को हिंदी सहित तेरह भाषाओं में तैयार किया है ताकि वित्तीय शिक्षा की गंगा देश के कोने-कोने में अपना ज्ञान पहुंचा सके। रिजर्व बैंक के प्रयासों की एक लम्बी कड़ी है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। अपितु, इस अंक में हमने एक विस्तृत लेख वित्तीय शिक्षण पर विशेष रूप से शामिल किया है जो हमारे प्रयासों का संकेत देता है। साक्षात्कार में आपकी मुलाकात होगी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री एस. ए. भट से और परिक्रमा आपको उन्हीं के महाविद्यालय का परिचय देगी।

उम्मीद है यह अंक भी आपको पहले की तरह प्रेरित करेगा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें नई दिशाएं देंगी।

अंतिम, परंतु महत्वपूर्ण बात, पत्रिका ने अपना संपादकीय पता बदला है, स्वरूप और विषय वस्तु नहीं। कृपया हमारा नया पता नोट कर लें क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं की हमें प्रतीक्षा रहती है। अस्तु,

सादर

पी. कुमार

(श्रीमती पी. कुमार)

अनुचिंतन



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का जनवरी - मार्च 2008 अंक देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। इसमें बैंकिंग के बदलते परिवेश में ग्राहक सेवा के महत्वपूर्ण तत्व तथा उत्तम ग्राहक सेवा के उपाय एवं बेहतर ग्राहक सेवा के तकनीकी माध्यम अत्यन्त ही लाभकारी सिद्ध हुए हैं। इसमें युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री पी. के. गुप्ता से साक्षात्कार एक कवि और चेयरमैन के रूप में एक उत्तम व्यक्तित्व का अनुभव प्राप्त हुआ है। सुश्री अंशुप्रिया अग्रवाल द्वारा लिखित 'उत्कृष्ट ग्राहक सेवा लाभप्रदता की दिशा में सार्थक कदम' के अंतर्गत वर्तमान युग में आधुनिक तकनीकी एवं ग्राहकों की आकांक्षाये बहुत अधिक है। निजी एवं विदेशी बैंकों के प्रवेश ने प्रतिस्पर्धा को कठिन बनाया है। वहीं उच्च स्तर ग्राहक सेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गयी है। पत्रिका की सामग्री ज्ञानवर्धक एवं प्रशंसनीय होने के साथ ही अनुकरण योग्य भी है।

○ प्रबल कुमार गुप्ता
ए. वी. रोड, इन्दौर

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन की प्रतियां नियमित रूप से प्राप्त हो रही हैं। धन्यवाद। पत्रिका में बैंकिंग विषयों पर हिन्दी के मौलिक लेख पठनीय, सामयिक और आकर्षक हैं। यह एक कड़वा सत्य है कि पहले कुछ समय से बैंकिंग क्षेत्र के परिचालनों और कार्यप्रणाली में तथा विशेष रूप से लाभप्रदता पर विशेष जोर दिए जाने के कारण बैंकों में हिन्दी के प्रयोग को कुछ धक्का लगा है। परन्तु आपकी पत्रिका ने आशा की किरण जगाकर रखी है। आपकी पत्रिका बैंकिंग क्षेत्र की राजभाषा पत्रिकाओं के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य कर सकती है।

○ दर्शन सिंह जग्गी
पूर्व निदेशक (रा. भा.)
बैंकिंग विभाग एवं सदस्य हिन्दी सलाहकार समिति
वित्त मंत्रालय

पत्रिका की विषयवस्तु उच्च कोटि की है। इसमें समाविष्ट किए गए सभी विषयों यथा 'भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड', 'उत्कृष्ट ग्राहक सेवा- लाभप्रदता की दिशा में सार्थक

'कदम', 'बैंकिंग के बदलते परिवेश में ग्राहक सेवा', 'बैंकों में उत्पाद -नवीनताएँ', 'भारतीय बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन' तथा 'परिचालन जोखिम और बैंक' के माध्यम से एक ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करायी गयी है, जो सभी बैंकों के स्टाफ - जनों को अपने कार्यनिष्ठादान में सहायक सिद्ध होगी। उपर्युक्त के साथ ही 'इधर-उधर' स्तंभ के माध्यम से बैंकिंग से संबंधित नवीनतम शब्दों का संकलन प्रकाशित कर अत्यंत सराहनीय कार्य किया है।

इस पत्रिका के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी को समुचित स्थान दिलाने तथा सभी स्टाफ-जनों में हिन्दी के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए प्रयासरत इस पत्रिका के संपादक मंडल को हमारा साधुवाद

○ पदमकांत चतुर्वेदी
महा प्रबंधक
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, नई दिल्ली

बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में सामग्री प्राप्त कराने वाली यह एक अनूठी पत्रिका है। 'भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड' में ग्राहक संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बैंकिंग से संबंधित मूल रूप से हिन्दी में लिखे गए लेखों के माध्यम से नए-नए विषयों पर उपयोगी जानकारी सरल व सुबोध हिन्दी में प्रस्तुत करना आकर्षक एवं प्रशंसनीय है। सुन्दर संपादन के लिए संपादक मंडल को हमारी ओर से शुभकामनाएं।

○ डा. अमर सिंह सचान
हिन्दी अधिकारी
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

हमें आपके कुशल संपादन में प्रकाशित पत्रिका बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का जनवरी-मार्च 08 अंक प्राप्त हुआ। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रकाशित गृह पत्रिकाओं की भीड़ में बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन प्रकाश स्तंभ की तरह एकदम अलग दिखती है। पत्रिका में छपे आलेख उन लोगों की आलेचनाओं के सटीक जवाब हैं, जो यह कहते नहीं अघाते कि बैंकिंग जैसे व्यापक और गंभीर विषय की पठन सामग्रियाँ हिन्दी में हो ही नहीं सकतीं। कमाल यह है कि पत्रिका में प्रकाशित सामग्रियों

का विषय-वैविध्य, सलीके से रचे गये वाक्य विन्यास, संपादन और सामग्रियों के चयन में परिलक्षित कौशल कहीं से भी यह अहसास नहीं दिलाते कि इन पर अंग्रेजी सोच की छाया भी पड़ी है। इस अर्थ में यह पत्रिका पाठकों को बरबस मजबूर करती है- हिंदी में चिंतन के लिए भी, अनुचिंतन के लिए भी।

सोचता हूं कि यदि यह पत्रिका न होती तो प्रशिक्षण केंद्रों में संकाय सदस्य हिंदी में कैसे पढ़ा पाते, प्रोन्ति परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्यर्थी हिंदी में बैंकिंग जैसे गूढ़ विषय कैसे समझ पाते और तब कैसे कोई यह प्रमाणित कर पाता कि विषय चाहे कोई भी हो, हिंदी में उसे व्यक्त करने की बेजोड़ क्षमता विद्यमान है। आप और आपकी पत्रिका का संपादन मंडल इस बात के लिए साधुवाद का पात्र है कि राजभाषा हिंदी के जरिए आप सब ने बैंकिंग पठन-पाठन के क्षेत्र में सचमुच एक क्रांति ला दी है।

◎ राजीव

महाप्रबंधक (राजभाषा)

इलाहाबाद बैंक, कोलकाता

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का जनवरी मार्च 2008 अंक प्राप्त कर प्रसन्नता हुई। पत्रिका का आवरण पृष्ठ अत्यन्त मनमोहक तो है ही, पत्रिका की सामग्री भी पठनीय है। इतनी सुन्दर और स्तरीय पत्रिका प्रकाशित करने के लिए संपादक मंडल बधाई का पात्र है। ‘उत्कृष्ट ग्राहक सेवा लाभप्रदता की दिशा में सार्थक कदम’ ‘बैंकिंग के बदलते परिवेश में ग्राहक सेवा’ और ‘भारतीय बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन’ लेख पाठकों के ज्ञानवर्धक में सहायक हैं।

◎ जे. बी. भोरिया

क्षेत्रीय निदेशक

उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड

सर्वप्रथम पत्रिका के 20 वें वर्ष में प्रवेश पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी में अच्छी ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं इनी-गिनी हैं ऐसे में बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का निरन्तर प्रकाशन तथा उत्कृष्टता के साथ निश्चित ही प्रशंसनीय कार्य है।

इस अंक में ‘भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड’ - श्री एस. एस. यादव के लेख से मुझे बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकरियां मिली जो मुझे व्याख्यान देने में सहायक होंगी।

ग्राहक सेवा/उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, बैंकिंग के बदलते परिवेश में ग्राहक सेवा आदि जैसे समय-समय पर अनेक आलेख विद्वानों के प्रकाशित होते रहे हैं किन्तु आज भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक सेवा-शिकायतों से मुक्त नहीं है और न ही आम-ग्राहक के लिए सुविधापूर्ण। इन सिद्धांतों को कब मूर्त रूप मिलेगा? बेहतर ग्राहक सेवा में कहां अड़चने हैं?

श्री पी. के. गुप्ता से साक्षात्कार में उनके द्वारा प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों को शुद्धता के साथ देवनागरी में लिखाना प्रशंसनीय कार्य है।

किन्तु सम्पादकीय में पृष्ठ क्र. 2 सुभाषित में दूसरी पंक्ति में पश्न्तु नहीं पश्यन्तु होना चाहिए और पृष्ठ 3 पर ‘कबीर’ नहीं ‘कबीरा’ खड़ा होना चाहिए।

◎ हरेगम वाजपेयी ‘आश’

से. नि. राजभाषा अधिकारी, यूको बैंक, इन्दौर

हमें प्रसन्नता है कि आप जैसे पाठक इतने ध्यान से पत्रिका को पढ़ते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि प्रूफ संबंधी गलतियां न रह पाये तथापि आगे से इसका अधिक ध्यान रखा जाएगा।

- कार्यकारी संपादक

ग्राहक सेवा आज की बैंकिंग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष बनकर उभरी है। ग्राहक सेवा पर केंद्रित पत्रिका के इस अंक में सम्मिलित आलेख सूचनाप्रद तो हैं ही, विचार-मंथन पर विवाह करने वाले भी हैं। ग्राहक सेवा और लाभप्रदता के बीच अंतर-संबंध दर्शाता हुआ सुश्री अंशुप्रिया अग्रवाल का आलेख अत्यंत प्रासंगिक है। यह सुखद है कि पत्रिका में सभी बैंकों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है और उनका सतत उल्लेखनीय योगदान है।

आवरण पृष्ठ और प्रकाशित सामग्री के उच्च स्तर को पत्रिका ने कायम रखा है।

पत्रिका का नियमित प्रकाशन हिंदी में बैंकिंग साहित्य के सृजन की अमूल्य उपलब्धि है।

◎ बि. महापात्र

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता

साक्षात्कार

सही वक्त पर सही निर्णय सफलता देता है...

संपादकीय कार्यालय में मिलने वाले पत्रों की संख्या में होती हुई बढ़ोतरी में इस बात के उल्लेख की भी बढ़ोतरी हो रही है कि 'साक्षात्कार' स्तम्भ अपने पाठकों के बीच अभी भी अत्यधिक लोकप्रिय स्तंभ है। यह स्तंभ बैंकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को एक व्यक्ति के रूप में अपने पाठकों से मिलाता है, उनके विचार जानने का अवसर देता है।

इस कड़ी में इस बार पाठकों की मुलाकात होगी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री सुहास आनंद भट से जो न केवल आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं बल्कि मधुरभाषी भी हैं। श्री भट ने 1972 में बैंक ऑफ इंडिया से अपनी बैंकिंग यात्रा प्रारंभ की, वहां वे महाप्रबंधक के पद तक पहुंचे। इस बीच उन्होंने बैंक के विभिन्न विभागों में कार्य किया और अपने अनुभवों का विस्तार किया। वे वर्ष 2006 में यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक बने तथा जून 2007 में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। देश-विदेश का अनुभव और रिजर्व बैंक आदि की विभिन्न कमिटियों में अपना योगदान देनेवाले श्री भट डिसेन्टरलाइज़ वातावरण में नियंत्रण के हामीदार हैं और अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कार्यकारी संपादक डॉ. पुष्पकुमार शर्मा से विस्तार से अनुभव बांटे, आइये जानते हैं उनके विचार।



- सर वर्ष 1972 के श्री भट साहब और आज के श्री भट साहब में आप क्या अंतर देखते हैं?
- ❖ अच्छी शुरुआत की। बहुत फर्क है - जमीन आसमान का - उस समय जब मैं बैंक में लगा तो मुझे बैंकिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पिताजी बैंकर थे पर मैं साईंस का, केमस्ट्री का स्टूडेंट - मेरे लिये बैंकिंग बिल्कुल ही अनजान सबजेक्ट रहा- लेकिन समय ने सिखाया और आज जो आप देख रहे हैं वो एक अलग ही व्यक्ति है, जो 1972 में था उससे बिल्कुल अलग - केवल एक कॉमन बात है उस वक्त भी मैं काम में विश्वास करता था और आज भी।
- पर एक बैंकर के रूप में -
- ❖ बैंकर के रूप में, मैं कह सकता हूं उस वक्त सीधी सादी बैंकिंग थी - आज की तरह स्पेशलाईज़ बैंकिंग नहीं थी, आज बैंकिंग इन्टरनेशनल हो गयी है तबकि उस वक्त बैंकिंग बहुत ही लिमिटेड थी।
- तो आप का मतलब है कि एक व्यक्ति के रूप में और एक बैंकर के रूप में आपकी ग्रोथ साथ-साथ हुई।
- ❖ यस, एक बैंकर के रूप में मेरी ग्रोथ होने के पीछे मेरी पत्नी का योगदान बहुत ज्यादा है। परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और मुझे बैंकर के रूप में ग्रो होने दिया - मैं मुंबई में रहा, लंदन में रहा- बैंकिंग के अलग-अलग रूप देखे, समझे- टेक्नॉलॉजी को आते हुए देखा। उसे समझा - रूरल और सेमी अर्बन बैंकिंग को

देखा और समझा - मतलब यह है कि सभी रंगरूप देखें बैंकिंग के .. परिवार की जिम्मेदारी पत्नी ने संभाली और मैं एक बैंकर के रूप में आगे बढ़ता गया। मैंने जो कुछ सीखा या समझा वो अपनी अलग-अलग पोस्टिंग के कारण सीखा- अनुभव आदमी को स्पेशलिस्ट बनाते हैं- आज हम एग्रो लोन की बातें करते हैं- यह हमारे लोग रुरल पोस्टिंग से घबराते हैं- मैं तो कहता हूं कि हमें कम्पलसरी रुरल पोस्टिंग का नियम बना लेना चाहिए।

- सर, आपके विचार से वो कौन-से फैक्टर होते हैं जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है- अपना विकास करता है।
- ❖ काम की लगन- कुछ करने की इच्छा-। बस यह हो तो व्यक्ति अपने - आप सीखता है, आगे बढ़ता है और अपने अनुभवों से औरें को भी सिखता है- मैंने भी इसी प्रिंसीपल को माना - जब से बैंक में लगा, बस एक ही बात को पकड़ लिया कि बस मुझे यह करना है - मैं यह कर सकता हूं - इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया - मेरा अनुभव बढ़ता गया- और बाकी तो आप जानते ही हैं।
- आप सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए - कोई टर्निंग पाइंट याद आता है या कोई व्यक्ति या घटना।
- ❖ बैंकिंग की इस जर्नी में बहुत से लोग आये - जिन्होंने मुझे सीधे तौर पर प्रभावित किया- जब मैं बैंक में लगा ही था तो एक मिस्टर आगरकर थे .. एडवान्सेस के एकपर्ट - उन्होंने मुझे एडवान्सेस एवं प्रायरिटी सेक्टर की पूरी जानकारी दी- जो मैं आज भी भूल नहीं सकता- बाद में मैं श्री सुब्रमण्यम के सम्पर्क में आया जो एकदम परफेक्ट एक्जीक्यूटिव थे - उनसे मैंने सीखा - काम खुद कैसे करना चाहिये। सब कुछ डिसेन्ट्रलाइज करते हुए भी अपना कन्ट्रोल कैसे बनाया रखा जाए। यही कारण है कि मैं आज इतने बड़े बैंक को कन्ट्रोल कर पा रहा हूं - बाद में, दूसरे चेयरमैन आये मेरी जिंदगी में श्री म्हात्रे साहब - मास्टर फाइल के पूरे मास्टर थे - उन्होंने मुझे सिखाया बैंक का फायदा कैसे किया जाए - मतलब यह है कि आज

के सिव्युयेशन में भी बैंक को कमा कर देना यह मैंने उनसे सीखा और अंतिम नाम लूंगा श्री के. वी. कृष्णमूर्ति जी का - बड़े रुथलेस आदमी, लेकिन कमाल का एप्रोच- जब कुर्सी पर अपने केबिन में रहते तो चेयरमैन और बाहर मिलते तो एक फ्रेंड - बिल्कुल अलग अंदाज था उनका फ्रेंडली एक्जिक्यूटिव - उन्होंने मुझे अपने विज्ञन को कैसे एक्जिक्यूट करते हैं यह सिखाया - ये ही सब थे जिन्होंने मुझे एक परफेक्ट बैंकर बनने में मेरी सहायता की -दे कोन्ट्रिव्यूटेड ए लाट इन माय लाइफ।

- उनके साथ काम करते हुए कभी आपने सोचा था कि आप भी चेयरमैन बनेंगे।
- ❖ नहीं। मेरा सपना एजीएम बनने तक का ही था - पर वक्त के साथ-साथ सपने भी बदलते गये और मैं एजीएम से आगे बढ़ गया- शायद जिन्दगी में सही वक्त पर सही निर्णय होते गये - आई मीन राइट डिसिज्न एट राइट प्लेस - इसी से कैरियर बनता है - शायद यही सक्सेस का मंत्र है।
- अब तो आप चेयरमैन है- एक बहुत बड़ी टीम के इन्वार्ज - कोई दबाव महसूस करते हैं।
- ❖ नहीं जी, कोई प्रेशर नहीं - ज्यों-ज्यों ऊपर पहुंचता गया- जिम्मेदारियां आती गयी और मैं उन्हें बांटता गया। मुझे काइन्ड ऑफ फाइन अधिकारी मिलते गये - मैं एक अच्छी टीम बनाता गया- आय एम एबल टू गेट गुड सपोर्ट फ्राम मार्झ टीम- जो पूरे बैंक का बेनिफिट सोचती है.. मैं यह जानता हूं कि कोई एक आदमी नहीं सोचता - इटस् ए टीम, चेन ऑफ थॉट चलता है - और एक कलेक्टिव एफर्ट होता है जो सफलता दिलाता है- यह सच है कि डिसिजन मैं लेता हूं - पर उनके लिये वही आधार है - मैं सचमुच अपने बैंक के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिनके कारण मैं आज सही निर्णय ले पाता हूं। आगे बढ़ पाता हूं - मेरा हर कर्मचारी पूरी तरह मोटिवेट है।
- आप उन्हें कैसे अपने से जोड़ पाते हैं - कैसे मोटिवेट

करते हैं?

- ❖ मैं उनसे मिलता हूं - जहां भी मौका मिलता है मैं उनके साथ अपने विचार शेयर करता हूं - मैं उनको उनके एटेचमेंट की याद दिलाता रहता हूं- हर बुधवार को मैं अपने सभी जीएम से मिलता हूं - मैं हर तरह की बातें सुनने के लिये तैयार रहता हूं - इतनी फ्रीडम मैंने अपने लोगों को दे रखी है - उनके विचार जानना चाहता हूं - वो बात और है कि अंतिम रूप से मैं सहमत होता हूं या नहीं।
- सर, आज बैंकिंग का रंग रूप बदल रहा है - आइओबी किस रूप में अपने आप को तैयार कर रहा है, नई चुनौतियों के लिए?
- ❖ आइओबी इज रेडी फॉर एनी चैलेंज- जब सब कुछ मैनुअल था तब भी हम तैयार थे- अब टेक्नॉलॉजी आ गयी है तो हम दुगने जोश में तैयार हैं- हमारा आईटी डिपार्टमेंट बहुत आगे है- आप जानते हैं - बैंक का सीबीएस हमने खुद डेवलप किया है- कोई बाहरी सहायता नहीं ली- सभी इन हाउस - हमने सारे पैकेज बनाये हैं- हमारे लोग पूरी तरह मोटिवेटेड हैं।
- आप ने बताया नहीं कि आप उन्हें कैसे जोड़ते हैं?
- ❖ मोनेटरी इन्सेन्टिव स्कीम है हमारी- टारगेट्स् ओरियन्टेड- हम परफार्म करनेवाले को निराश नहीं करते- हमारी एचआर नीतियां बहुत संतुलित हैं- मैं खुद - जहां खुली एप्रोच रखता हूं - दूसरी तरफ सख्त कारवाई करता हूं।
- सर, आज की एग्रेसिव बैंकिंग पर्फॉर्मेंस को ज्यादा अहमियत देती है। उसका ह्यूमन फेस कहीं खो गया है- आप को क्या लगता है?
- ❖ इटस् नॉट लाइक दॅट, आज टाइम किसके पास है- लाइफ इतनी फास्ट हो गयी है कि लोगों के पास फीलिंग्स के लिए टाइम नहीं है- आज के ग्राहकों को काम चाहिए फीलिंग्स नहीं- उन्हें काम से मतलब है, रिश्तों से नहीं- ऐसे में आप ह्यूमन फेस की बात कैसे कर सकते हैं, जहां जरूरी है वहां अभी भी आपको ह्यूमन फेस मिल जायेगा-

इटस् ऑल नीड बेस्ड।


- आज हम ट्रेडिशनल बैंकिंग से आगे बढ़कर मैकेनिकल हो गये हैं। हमारे वेल्यूज बदल गये हैं - हमारे विज़न और मिशन बदल गये हैं- क्या यह सही हुआ?
- ❖ देखिये- मैं एग्री नहीं करता - हमारे विज़न और मिशन में कोई फर्क नहीं आया है- हां तरीके बदल गये हैं- एप्रोच बदल गयी है जो कि समय के अनुसार जरूरी भी है- बाकी हम आज की सोसायटी के लिए कमिटेड हैं - आज भी हमें सोशियल आजेकिटव से जुड़े रहना है। मैं फिर कहता हूं कि तरीके जरूर बदल गये हैं।
- सर, ऐसा कोई सपना जिसे आप पूरा नहीं कर पाये।
- ❖ नो, आय एम नॉट फैल्योर- मैंने अपने सारे सपने पूरे किये हैं- मैं अपने सपनों को बदलता भी रहता हूं - सो, आय एम हैपी- आलवेज़।
- बैंकिंग आज ग्लोबल हो गयी है- और ग्लोबल वार्मिंग मेरा मतलब- उतार-चढ़ाव का प्रभाव भी हमें झेलना ही होगा - भारतीय बैंकिंग के लिये यह ठीक लगता है।
- ❖ यस, क्यों नहीं- हमें ग्लोबल होना ही था पर हम अंधी दौड़ में नहीं है- हम प्रूडेन्शियल है- विवेकशील - मैं रिज़र्व बैंक का आभारी हूं कि उसने हमें धीरे-धीरे इस दिशा में ढाला और कहीं भी भटकने नहीं दिया- हमें हर तरह की तैयारी के साथ ग्लोबल होने दिया- इससे हम अंदर से बहुत मजबूत हो गये और किसी भी तरह के शॉक को झेलने के लिये तैयार हैं- रिज़र्व बैंक ने बहुत ग्रेट नीतियां बनायीं और हमें गाइड किया।
- हम प्राइवेट या विदेशी बैंकों जितने एग्रेसिव तो नहीं हो पाये।
- ❖ जरूरत ही नहीं है जी, वे एग्रेसिव कहां है, शहरों और मेट्रो सिटीज़ में- जबकि हमारा नेटवर्क बहुत सॉलिड है- देश के कोने-कोने में, गांव-गांव में - फैला हुआ है और जब आपके पास मजबूत नेटवर्क हो तो फिर एग्रेसिव होने की जरूरत ही नहीं है।

- सुना है कि आप, अनुपालन पर बहुत ज्यादा ज़ोर देते हैं, यही आपकी सफलता का राज भी है।
- ❖ आप खुद सोचिये- किसी भी नीति पर आर्डर का अनुपालन नहीं होगा तो फिर सर्किल पूरा कैसे होगा- यहां मैं बहुत एग्रेसिव होता हूं- निर्णय बेस्ट होते हुए भी अनुपालन नहीं है तो उसका फायदा क्या- हमें अनुपालन या कम्पलायन्स के लिये एक्स्ट्रा एग्रेसिव होना चाहिए यदि सफल होना है तो।
- सर, हम फायनेन्शियल लिटरेसी की बात करते हैं जबकि हमारे देश में बेसिक लिटरेसी नहीं है- यह असंतुलन कैसे दूर होगा।
- ❖ हमारा एक प्रोडेक्ट है - 'आईओबी सम्पूर्ण' जो हमने तमिलनाडु में कुछ जगह लागू किया है- हम समग्र विकास की भावना के साथ इसे लागू कर रहे हैं- पहले लोग बैंकों में आने से डरते थे, अब हम पारदर्शी है, उन्हें उनके

फायदे बताते हैं- जोड़ते हैं- जब किसी को पेट भरने का रास्ता दिखाते हैं तो वह आपकी दूसरी बातें भी सुनेगा- हम उन्हें सम्पूर्ण विकास समझाते हैं- उसमें लिटरेसी भी आती है- हमें होलीस्टिक एप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए- यही सफलता दिलायेगा। .. हमने ग्राहकों को एड्यूकेट करने का भी प्रोग्राम बना रखा है- जैसे एक्सपोर्ट -इम्पोर्ट से जुड़े ग्राहक। ऐसे ही स्माल स्केल के ग्राहकों के लिये भी योजनाएं हैं।

- सर, बदलते बैंकिंग परिवेश में भाषा, विशेषकर राजभाषा हिंदी की क्या भूमिका आप देखते हैं?
- ❖ आज के परिवेश में, यदि क्षेत्र विशेष की बात करें तो, क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है- अब दक्षिण भारत में आप हिंदी से लोगों से नहीं जुड़ सकते हिंदी नॉर्थ में चल सकती है- ऑल इंडिया में हो सकती है पर कुछ बेल्ट ऐसे हैं जहां हमें रीजनल लैंग्वेज का ही सहारा लेना पड़ेगा- मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ रहे होंगे।

प्रस्तुति : पुष्प कुमार शर्मा



वित्तीय शिक्षण

◎ डा. रमाकांत शर्मा
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

वित्तीय शिक्षण पर चर्चा करने से पूर्व, वित्तीय समावेशन की अवधारणा पर एक नजर डालना आवश्यक है, क्योंकि वित्तीय शिक्षण और वित्तीय समावेशन दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं।

आजकल वित्तीय समावेशन एक चर्चित विषय बना हुआ है और भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों ही इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे वित्तीय समावेशन के लिए विभिन्न योजनाएं बनाएं और इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ हटकर अर्थात् लीक से हटकर (आउट ऑफ बॉक्स) कदम उठाएं।

वित्तीय समावेशन

- ⇒ जिन लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरे शब्दों में, बैंकिंग सेवाओं के दायरे में अभी तक न आने वाले लोगों को इसके दायरे में शामिल करना। फिलहाल हमारे देश में बैंकिंग सेवाओं के दायरे से बाहर रहने का मतलब किसी भी बैंक में किसी भी प्रकार का कोई खाता नहीं होना है। प्रसंगवश, हमारे देश के आधे से अधिक वयस्क लोग ऐसे हैं, जिनका बैंक में कोई खाता नहीं है।
- ⇒ बैंकिंग सेवाओं के दायरे से अधिकांश वही लोग बाहर हैं जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, फिर चाहे वे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हों या फिर सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग। ये वे लोग हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण का शिकार रहते आए हैं। इन जरूरतमंद लोगों की पहुंच वित्तीय उत्पादों तथा अन्य सेवाओं तक नहीं है, अतः उन तक ये सेवाएं पहुंचनी चाहिए।
- ⇒ यह भी जरूरी है कि इन वर्गों सहित देश की सभी जनता को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं बिना किसी भेदभाव के मिलनी चाहिए। जाति, धर्म, लिंग तथा आर्थिक स्थिति के

आधार पर इन सेवाओं और उत्पादों की उपलब्धता में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

- ⇒ बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं ऐसी लागत पर उपलब्ध होनी चाहिए जिसे समाज के वंचित और कमजोर वर्ग आसानी से वहन कर सकें, इसका अर्थ यह हुआ कि सभी को ये सेवाएं उपलब्ध तो हों ही, कम लागत पर उपलब्ध हों ताकि गरीब लोग उन सेवाओं और उत्पादों का उपयोग कर सकें। यदि ये सेवाएं ऐसी लागत पर उपलब्ध होंगी जिसे समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के लोग वहन न कर सकें तो उनकी उपलब्धता का कोई वास्तविक अर्थ नहीं निकलेगा।
- ⇒ सार्वजनिक संपत्ति पर देश की जनता की पहुंच बिना किसी अवरोध के होनी चाहिए। चूंकि बैंकिंग और भुगतान सेवाएं भी सार्वजनिक संपत्ति का अंग हैं, अतः यह जरूरी है कि देश की जनता के सभी वर्गों की बैंकिंग और भुगतान सेवाओं तक निर्बाध पहुंच हो।
- ⇒ वित्तीय समावेशन में बैंकों में खाता खोलने, राशि जमा करने तथा ऋण लेने की सुविधाएं शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन की अवधारणा को आत्मसात करने के बाद हम वित्तीय रूप से वंचित लोगों की बात कर सकते हैं। वित्तीय वंचन से तात्पर्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के दायरे से बाहर होना है। दूसरे शब्दों में, वित्तीय रूप से वंचित वे लोग हैं जो बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं रखते। इन लोगों के पास अभी तक बैंक में किसी भी प्रकार का कोई खाता नहीं है।

इस स्थिति के अर्थात् वित्तीय वंचन के बहुत से कारण हैं, पर वित्तीय वंचन का एक प्रमुख कारण ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वालों को बैंकिंग और बैंकों की योजनाओं के

बारे में कोई जानकारी न होना है। जब तक उन्हें यह मालूम ही नहीं होगा कि बैंक किस प्रकार की संस्था है और किस प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं तब तक वे बैंकों के साथ सम्पर्क कैसे कर पाएंगे? हमारे देश में वित्तीय साक्षरता बहुत ही कम है। लोगों को, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के बारे में या तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है या फिर बहुत ही कम जानकारी है। इस जानकारी के अभाव में वे अनौपचारिक स्रोतों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। यदि उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर बनाया जाए तो वे बैंकों जैसी औपचारिक संस्थाओं से ऋण लेने तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं।

अपने धन के उपयोग और प्रबंधन के बारे में सोच-समझ कर तथा प्रभावी निर्णय लेने की दृष्टि से भी यह बहुत जरूरी है कि लोग वित्तीय रूप से साक्षर हों। बैंकिंग, बचत तथा सही जगह से ऋण लेने की समझ विकसित होने पर ही कम आय वाले तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोग बचत करने, उसका सही उपयोग करने तथा लाभप्रद आर्थिक कार्य करने के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य भी है कि उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए सुनियोजित रूप से गंभीर कदम उठाए जाएं।

इंवेस्ट इंडिया इन्कम्स एंड सेविंग्स सर्वे 2007 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, वरन् शहरी क्षेत्र की जनता भी वित्तीय रूप से पर्याप्त तौर पर शिक्षित नहीं है। सर्वे के अनुसार शहरों में रहने वाले और 5 लाख रुपये तथा उससे अधिक वार्षिक आय वर्ग के लोगों में से 9.6 प्रतिशत लोग यह समझते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक जमाराशियों की कोई गारंटी नहीं देते तथा इस उच्च आय वर्ग के लगभग 25 प्रतिशत लोग नियमित बचत का महत्व नहीं समझते। कमाने वाले लगभग 83 प्रतिशत भारतीयों को यह नहीं मालूम कि शेयर बाजार क्या है और क्यों है, शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपये प्रति माह कमाने वालों में से

वित्तीय शिक्षण लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जागरूक बनाता है, उन्हें बचत करने की ओर प्रवृत्त करता है, सही और सोच-समझ कर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और समर्थ बनाता है तथा अपनी आर्थिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करता है ताकि वह स्वयं को और अपने परिवार को खुशहाल बना सके।

लगभग 50 प्रतिशत लोगों को तथा गांवों में रहने वाले 91 प्रतिशत लोगों को शेयर बाजार के बारे में कुछ भी पता नहीं है, साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बेहतर तरीकों, प्रौद्योगिकी के उपयोग, अवसरों की विविधता, बाजार सहबद्ध मूल्यों, बैंकिंग प्रणाली तथा ऋण सहबद्ध चुकौती के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। सुदूरवर्ती स्थानों पर रहने वाले ग्रामीण और गरीब लोग तो इन सबसे पूरी तरह अनजान हैं। अनपढ़ और बहुत कम पढ़े लिखे लोगों के बीच उच्च वित्तीय साक्षरता की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती।

इसे ध्यान में रखते हुए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तथा दूरस्थ इलाकों में रहने वालों को बैंकिंग तथा बैंकों की ऐसी योजनाओं की जानकारी दी जाए जो उनके लाभ के लिए बनाई गई हैं। यह भी देखा गया है कि बैंकों की विपणन तथा बिक्री नीतियों

में ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत कम शामिल किया जाता है। इसकी वजह से भी बैंकों की सेवाओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती।

वित्तीय शिक्षण की परिभाषा

आर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्तीय शिक्षण को निम्नानुसार परिभाषित किया है :-

“वित्तीय शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/निवेशक वित्तीय उत्पादों तथा जोखिमों की अपनी समझ को विकसित करते हैं तथा सूचना, अनुदेश और/अथवा वस्तुनिष्ठ परामर्श के जरिये वित्तीय जोखिमों और अवसरों के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं, समझ कर वित्तीय निर्णय लेने में समर्थ बनते हैं, सहायता के लिए कहां और किसके पास जाना चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं तथा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए अन्य कारगर उपाय अपनाने के लिए प्रवृत्त होते हैं।”

इस प्रकार, वित्तीय शिक्षण लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जागरूक बनाता है, उन्हें बचत करने की ओर प्रवृत्त करता है, सही और सोच-समझ कर निवेश करने के लिए

प्रोत्साहित करता है और समर्थ बनाता है तथा अपनी आर्थिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करता है ताकि वह स्वयं को और अपने परिवार को खुशहाल बना सके। वित्तीय शिक्षण के अभाव में उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और वह वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में या उनका उचित लाभ उठाने में असफल रहता है। वित्तीय रूप से शिक्षित व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से सशक्त बनता है :-

- ⇒ उसकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और जो भी निर्णय वह लेता है, ठोस जानकारी पर आधारित होते हैं, अतः उनके सही और लाभकारी होने की सम्भावना सर्वाधिक हो जाती है।
- ⇒ वह अप्रत्याशित वित्तीय घटनाओं का सामना अधिक मजबूती से कर सकता है।
- ⇒ वह वित्तीय/बैंकिंग सेवाओं की मांग सृजित करता है।
- ⇒ ऋणग्रस्तता के चंगुल से बाहर आने के लिए अभिप्रेरित होता है और इसके लिए सुनियोजित प्रयास करता है।
- ⇒ बचत के महत्व को समझता है और उसके बेहतर उपयोग के लिए समर्थ बनता है।
- ⇒ वित्तीय मुख्यधारा के बेहतर उपयोग के लिए प्रवृत्त होता है।
- ⇒ जानकारियों का सुविचारित प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित होता है।
- ⇒ वह बैंक का सफल और महत्वपूर्ण ग्राहक बन सकता है।
- ⇒ परिवारिक परिसंपत्तियों का निर्माण करने में सहायक होता है और आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि करता है।

अतः यह बहुत जरूरी है कि लोगों को वित्तीय रूप से शिक्षित किया जाए। इसे देखते हुए आज विश्व भर में वित्तीय शिक्षण को काफी महत्व दिया जा रहा है।

वित्तीय शिक्षण के मार्ग में बाधाएं

वित्तीय शिक्षण के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएं हैं :-

- ⇒ जिन लोगों को वित्तीय शिक्षण की आवश्यकता है, वे अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है, वित्तीय शिक्षण की व्यवस्था करना उतना आसान नहीं है।
- ⇒ जिन लोगों को हम वित्तीय रूप से शिक्षित किए जाने की बात कर रहे हैं, वे अधिकांशतः या तो अनपढ़ हैं या फिर बहुत कम पढ़े लिखे हैं। जिन लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं है, उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर बनाना आसान काम नहीं है।
- ⇒ इस वर्ग की सामाजिक - आर्थिक स्थिति की वास्तविकता को समझ कर ही वित्तीय शिक्षण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।
- ⇒ ग्रामीण गरीब लोग जब दोनों वक्त की रोटी भी नहीं जुटा सकते, तब उन्हें भविष्य के लिए योजनाएं बनाने, बचत करने और वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग की जानकारी देना उनके लिए तथ्यहीन और अवास्तविक कल्पना से अधिक महत्व नहीं रखता। उन्हें वित्तीय क्षेत्र की कौन सी और कितनी जानकारी दी जानी चाहिए, इसका सही आकलन करना होगा, अन्यथा प्रयासों की सफलता संदिग्ध बनी रहेगी।
- ⇒ वित्तीय साक्षरता के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना भी अपने आप में एक बड़ा काम है।
- ⇒ शहरी गरीबों और ग्रामीण गरीबों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझ कर ही वित्तीय शिक्षण को कामयाब बनाया जा सकता है।
- ⇒ यह बात ध्यान देने की है कि वित्तीय शिक्षण व्यक्तियों को अभिप्रेरित नहीं करता बल्कि अभिप्रेरित व्यक्ति वित्तीय शिक्षण पाने की ओर उन्मुख होते हैं, अतः यह जरूरी होगा कि वित्तीय रूप से साक्षर बनने के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु अभियान चलाए जाएं।

वित्तीय शिक्षण में क्या शामिल किया जाना चाहिए

वित्तीय शिक्षण की रूपरेखा बनाते समय आगे दी जा रही

बातों को शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए :-

- ⇒ ऋण पर नियंत्रण कैसे किया जाए तथा ऋणग्रस्तता से कैसे बचा जाए ।
- ⇒ धन-प्रबन्धन कैसे किया जाए ।
- ⇒ बचत कैसे की जाए । नियमित रूप से बचत किए जाने का क्या महत्व है तथा बचत को सुरक्षित कैसे रखा जाए ।
- ⇒ बैंक क्या हैं और किस प्रकार लोगों की वित्तीय दशा सुधारने में मदद कर सकते हैं । बैंकों की कौन सी योजनाएं हैं, जिनका वे लाभ उठा सकते हैं ।
- ⇒ केंद्र सरकार/राज्य सरकारों की वे कौन सी योजनाएं हैं, जिनका लाभ उन्हें मिल सकता है। उन योजनाओं का लाभ बैंकों की सहायता से किस प्रकार उठाया जा सकता है ।
- ⇒ उनकी मोलभाव की शक्ति कैसे बढ़ सकती है और दलालों के चंगुल से वे कैसे बच सकते हैं ।
- ⇒ एटीएम, किसान क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड आदि क्या हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाना है ।
- ⇒ बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के क्रियाकलापों के बारे में सामान्य जानकारी ।

ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनामिक कोआपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्तीय शिक्षण तथा जागरूकता के संबंध में सिद्धान्त और सुप्रथाओं पर निम्नलिखित सिफारिशें की हैं -

- ⇒ सरकारों तथा अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को चाहिए कि वे निष्पक्ष, उचित तथा समन्वित तरीके से वित्तीय शिक्षण को प्रोत्साहित करें।
- ⇒ वित्तीय शिक्षण की शुरुआत स्कूल स्तर से ही कर देनी चाहिए ताकि लोगों को यथाशीघ्र वित्तीय रूप से शिक्षित किया जा सके।
- ⇒ वित्तीय शिक्षण वित्तीय संस्थाओं के कुशल अभिशासन का हिस्सा होना चाहिए तथा इस संबंध में उनके उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

- ⇒ वित्तीय शिक्षण को व्यावसायिक सलाह से बिल्कुल अलग माना जाना चाहिए तथा वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ के लिए आचार-संहिता बनाई जानी चाहिए ।
- ⇒ वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि संभावित महत्वपूर्ण वित्तीय परिणाम वाली दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं अथवा वित्तीय सेवाओं से संबंधित सूचनाओं को ग्राहक अच्छी तरह से पढ़ और समझ ले । इसके लिए बहुत छोटे अक्षरों में मुद्रण तथा दस्तावेजों की दुरुहता से बचा जाना चाहिए ।
- ⇒ वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम को बचत, ऋण, बीमा तथा पेन्शन जैसे आधारभूत और महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष रूप से केंद्रित किया जाना चाहिए ।
- ⇒ वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम वित्तीय क्षमता-निर्माण की दृष्टि से तथा विशिष्ट समूहों को लक्ष्य कर बनाए जाने चाहिए। साथ ही उन्हें यथासंभव व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए ।
- ⇒ सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को सार्वजनिक और निजी पेन्शन योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे उन योजनाओं को अच्छी तरह से समझ सकें और उनमें सोच-समझ कर निवेश कर सकें ।
- ⇒ वित्तीय उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाई जानी चाहिए जिनमें विशेष वेबसाइट शुरू करना, निशुल्क सूचनाएं देना तथा उच्च जोखिम (धोखाधड़ी) के प्रति चेतावनी देना आदि शामिल हों।

उपर्युक्त सिफारिशों के आधार पर विकसित और विकासशील देशों में कारगर वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय शिक्षण

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय शिक्षण हेतु “वित्तीय साक्षरता परियोजना” नाम से एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों, महिलाओं, ग्रामीण और शहरी गरीबों, रक्षा कर्मचारियों तथा वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न

लक्ष्य समूहों को केंद्रीय बैंकिंग तथा सामान्य बैंकिंग से संबंधित जानकारी प्रदान करना है। इस परियोजना में बहुउद्देशीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके अंतर्गत दो विभिन्न वर्गों में जानकारी दी जाएगी। पहले वर्ग में अर्थव्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्यों के संबंध में तथा दूसरे वर्ग में सामान्य बैंकिंग की जानकारी प्रदान की जाएगी। यह जानकारी हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की जाएगी तथा बैंकों, स्थानीय सरकारी मशीनरी, स्कूलों, कॉलेजों आदि की सहायता से प्रस्तुतियों, पेम्फलेटों, पुस्तिकाओं, फ़िल्मों के साथ-साथ बैंक की वेबसाइट के जरिये दी जाएगी। बैंक ने सामान्य जनता के लिए वेबसाइट पर एक लिंक भी दी है, जिसके माध्यम से वे 13 भारतीय भाषाओं में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्रीय बैंक के कार्य और कार्यपद्धति तथा आम आदमी के लिए प्रासंगिक अन्य सभी बैंकिंग अवधारणाओं के प्रति जागरूकता के प्रसार हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई वित्तीय साक्षरता परियोजना **श्री वी एस दास, कार्यपालक निदेशक** की अध्यक्षता में चयनित विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों के ग्रेड-एफ स्तर के अधिकारियों को शामिल करते हुए संचालन दल के मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। इस संचालन दल को एक कार्यदल द्वारा सहायता प्राप्त होती है जिसमें चयनित विभागों और प्रशिक्षण संस्थाओं के युवा अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस परियोजना के लक्ष्य के रूप में दसवीं कक्षा और उससे ऊपर की कक्षाओं के छात्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ आम जनता के ऐसे व्यक्तियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो ग्रामीण, अर्ध-शहरी, निर्धन, अर्ध-साक्षर अथवा अशिक्षित हैं और वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं। इसमें उन लोगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जो शहरों में रहते हैं, धनी हैं तथा शिक्षित भी हैं, लेकिन जो वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं।

ऋण परामर्श केन्द्र

विपदाग्रस्त किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए मानदंडों का सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रो. एस.एस. जोशी की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया था। इस कार्यदल ने यह सिफारिश की थी कि ऐसे किसानों के ऋण की

व्यवहार्यता को बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें वित्तीय और जीवन-निर्वाह संबंधी परामर्श दिया जाए। साथ ही, कृषि ऋणों के लिए क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं की जांच करने हेतु श्री. सी. पी. स्वर्णकार की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने भी यह सुझाव दिया था कि अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में विशेष प्रयास के रूप में व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से ऋण और तकनीकी परामर्श देने के लिए बैंकों को परामर्श केंद्र खोलने पर सक्रिय तौर पर विचार करना चाहिए। इन दोनों कार्यदलों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समितियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2007 में यह सूचित किया था कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य/संघशासित प्रदेश के किसी एक जिले में प्रायोगिक तौर पर वित्तीय साक्षरता-सह-परामर्श केंद्र स्थापित करें। इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर संबंधित अग्रणी बैंकों को भी ऐसे ही केंद्र अन्य जिलों में खोलने के लिए कहा गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न

कार्यालयों द्वारा की गई पहल

वित्तीय साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कई क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपनी ओर से अभिनव और सार्थक पहल की गई है। **चेन्नै कार्यालय** ने वित्तीय शिक्षण के अपने प्रयासों के रूप में ‘करेंसी मैटर्स’ और ‘बैंक मैटर्स’ नाम से हिंदी और अंग्रेजी में दो कॉमिक बुक प्रकाशित की हैं। इन कॉमिक बुक की कहानियां चेन्नै कार्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक टीम ने तैयार की हैं और आर्टवर्क बाहर से बनवाया गया है। इनका तमिल में भी अनुवाद कराया जा रहा है। **नई दिल्ली कार्यालय** ने ‘राजू और मनी ट्री’ नाम से आधारभूत बैंकिंग की जानकारी देने के लिए कॉमिक बुक प्रकाशित की है। इसकी कहानी और आर्टवर्क दोनों ही वित्तीय शिक्षण पर स्थायी समिति में शामिल स्थानीय अधिकारियों ने तैयार किये हैं। इन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है। दृष्टिहीन लोगों के लिए इसे ब्रेल लिपि में भी बनाया गया है। इस हेतु नेशनल एसोसियेशन

फॉर ब्लाइंड, नई दिल्ली की सहायता ली गई। हैदराबाद कार्यालय ने सामान्य जनता को और विशेष रूप से स्कूली बच्चों, कॉलेज के विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं तथा ग्रामीणों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए, पुस्तिकाओं, मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशनों, वीडियो फिल्मों, प्रदर्शनों तथा कंप्यूटर गेमों का सहारा लिया है। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू में तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रदर्शनियों में भाग लेकर, स्कूलों, कॉलेजों, गांवों के दौरे करके, बैंकरों, व्यापारियों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठकें करके तथा उनके लिए रिज़र्व बैंक के दौरे आयोजित करके, वित्तीय साक्षरता/शिक्षण की ओर ठोस कदम बढ़ाए हैं। बंगलूरु कार्यालय ने अंग्रेजी और कन्नड़ में निम्नलिखित विषयों पर चार कॉमिक बुक प्रकाशित की हैं -

- (1) आधारभूत बैंकिंग का परिचय
- (2) जमा राशियाँ
- (3) स्वयं सहायता समूह ऋण, विशेष रूप से कृषि ऋण तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं जैसे अन्य जीवन निवाह ऋण
- (4) आवास ऋण, वाहन ऋण आदि जैसे जीवन शैली को उन्नत बनाने वाले ऋण तथा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे अन्य उत्पाद.

उपर्युक्त पुस्तकों के आधार पर कन्नड़ में एक लघु फिल्म भी तैयार की गई है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की दृष्टि से मैसूरू दशहरा प्रदर्शनी में बंगलूरु कार्यालय ने एक स्टाल लगाया जहां सामान्य जनता को उक्त लघु फिल्म दिखाई गई तथा अन्य जानकारियां प्रदान की गई। कॉमिक बुक की कहानियां तथा चित्र कार्यालय के स्टाफ द्वारा ही तैयार किए गये। अन्य कई कार्यालयों द्वारा भी ऐसे ही प्रयास किये गये हैं/किये जा रहे हैं।

बैंकों द्वारा की गई पहल

वित्तीय साक्षरता/शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न बैंकों ने कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ बैंकों द्वारा किए गये/किये जा रहे प्रयासों का व्योरा निम्न प्रकार है :-

इंडियन बैंक ने नाबार्ड और इंडियन ओवरसीज बैंक के

सहयोग से तमिलनाडु के करैकुड़ी में ग्रामीण शिक्षण केंद्र स्थापित किया है। कुड्डालोर जिले में 12 ग्रामीण इंटरेट कियोस्क लगाये हैं तथा संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी में कियोस्क बैंकिंग केंद्र स्थापित किया है।

उपर्युक्त के अलावा, ईआइडी पैरी इंडिया लिमिटेड (चीनी मिल) के सहयोग से कुड्डालोर जिले में 12 कियोस्क सेंटर स्थापित किये हैं ताकि गन्ना उत्पादकों को प्रबंधन और पण्य बाजार के सभी पहलुओं की जानकारी उपलब्ध हो सके। इन केंद्रों से उन्हें अपेक्षित ऋण तथा प्रौद्योगिकी पर ऋणेतर निविष्ट प्राप्त करने के साथ-साथ व्यवहार में आने वाले पैकेजों, बाजार संबंधी सूचना, कृषि वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव तथा मौसम आदि की जानकारी भी मिलती है।

इंडियन बैंक के वेबसाइट पर बैंकिंग सेवाओं तथा उत्पादों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही, नाबार्ड के सहयोग से गांवों में गठित किसान क्लबों के जरिये वित्तीय शिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। क्लब के सदस्यों को वित्तीय शिक्षण प्रदान किया जाता है जो इस प्रकार प्राप्त जानकारी को ग्रामीणों के साथ बांटते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बैंकिंग तथा बैंक योग्य परियोजनाओं सहित विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि जिंसों के भाव की जानकारी देने के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर और अनकापल्ली जैसे दो महत्वपूर्ण बाजार केंद्रों पर 'प्राइस ट्रिक' लगाये गये हैं। संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के नेरावी केंद्र पर ऋण परामर्श केंद्र (क्रेडिट इंफार्मेशन सेंटर) भी स्थापित किए गये हैं ताकि ग्रामीणों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों/सेवाओं की जानकारी मिल सके। इन केंद्रों पर विपत्तिग्रस्त किसानों/ऋणकर्ताओं का पुनर्वसन भी किया जाता है। बैंकिंग तथा बीमा, पारस्पारिक निधि (म्युचुअल फंड), पेन्शन उत्पाद, शेयरों में निवेश, पण्य व्यापार, ग्राहक अधिकार तथा बैंकिंग विनियमन जैसी उससे संबद्ध सुविधाओं के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने की दृष्टि से देश भर में वित्तीय परामर्श केंद्र स्थापित करने की योजना है।

आंध्रा बैंक ने आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक बैंक होने के नाते श्रीकाकुलम जिले में वित्तीय

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

साक्षरता-सह-परामर्श केंद्र स्थापित किये हैं जहां आंध्रा बैंक अग्रणी बैंक भी है, यह केंद्र निम्नलिखित कार्य कर रहा है :-

1. वित्तीय सेवाओं/वित्तीय समावेशन के लाभों के बारे में समाज के कमजोर वर्ग को शिक्षित करना जिनका लोगों की आर्थिक स्थिति पर तो प्रभाव पड़ता ही है, देश की आर्थिक संवृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है।
2. लोगों को वित्तीय संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं से परिचित कराना जिसमें किसानों और स्वयं सहायता समूहों को हाल ही में लागू ऋण बदला (डेट स्वैपिंग) तथा सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं की जानकारी देना शामिल है। इसके अलावा उनमें बचत की आदत विकसित करना तथा लघु बचत और बीमा आदि के लाभों की जानकारी देना भी शामिल है।
3. बचत खाते खोलने में लोगों को सहायता प्रदान करना तथा वित्तीय सेवाओं तथा खाते के परिचालन के बारे में समझ विकसित करने के साथ-साथ बैंक द्वारा दी जा रही सेवाओं और वित्तीय उत्पादों की जानकारी भी दी जाती है।
4. यह परामर्श केंद्र सरकार तथा बैंक के ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से ग्रामीण तथा शहरी गरीबों के लिए वित्तीय शिक्षण मुहिम चला रहा है। कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विभाग से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर किसानों के साथ उनकी बैठकें आयोजित की जाती है ताकि उन्हें कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों के बारे में तकनीकी परामर्श उपलब्ध हो सके।
5. स्वयं सहायता समूह, काश्तकारों आदि के लिए जागरूकता शिविर आयोजित कराना।
6. कृषि उत्पादों की आपूर्ति और विपणन के लिए बाजार जागरूकता शिविरों का आयोजन।
7. ग्रामीण तथा शहरी गरीबों और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बैंक की विभिन्न जमा योजनाओं की जानकारी देना।

8. विभिन्न आर्थिक कार्यों तथा क्षमता निर्माण पर सरकार तथा बैंक के ग्रामीण विकास संस्थानों में लोगों को प्रशिक्षित करना।
9. बैंक की योजनाओं/सेवाओं की जानकारी देने के लिए कृषि वैज्ञानिकों, प्रसिद्ध व्यक्तियों को आमंत्रित करते हुए कुछ चयनित स्थानों पर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, ग्रामीण मेलों का आयोजन।
10. प्रसिद्ध तथा स्थानीय कलाकारों को बैंक के सेवा क्षेत्र में आने वाले गावों में नाटक/खेल प्रदर्शन के लिए भेजना तथा उनके माध्यम से ग्रामीणों को बैंक की सेवाओं/उत्पादों की जानकारी देना।
11. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों से आवेदन प्राप्त करना तथा उन्हें संबंधित बैंक शाखाओं को विचारार्थ अग्रेषित करना।
12. अग्रणी जिला प्रबंधक के मार्गदर्शन में सरकारी विभागों तथा बैंकों के साथ संपर्क स्थापित करना/बनाए रखना।
13. ग्रामीण गरीबों को ऋण संबंधी परामर्श देना।
14. वित्तीय समावेशन से संबंधित अन्य मामले देखना।

पंजाब नैशनल बैंक ने किसानों, विशेष रूप से सीमांत और लघु किसानों को बैंक की योजनाओं तथा सेवाओं/उत्पादों की जानकारी देने के लिए ऋण मेले/किसान गोष्ठियां आयोजित करने के अलावा कार्यशालाएं, कठपुतली प्रदर्शन भी आयोजित किए हैं और ग्रामीण पुस्तकालय भी स्थापित किये हैं। कृषि ऋण योजनाओं से संबंधित पुस्तिकाओं का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया तथा उन्हें ग्रामीणों को वितरित किया गया।

पंजाब के गुरदासपुर जिले में तथा हरियाणा के यमुना नगर जिले में वित्तीय साक्षरता सह-ऋण परामर्श केंद्र खोले गये हैं जिनके जरिये ग्रामीण तथा शहरी गरीबों को उनके लाभ के लिए अपने धन का प्रबंध करने और वित्तीय सुविधाओं का

सहारा लेने के लिए शिक्षित किया जाता है।

वर्ष 2000 में पंजाब नैशनल बैंक ने पीएनबी किसान कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की जो अपने प्रकार का पहला कदम था। यह ट्रस्ट बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के किसानों तथा ग्रामीण जनता के विकास और प्रगति के लिए काम कर रहा है। इस ट्रस्ट के तत्वावधान में पीएनबी किसान प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा उक्त ट्रस्ट ने असम सरकार के ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। किसान प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं:-

1. किसानों को बैंक की विभिन्न जमा तथा ऋण योजनाओं की जानकारी देना।
2. किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता करना।
3. पानी, खाद, कीटनाशक आदि का विवेकपूर्ण उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाने में किसानों की सहायता करना।
4. फसलों के विविधीकरण के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना।
5. ग्रामीण गरीब युवाओं को कम्प्यूटर का दीर्घावधि प्रशिक्षण देना ताकि उन्हें लाभप्रद रोजगार मिल सके। इस हेतु बैंक ने राजीव गांधी साक्षरता मिशन की सहायता ली है।
6. महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का लम्बी अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें लाभप्रद रोजगार मिल सके।
7. सौर ऊर्जा तथा पानी के स्रोतों के संरक्षण और देशी खाद के उत्पादन से संबंधित जानकारी/प्रशिक्षण देना।
8. ट्रेक्टरों तथा खेती के अन्य उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत का प्रशिक्षण तथा विभिन्न गांवों में जांच शिविर आयोजित करके पशुओं तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार लाना।
9. अचार, पापड़ आदि जैसी घर में बनाई जा सकने वाली चीजें तैयार करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को गैर-

सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना।

10. किसानों को बैंकों से सीधे ही या फिर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराने में सहायता करना।
11. आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूचना देते हुए मासिक न्यूज लैटर प्रकाशित करना।

यह उल्लेखनीय है कि किसान प्रशिक्षण केंद्र उक्त सभी सुविधाएं आस-पड़ोस के सभी जिलों के किसानों को उपलब्ध कराते हैं चाहे उन्होंने किसी वित्तीय संस्था से ऋण लिया हो या नहीं या फिर वे पंजाब नैशनल बैंक अथवा किसी अन्य बैंक के ग्राहक हों या नहीं।

हरियाणा के सुच्चा खेड़ा में बैंक ने नवंबर 2006 से एक मोबाइल वैन किसान प्रशिक्षण केंद्र की भी शुरुआत की है ताकि किसानों के पास पहुंच कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके और उन्हें प्रशिक्षण के लिए आने-जाने में समय न लगाना पड़े।

पीएनबी किसान कल्याण ट्रस्ट ने सुच्चा खेड़ा के किसान केंद्र में 'किसान मित्र' योजना की शुरुआत भी की है। चार किसान मित्रों में से प्रत्येक को दस जिले आबंटित किये गये हैं। जिनमें वे किसान क्लब और स्वयं सहायता समूह बनाने में किसानों की मदद करते हैं तथा उन्हें बैंक में खाता खोलने, प्रशिक्षण में शामिल होने, फलोद्यान लगाने, कृषि वानस्पतिक, खाद इकाइयां शुरू करने आदि के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। प्रत्येक किसान मित्र उसे आबंटित गांवों में विस्तार कार्य तथा वित्तीय समावेशन के लिए जाता है।

उक्त ट्रस्ट सभी किसान प्रशिक्षण केंद्रों में किसान बंधु योजना भी चला रहा है जिसका विशेष उद्देश्य वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है।

एचडीएफसी बैंक ने वित्तीय शिक्षण के लिए स्वयं सहायता समूहों को माध्यम बनाया है। थुडियार जिले में केवल स्वयं सहायता समूहों के लिए ही विशेष रूप से शाखा खोली गई है। वहां बैंक ने स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय साक्षरता अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक रहे हैं। उक्त समूहों की साप्ताहिक बैठकों में भाग लेने वाला फील्ड स्टाफ ऐसे सत्र भी आयोजित करता है,

जिनमें बचत करने के महत्व, बैंक में खाता खोलने और साहूकारों की अपेक्षा बैंकों से ऋण लेने के फायदे, आदि बताए जाते हैं। इस व्यवस्था के जरिये दस लाख से अधिक ग्रामीणों को वित्तीय रूप से शिक्षित करने की योजना बनाई गई है।

यूनियन बैंक ने किसानों के लिए **विलेज नॉलेज सेंटर** स्थापित किये हैं। ये केंद्र बैंक की ग्रामीण शाखाओं के साथ संलग्न लघु इकाइयां हैं। प्रत्येक केंद्र में इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध है। शाखा का एक कर्मचारी स्थानीय जनता के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए रिलेशनशिप मैनेजर का काम करता है। किसानों को बाजार मूल्यों, कृषि प्रथाओं, मौसम संबंधी दशाओं आदि की जानकारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन केंद्रों द्वारा निम्नलिखित सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं :-

1. फसल-पद्धति, उन्नत-बीज, उर्वरक, कीटनाशक, नई प्रौद्योगिकी आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करना ताकि बेहतर फसल ली जा सके और किसानों की आय में वृद्धि हो।
2. संबंधित क्षेत्र में मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी प्रदान करना।
3. किसानों को स्वयं सहायता समूह तथा किसान क्लब स्थापित करने का महत्व बताना तथा कौशल विकास का प्रशिक्षण देना।
4. किसानों को बैंक के उत्पादों तथा अन्य योजनाओं की जानकारी देना तथा बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र भरने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में मदद देना।

5. कमांड क्षेत्र के गावों को शत-प्रतिशत बैंक सुविधायुक्त बनाना।
6. ग्रामीण जनता में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए बैंक के खर्चे पर ग्राम-पंचायत में अखबार उपलब्ध कराना।
7. अपने बच्चों को, विशेष रूप से लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना।
8. किसानों/ग्रामीणों की सहायता के लिए सरकारी कार्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के बीच समन्वय स्थापित करना।

उपर्युक्त के अलावा बैंक ने **वित्तीय शिक्षण सेवा केंद्र** - **यूनियन मित्र** भी कुछ चयनित विलेज नॉलेज केंद्रों में शुरू किये हैं। इनमें ग्रामीणों को बैंक खाता खोलने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है, ब्याज दरों तथा प्रभारों सहित बैंक के उत्पादों की जानकारी प्रदान की जाती है, बचत करने तथा निवेश करने के संभावित अवसरों से परिचित कराया जाता है और विद्यमान ऋण के प्रबंधन के बारे में भी मार्गदर्शन किया जाता है।

उपर्युक्त कुछ बैंकों द्वारा वित्तीय शिक्षण के क्षेत्र में उठाये गये कदमों की जानकारी केवल उदाहरण स्वरूप दी गई है। अन्य बैंक भी वित्तीय शिक्षण के अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए इसी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों का वांछित सामाजिक - आर्थिक परिणाम मिलना सुनिश्चित है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि वित्तीय रूप से शिक्षित ग्रामीण/शहरी गरीब लोगों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना आसान होगा और इससे संबंधित लक्ष्य को तेजी से प्राप्त किया जा सकेगा।

◆

**‘विकास की शुरुआत एक छोटे रो बीज रो होती है,
जो समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है ।’**

लघु ऋण- गरीबों की जीवन रेखा

◎ अंशुप्रिया अग्रवाल
पंजाब नैशनल बैंक
रांची, झारखण्ड

लघु वित्त, लघु ऋण या व्यष्टि ऋण एक ऐसी प्रणाली है जो आमतौर पर निम्न आय वाले लोगों, विशेषकर निर्धन और अतिनिर्धन लोगों या यूं कहें कि उन लोगों को जिनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं होता, वित्तीय सेवा प्रदान करती है।

सन् 1997 में वाशिंगटन में आयोजित व्यष्टि ऋण सम्मेलन के घोषणा पत्र में व्यष्टि ऋण कार्यक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है ‘आय सृजित करने वाली स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए गरीब लोगों को छोटे ऋण देना, ताकि वे अपना और अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकें’।

यह कर्ज व्यक्तिगत उपभोग, उत्पादक गतिविधियों या फिर छोटे-छोटे व्यापार के लिए भी हो सकता है। लघुवित्त का सिद्धांत अब थोड़ा और व्यापक हो गया है। उसमें अब केवल बचत और साख ही नहीं आते, बल्कि बीमा और पेन्शन भी आते हैं।

लघु वित्त गरीबों के साथ बैंकिंग की एक नई पद्धति है और इसमें लेन-देन की कम लागत के साथ-साथ वसूली के ऊँचे अनुपात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

लघु वित्त की आवश्यकता

एशियन विकास बैंक का एक अध्ययन बताता है कि विकास के बावजूद पिछले दशक में गरीबी में कमी नहीं आई है। इसलिए एशिया को आज तक गरीबों का घर कहा जाता है। इस बात को समझने के लिए अगर प्रतिदिन 1 डॉलर प्रति मान को गरीबी का पैमाना मान लिया जाए तो एक अनुमान के मुताबिक 600 लाख गरीब इस क्षेत्र में रहते हैं। यह 138 लाख परिवारों को गरीब बना देता है। यदि 2 डॉलर प्रतिदिन के प्रतिमान को मान लिया जाए तो लगभग 1.9 करोड़ लोग और

लघु वित्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पैसा मिलने पर गरीब खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं और मजदूरी पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। स्वरोजगार से उनका, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होता है।

380 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे।

एशिया में बहुत अधिक गरीब और अल्प आय वाले परिवार हैं जो प्रचलित फंडिंग एजेंसियों (वित्त प्रदाता संस्थाओं) से वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने में असफल हैं, इसलिए इन गरीबों की उन्मुक्ति के लिए लघु वित्त एक बेहतर और प्रभावी उपकरण हो सकता है।

आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में इस समय ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में कुल मिलाकर करीब 30 हजार (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14 हजार तथा जिला सहकारी बैंकों की 12 हजार शाखाओं) से संपन्न विस्तृत बैंकिंग ढांचा मौजूद है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर करीब 1,12,000 प्राथमिक कृषि साख समितियां कार्यरत हैं। इनमें से 66,000 कार्यशील और बाकी निष्क्रिय बताई गई हैं। गरीबों को कर्ज की जरूरत के बारे में अनुमान लगाया गया है कि यह राशि 50,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के लगभग होगी। इस आवश्यकता के विपरीत गरीबों को बैंकों से कुल 5000 करोड़ रुपये अर्थात् कुल मांग का केवल 10% ही कर्ज दिया गया है। लघु वित्त का महत्व इसी तथ्य में निहित है कि औपचारिक, संस्थागत बैंकिंग क्षेत्र ने गरीबों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को ठीक तरह से नहीं निभाया है। उनकी ऋण संरचना की असफलता ने बड़ी संख्या में गरीबों को कर्ज के जाल में फँसा दिया है, क्योंकि उन्हें मजबूरन साहूकारों से अपनी जरूरतों के लिए कर्ज लेना पड़ा।

लघु वित्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पैसा मिलने पर गरीब खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं और मजदूरी पर

उनकी निर्भरता कम हो जाती है। स्वरोजगार से उनका, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। लघु वित्त की सबसे बड़ी प्रासंगिकता तो यही है कि इससे गरीबों को साहूकारों के चुंगल से बचाया जा सकता है।

बांग्लादेश में हुए ग्रामीण बैंक जैसे सफल प्रयोगों ने यह दिखा दिया है कि किस प्रकार लघु बचत और लघु वित्त के सम्मिश्रण से गरीब महिलाओं के छोटे-छोटे समूह भी सफल उद्यमी बन सकते हैं।

हमारे देश के विभिन्न भागों में स्वयंसेवी संगठनों और स्वयंसहायता समूहों ने भी यह साबित कर दिखाया है कि लघु वित्त को गरीबी हटाने के लिए एक शक्तिशाली औजार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

गरीबी उन्मूलन में लघु वित्त की अहमियत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 को अंतर्राष्ट्रीय लघु वित्त वर्ष के रूप में घोषित किया था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लघु वित्त ने एक विश्वव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया है।

गरीबी उन्मूलन में लघु वित्त की अहमियत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 को अंतर्राष्ट्रीय लघु वित्त वर्ष के रूप में घोषित किया था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लघु वित्त ने एक विश्वव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया है।

लघु वित्त का तात्पर्य ही अल्प ऋण होता है क्योंकि बड़े ऋण देने से व्यक्ति पुनः गरीबी के दुष्क्र में फंस जाएगा क्योंकि उसके पास ऋण चुकाने हेतु संसाधन नहीं होते हैं। अतः बड़े ऋण की बात करना व्यक्ति को गरीबी में फंसाना है न कि निकालना एवं यह ऋण किसी मध्यस्थ द्वारा देना भी गलत है क्योंकि इससे पुनः एक लालफीताशाही और अपारदर्शिता की गिरफ्त बनेगी जो गरीबी रेखा के नीचे एक और अति गरीबी रेखा खींच देगी।

लघु वित्त एवं महत्वपूर्ण विचारधाराएं

लघु वित्त के संबंध में तीन प्रमुख विचार धाराएं हैं। इनमें से एक है गरीबी के आधार पर ऋण प्रदान करना जिसे बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक ने अपनाया है जो नोबल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनूस की देन है और दूसरी है वाणिज्यिक वित्त संबंधी विचार धारा जिसे 'बैंक रक्यात इंडोनेशिया' ने अपनाया, तीसरी विचार धारा 'शोर बैंक अमरीका' द्वारा अपनाई गई है।

बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक गरीब संपत्तिहीन को ऋण प्रदान करता है जो प्रत्यक्ष रूप से संपार्श्चक प्रतिभूति या जमानत देने की स्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन सामाजिक प्रतिभूति या जमानत देने की स्थिति में जरूर होते हैं। ग्रामीण बैंक समूह / समुदाय के सभी सदस्यों की संयुक्त जिम्मेदारी के आधार पर उन्हें ऋण देता है और ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक दबाव का इस्तेमाल करता है। इस ग्रामीण बैंक के

6.91 मिलियन ऋणग्राही हैं जिसमें से 97% महिलाएं हैं। इस बैंक ने 2010 तक समस्त गरीब परिवारों को लघु ऋण के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है। फ्रांसीसी कंपनी डैनोन के साथ मिलकर इसने एक सामाजिक आर्थिक उद्यम 'ग्रामीण डैनोन फूड्स' की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बैंक ने टैलेनार कंपनी के साथ मिलकर ग्रामीण फोन की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्रामीणों को मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएगी।

बैंक रक्यात इंडोनेशिया

इंडोनेशिया का बैंक रक्यात इससे विपरीत कार्य करता है। उसकी सोच यह है कि लघु वित्त का प्राथमिक लक्ष्य फाइनेंसियल डीपनिंग है, अर्थात् गरीबों के लिए स्थायी मध्यस्थता वाली व्यवस्था का निर्माण करना है। इस परियोजना का उद्देश्य लघु उद्यमियों के स्वयं सहायता समूहों और छोटे किसानों को उचित दर पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस परियोजना के अंतर्गत कोई निश्चित मॉडल निर्धारित करने की बजाय सहभागिता के आधार पर लिंकेज की प्रक्रिया शुरू करने पर बल दिया गया है।

इसके दो प्रमुख आयाम हैं -

- स्वयं सहायता समूहों और बैंकों के बीच संस्थागत संपर्क
- बचत और ऋण के बीच वित्तीय संपर्क

शोर बैंक, अमरीका

मिल्टन डेविस द्वारा 1973 में स्थापित शिकागो के दक्षिणी टट के निवासियों को लघु ऋण विशेषकर होम मोर्टगेज लोन (आवास ऋण) और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण देता है। शोर बैंक ओरेगॉन के साथ जुड़कर वाशिंगटन स्टेट और मिशिगन के ऊपरी प्रायद्वीप तक विस्तार कर रहा है और इसके कंसल्टिंग कार्यालय शिकागो, वाशिंगटन और लंदन सहित पूरी दुनिया के 30 देशों में स्थापित हो चुके हैं।

भारतीय परिप്രेक्ष्य में लघु वित्त

हमारे देश में लघु वित्त 1992 से ही नाबार्ड द्वारा सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। वह बैंकों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की मदद करता रहा है। नाबार्ड कार्यदल ने प्रतिव्यक्ति ऋण आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 6 हजार और शहरी क्षेत्रों में 9 हजार आंकी है।

भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर अनुदेश जारी कर के बैंकों को इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी के लिए निम्न लिखित उपायों द्वारा प्रेरित करता है:-

- ⇒ लघुवित्त संस्थाओं की और अधिक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने लघुवित्त विकास कोष की 100 करोड़ रुपये की राशि बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया और उस फंड का नाम बदलकर लघुवित्त डेवलपमेंट एवं इक्विटी फंड कर दिया जिसका प्रबंधन नाबार्ड, वाणिज्यिक बैंकों तथा लघुवित्त प्रणाली का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले कुछ अन्य प्रतिनिधियों को दिया गया।
- ⇒ सन् 2006 से किसी भी बैंक की नई शाखा खोलने के लिए अनुमोदन केवल रिजर्व बैंक से मिलता है जिसमें शर्त होती है कि ऐसी शाखाओं में कम से कम आधी शाखाएं रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए गए बैंकिंग सुविधायुक्त क्षेत्रों में खोली जानी चाहिए।
- ⇒ कृषि और लघु उद्योगों की ओर ऋण प्रवाह में कमी की समस्या के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले

ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन किया है। अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, लघु उद्योग जैसे रोजगार की अति गहनता वाले क्षेत्रों, विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक ऋण और कम लागत के आवास ऋण को शामिल किया गया है।

- ⇒ लघुवित्त गतिविधियों में संलग्न गैर सरकारी संगठनों को संसाधन जुटाने के अतिरिक्त माध्यम के रूप में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, अनुमत अंतिम उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान 5 लाख अमरीकी डॉलर तक का बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकने की अनुमति।
- ⇒ नाबार्ड के स्वयं सहायता समूह बैंक सहलग्नता कार्यक्रम ने उसे भारत में व्यष्टि वित्त (माइक्रोफाइनेंस) का विश्व नेता बना दिया है। विश्व के व्यष्टि वित्त बाजार में हमारे देश का अंश 15% के लगभग है।

लघु वित्त संस्था के विभिन्न मॉडल

बैंक पार्टनरशिप मॉडल

इस मॉडल के तहत बैंक ऋण देते हैं और लघु वित्त संस्थाएं ऋण की मॉनिटरिंग करती है। दूसरे शब्दों में लघु वित्त संस्था एजेंट के रूप में काम करती है।

बैंकिंग प्रतिनिधि मॉडल

इसके अंतर्गत लघुवित्त संस्थाएं बैंक की ओर से या बैंक के प्रतिनिधि के रूप में गरीबों से बचत की राशियां एकत्र कर सकती हैं।

सेवा कंपनी मॉडल

इस मॉडल का प्रयोग लैटिन अमरीकी देशों में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कोई बैंक अपनी खुद की लघुवित्त संस्था गठित करता है और ऋण व अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह बैंक लघुवित्त संस्था के साथ पूरी सहभागिता से काम करना आरंभ करता है।

स्वयं सहायता समूह व बैंक संपर्क मॉडल

यह लघु ऋण व्यवस्था के तहत भारत में विकसित किया गया मॉडल है जिसके अंतर्गत बचत को प्राथमिकता प्रदान की गई है जिसके अनुसार किसी भी समूह के अंतर्गत अपने ही द्वारा सृजित निधि की सहायता से ऋण संबंधी अनुशासन सीखने का अवसर मिलता है। बैंकों ने ऐसे समूहों को ऋण देना लाभप्रद कारोबार समझा है क्योंकि ये समूह किसी बैंक से ऋण प्राप्त करने से पहले ही अपनी स्वयं की बड़ी निधि तैयार कर चुके होते हैं।

गैर-सरकारी संगठन / लघुवित्त संस्था थोक मॉडल (बल्क लॉडिंग मॉडल)

इसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन या लघुवित्त संस्था को निधि उपलब्ध कराई जाती है जो बाद में यही निधि ऋण के रूप में अपने सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। सिडबी, फ्रेंडस ऑफ वीमेंस वर्ल्ड बैंकिंग और राष्ट्रीय महिला कोष ने इस व्यवस्था को प्रमुखता से अपनाया है।

लघु ऋण - वैश्विक प्रयास

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

19 वीं सदीं के मध्य में अमरीकी कानून लेखक लिसेंडर स्पूनर ने गरीबी उन्मूलन के एक उपाय के रूप में गरीबों को उद्यम संबंधी गतिविधियों के लिए छोटे ऋण दिये जाने के संबंध में खूब लिखा है।

19 वीं सदीं में ही महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल में सहकारी संस्थाओं की उन्नति के लिए काम किया और सहकारी ऋण तथा व्यष्टि वित्त पर अनेक निबंध लिखे। 1971 में वित्तीय उद्यमियों ए. विटकर और डेविड बसाऊ ने वंचित लोगों को उनका जीवन बदलने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु ऑपर्च्यूनिटी इंटरनेशनल नामक संस्था का गठन किया। वे गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य से नई पहलों के लिए 25 से 500 डॉलर तक के ऋण प्रदान करते थे।

ए डी बी द्वारा बृहत प्रयास

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए डी बी) लघु वित्त के क्षेत्र में सहयोग के लिए पिछले कई वर्षों से सक्रिय है। 31 मई

2007 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक का कुल लघु वित्त पोर्टफोलियो 2091.27 लाख डॉलर था। ए डी बी ने 2000 से 2004 के बीच 350.80 लाख डॉलर के 10 लघुवित्त लोन प्रोजेक्ट और 131.02 लाख डॉलर के 16 लघु वित्त सहयोगी प्रोजेक्ट मंजूर किए।

1999 में 12 केंद्रीय बैंकों ने ए डी बी के साथ मिलकर लघु वित्त के विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका का चयन किया और लघु वित्त से जुड़े कार्यकलापों पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया।

कन्सलटेटिव ग्रुप टू एसिस्ट द पुअर (सीजीएपी)

यह 27 बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों तथा 2 निजी विकास एजेंसियों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर विकासशील देशों के गरीबों हेतु वित्तीय व्यवस्था निर्मित करने के लिए कार्य कर रहा है। सीजीएपी पब्लिक (सार्वजनिक) और प्राइवेट (निजी) डेवलपमेंट एजेंसियाँ वित्तीय सेवा प्रदाता को प्रशिक्षण और ज्ञान उपलब्ध कराता है।

लघु वित्त एक नज़र में

सरकार ने लघु वित्त की महत्ता को देखते हुए वर्ष 2007 में लघु वित्त क्षेत्र (विकास एवं विनियम) बिल को संसद में प्रस्तुत किया। इस बिल की खास बातें हैं -

- ⇒ नाबार्ड शीर्षस्थ संस्था होगी जो लघु वित्त को प्राधिकृत करेगी अर्थात् संपूर्ण शक्तियाँ नाबार्ड में निहित होंगी।
- ⇒ यह बिल लघु वित्त संगठनों को विकसित एवं ठीक ढंग से चलाने हेतु लाया गया है।
- ⇒ प्रत्येक एम एफ ओ (लघु वित्त संगठन) माइक्रो फाइनेंस ऑरगनाइजेशन जो भी जमा स्वीकार करेंगे अथवा देंगे उसके समस्त वित्तीय दस्तावेज़ नाबार्ड के पास जमा कराएंगे।
- ⇒ नाबार्ड की सलाह हेतु एक लघु वित्त विकास परिषद की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- ⇒ कोई भी लघु वित्त संगठन जो भी जमा राशि स्वीकारेगा उससे वह एक जमा कोष, अपने लाभ के कम से कम 15% भाग को हस्तांतरित करते हुए बनाएगा।

- ⇒ नाबार्ड द्वारा एक लघु वित्त विकास एवं समानता कोष की स्थापना इस क्षेत्र की सेवाओं के बेहतर उपयोग हेतु की जाएगी।
- ⇒ बिल के अध्याय 7 के खंड 25 में दंड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दंड के रूप में 50,000/- रुपये तक की राशि तय की गई है।
- ⇒ बिल के अध्याय 9 के खंड 30 के अनुसार केंद्र सरकार को नाबार्ड की सलाह से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- ⇒ लघु वित्त संगठन में स्वयं सहायता समूह को अलग रखा गया है परंतु स्वयं सहायता समूह को अलग रखना लघु वित्त के महत्व को ही समाप्त कर देगा क्योंकि स्वयं सहायता समूह लघु वित्त क्रांति का आधार है।

स्वयं सहायता समूह

भारत में अधिकतर लघु ऋण कार्यक्रम समूहगत ढांचों के जरिए क्रियान्वित किये जाते हैं, जिन्हें स्वयं सहायता समूह के नाम से जाना जाता है। आंकड़ों के अनुसार फिलहाल भारत में कम से कम 70-80 लाख समूह बने हुए हैं, जिनके जरिए कम से कम 7-8 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाने का दावा किया जा रहा है और इनमें से लगभग 92% स्वयं सहायता समूह सिर्फ महिलाओं के हैं। लघु ऋण विशेषज्ञ व अध्ययनकर्ता लिप्डा मायो के अनुसार क्योंकि गरीबी की बुनियाद में असमानता और भेदभाव है इसलिए जब तक सामाजिक न्याय व स्त्रियों की समानता का मुद्दा हल नहीं होगा गरीबी का मुद्दा हल नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि स्वयं सहायता समूह लघुऋण के जरिए सिर्फ गरीबी उन्मूलन ही नहीं बल्कि अन्य व्यापक उद्देश्यों को पाने का दावा भी करते हैं जिनमें एक प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण परंतु स्वयं सहायता समूह को महिला सशक्तिकरण का वास्तविक माध्यम बनाने हेतु आवश्यक है कि

इन समूहों में शिक्षा, साक्षरता व क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाए तभी ये गरीबी उन्मूलन एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के औजार बन सकते हैं।

संक्षेप में लघु वित्त एवं व्यष्टि ऋण अपनी सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक सीमाओं के बावजूद आज के जमाने का एक बहुत सामयिक, सारकान, प्रभावपूर्ण, समतामूलक विकास का साधन है।

लोकतांत्रिक तकाजे के रूप में समावेशी विकास के स्वर को गुंजित करने वाला शंखनाद अब तक असमावेशित, क्षमताहीन तबकों के लिए समुचित समावेश की तजबीज विकास प्रक्रिया या एक अर्थव्यवस्था में मानव शरीर की रक्त प्रवाहक धमनियों के समान अपरिहार्य बन गया है। छोटे तथा मझोले किसानों, हस्तशिलियों कारीगरों वाले पारंपरिक तथा नये कुटीर उद्योगों, छोटे व्यापारियों- उद्यमियों, लघु तथा निर्बल इकाइयों जो पूरी तरह वित्तीय क्षेत्र के दायरे से बाहर हो जाती है जिनका फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो जाता है उनको उनकी जरूरत के अनुसार विभिन्न उत्पादक तथा सामाजिक सुरक्षादायी मकसदों के रूप में लघु वित्त, लघु ऋण आदि के जरिए स्वायत्तता, स्वावलंबी और अच्छी गुणवत्ता वाले जीवनस्तर प्राप्त करने में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना ही इस योजना की सार्थकता है ताकि वित्तीय क्षेत्र में समावेशीकरण को प्रोत्साहन मिले, वित्त को उत्पादन रोज़गार तथा अच्छे पर्यावरण से जोड़कर गरीब किसान दस्तकार, सेवा प्रदाता आदि को बिना कमीशन, दलाली और अनावश्यक रूप से जूते घिसे बिना उचित शर्तों पर ऋण मिले। कर्ज प्रक्रिया से लालफीताशाही हटाकर उसे त्वरित, पारदर्शी एवं जवाबदेह पूर्ण किया जाए ताकि किसानों की असामयिक मौत की दर्दभरी दास्तान समावेशी, समदर्शी, सर्वहितकर विकास की बयारों के आगे थम सी जाए। तब ही प्रोफेसर यूनुस का कथन कि वे 2030 तक गरीबी को एक म्यूजियम में कैद कर देंगे साकार हो सकेगा।

बैंकों में तकनीकी विकास और कर्मचारी प्रशिक्षण

◎ विद्याभूषण मल्होत्रा
पंजाब नेशनल बैंक, एटा

आज के बदलते आर्थिक परिवेश तथा प्रतिस्पर्धापूर्ण वातावरण में तकनीकी विकास का विशेष महत्व है। विश्व के बड़े व अधिक लाभ कमाने वाले बैंकों ने उच्च तकनीकी को अपनाकर ही तेजी से विकास किया क्योंकि उन्होंने इसके महत्व को पहले ही पहचान लिया था। भारत वर्ष में तकनीकी विकास की आवश्यकता को वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर से महसूस किया जाने लगा था क्योंकि उदारीकरण से पहले बैंक मुख्य रूप से अपनी व्याजगत आय तथा चुनिंदा अनुषंगी योजनाओं द्वारा ही लाभ कमाते थे। उस समय न तो उनका कार्यक्षेत्र विस्तृत था और न ही उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता थी। प्रतिस्पर्धा की कोई गुंजाइश नहीं थी और नवोन्मेष के अवसर भी नहीं थे।

उदारीकरण के पश्चात बैंकिंग इतिहास में एक नया मोड़ आया और वह था तकनीकी विकास का। परिणामस्वरूप बैंकों ने लाभ कमाने के नये रास्ते खोजने प्रारम्भ कर दिये। जहाँ एक ओर बैंकों ने प्रतिभूति बाजार, मुद्रा बाजार, वित्तीय सेवाओं तथा उद्यम पूँजी में प्रवेश किया, वहीं दूसरी ओर बैंक आवास ऋण, पारस्परिक निधि, कैपिटल मार्केट, क्रेडिट कार्ड कारोबार तथा निर्गम प्रबंधन आदि कार्यों के लिए अपनी अनुषंगी कम्पनियाँ चला रहे हैं।

अतः बैंक अब ‘परिसर बैंकिंग’ के साथ-साथ बाजार बैंकिंग की ओर भी बढ़ रहे हैं जिससे इस बदलते बैंकिंग परिवेश में तकनीकी विकास का बहुआयामी प्रयोग बहुत आवश्यक हो गया है।

बैंकिंग सेवाएँ

आज ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं/ सुविधाएं किसी

चमत्कार से कम नहीं हैं। भारतीय बैंक संघ तथा कर्मचारी यूनियनों के बीच किया गया कम्प्यूटरीकरण समझौता इस दिशा में मील का पथर सिद्ध हुआ है। कम्प्यूटर के प्रयोग के साथ संप्रेषण पद्धति के उपयोग में आने से नई तकनीक, जिसे हम सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं, का जन्म हुआ जिसने तकनीकी विकास को नये आयाम दिये। इस तकनीक से जुड़ी सेवाओं में स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम), इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, माइकर तकनीक से चेक समाशोधन, स्मार्ट कार्ड सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज, टेलीबैंकिंग, होम बैंकिंग तथा वेबसाइट बैंकिंग इत्यादि प्रमुख हैं।

बैंकिंग उद्योग एक सेवा उद्योग है इसमें पूँजी बढ़ाई जा सकती है, उत्पाद बदले जा सकते हैं तथा तकनीक में भी परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन एक अनुभवी तथा विज्ञ कर्मचारी को बदलना आसान नहीं है। आज सरकारी क्षेत्र के बैंक स्टाफ की औसत आयु लगभग 50 वर्ष है जो तकनीकी विकास की राह में कुछ-न-कुछ बाधा अवश्य पैदा करती है। इस दिशा में स्टाफ का दृष्टिकोण भी उतना सकारात्मक नहीं है जितना होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर निजी व विदेशी बैंकों के स्टाफ की औसत आयु लगभग 30 वर्ष है और वे सभी कम्प्यूटर तथा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके ही इन बैंकों में आये हैं। कोई कम्प्यूटर विशेषज्ञ है तो कोई सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री धारक।

आज के बदलते परिवेश में युवा वर्ग निजी तथा विदेशी बैंकों की ओर ज्यादा आकर्षित हुआ है क्योंकि उसे नये-नये उत्पाद आसानी से कम लागत पर उपलब्ध हो रहे हैं।

परिणामस्वरूप आज सरकारी बैंकों का मार्केट शेयर (जमा व अग्रिम के क्षेत्र में) पिछले 5 वर्षों में लगभग 10% कम हुआ है। बैंकों को अपना ग्राहक आधार कम होता नज़र आ रहा है। अब समय आ गया है कि बैंक अधिकारी/ कर्मचारी अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लायें क्योंकि किसी भी संगठन या संस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह परिवर्तनों के साथ अपने आप को कितनी जल्दी ढालती है। जो बैंक इन्हें जितना जल्दी आत्मसात करेगा वह उतनी ही जल्दी अपने प्रतियोगियों से आगे निकल जायेगा।

कोर बैंकिंग सोल्यूशन

आज बैंकों की लगभग 60% शाखाएं कोर बैंकिंग से जुड़ चुकी हैं। वहीं अद्वृशहरी तथा ग्रामीण शाखाओं में ज्यादातर स्टाफ परम्परागत बैंकिंग वाले कार्य ही कर रहे हैं। वह अपने ग्राहकों को नये उत्पाद के बारे में जानकारी देने से कतराते हैं क्योंकि तकनीकी ज्ञान की कमी उन्हें ऐसा करने से रोकती है। समय की मांग है कि बैंक स्टाफ के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाये। उन्हें विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा तकनीकी विकास के महत्व को समझाया जाये जिससे वह जान सके कि तकनीकी कार्यप्रणाली में पारंगत होने की विधि क्या है तथा नियमों के भीतर किस सीमा तक जाकर ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दी जा सकती हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुछ ऐसे छोटे बैंक भी हैं जिनकी शाखाओं तथा स्टाफ की संख्या बहुत कम है लेकिन ये बैंक कुछ वर्षों से लाभप्रदता, प्रति कर्मचारी व्यवसाय तथा आय के क्षेत्र में अपना उच्च स्थान बनाये हुए हैं जिसका मुख्य कारण है परम्परागत बैंकिंग के दायरे से बाहर आना तथा तकनीकी विकास का अधिकतम लाभ उठाना। अतः यह सत्य है कि लाभप्रदता में वृद्धि के लिए तकनीकी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। बैंकों में तकनीकी विकास निम्न लागत का प्रवेश उपलब्ध करायेगा, उत्पादकता व परिचालन क्षमता में वृद्धि करेगा, लागतों को घटायेगा, लाभप्रदता को बढ़ायेगा तथा ग्राहक सेवा को और बेहतर करने में बैंकों का सहायक सिद्ध होगा।

तकनीकी विकास के कारण ही कार्य कुशलता, दूरी, गति, पहुँच तथा सुविधा की दृष्टि से वित्तीय सेवाओं के स्वरूप में कई तरह के परिवर्तन हुए हैं। एटीएम के बढ़ते प्रयोग ने न केवल बैंकों में लगने वाली लम्बी कतारों को काफी हद तक कम किया है बल्कि ग्राहक आधार को भी बढ़ाया है। कम्प्यूटरीकरण के कारण तेजी से लेन-देन, त्रुटि रहित प्रविष्टियाँ तथा खातों का रख-रखाव अब बेहतर ढंग से प्रारम्भ हो गया है।

बैंक पहले विक्रेता-बाज़ार में थे और अपने नियमानुसार उत्पादों का विक्रय करते थे लेकिन अब बैंक क्रेता-बाज़ार में हैं तथा ग्राहक ऐसे उत्पाद चुन रहे हैं जो उनके लिए लाभप्रद हों। अतः बैंकों को ऐसे उत्पाद विकसित करने चाहिए जिनमें ग्राहकों को संतुष्ट करने की क्षमता हो, उत्पाद की कीमत ऐसी होनी चाहिए जो ग्राहकों के सामर्थ्य के अनुरूप हो तथा ग्राहकों को सेवाएं ऐसे स्थान पर दी जानी चाहिए जहाँ वे चाहते हों। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक संतुष्ट ग्राहक ही बैंक के प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है जो हमारे ग्राहक आधार को बढ़ाता है।

उदारीकरण से पहले बैंकिंग उत्पाद अँगुलियों पर गिने जा सकते थे लेकिन तकनीकी विकास ने बैंकिंग उत्पादों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ग्राहक की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही विभिन्न बैंकिंग उत्पादों की शृंखला तैयार है। बैंक शोध द्वारा बाज़ार की दशाओं का अध्ययन, ग्राहक समूहों की पहचान, ग्राहक की अपेक्षाओं तथा वस्तुस्थिति जानने के प्रयास के साथ-साथ कम लागत वाले उत्पाद तैयार हेतु प्रयासरत हैं। एक अनुमान के अनुसार टेलर के जरिये प्रति लेन-देन लागत एक रुपये, एटीएम के जरिये 45 पैसे, फोन बैंकिंग द्वारा 35 पैसे, डेबिट कार्ड द्वारा 20 पैसे तथा इंटरनेट से मात्र 10 पैसे आती है। इसे ध्यान में रखकर ही बैंक अपनी अधिक से अधिक शाखाओं को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं। इंटरनेट के अंतर्गत खाते की आन-लाइन जानकारी प्राप्त करना, स्टाक विवरण प्रस्तुत करना, खाता खोलने का फार्म डाउनलोड करना, ड्राफ्ट बनवाने का अनुरोध करना, स्कूल की फीस जमा करने का आदेश देना और टेलीफोन, बिजली व पानी आदि के बिल का भुगतान करना शामिल है।

बढ़ती स्पर्धा

प्रतिस्पर्धा के कारण इस वातावरण में बैंकों को जल्द से जल्द अपनी शाखाओं को इंटरनेट से जोड़ना होगा जिसका लाभ निश्चित रूप से उन्हें मिलेगा क्योंकि तकनीकी विकास के द्वारा वे अपने विशाल ग्राहक वर्ग को देश के किसी भी कोने में त्वरित सेवाएं देने में सक्षम हो सकेंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि लेन-देन की लागत को तभी बचाया जा सकता है जब ग्राहक केवल नये चैनलों का प्रयोग करें न कि मौजूदा चैनलों के साथ-साथ नये चैनलों का भी प्रयोग करते रहें। अतः तकनीकी विकास की प्रक्रिया बैंकों को जल्द से जल्द पूरी करनी होगी।

कुछ बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में मोबाइल एटीएम सेवा प्रारम्भ कर दी है। इस सुविधा से विशेष रूप से उन ग्रामीण ग्राहकों को लाभ मिल रहा है जहाँ बैंक शाखाएं नहीं हैं। अक्टूबर 2007 के अंत में देश में लगभग 31,078 एटीएम कार्यरत थे। सन् 2010 तक देश में एक लाख हो जाने की सम्भावना है। आइ.आइ.टी., चेन्नई के छात्रों ने ऐसा एटीएम विकसित किया है जो वर्तमान एटीएम की अपेक्षा काफी सस्ता है। इससे लागत में कमी आयेगी और बैंक सस्ती दरों पर अपने ग्राहकों को एटीएम संबंधी सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे।

एक अनुमान के अनुसार गांवों में 44 हजार करोड़ रुपये का बाजार उपलब्ध है जो अभी तक अनछुआ है। 30 जून 2007 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की 42.7% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आज यह आवश्यक हो गया है कि इन शाखाओं में भी उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाये। कृषि कार्ड को एटीएम सुविधा से जोड़ा जाना चाहिए। किसान अपने उत्पादों को सीधा मण्डियों में बेचे इसके लिए ई कार्मस जैसी सुविधाओं का प्रचलन बैंकों को करना होगा जिसका लाभ किसानों को अवश्य मिलेगा इसके अतिरिक्त बड़े ग्रामीण इलाकों में कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ा हुआ कम्प्यूटर टर्मिनल इत्यादि सेवाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

बैंकिंग उद्योग में जल्द ही 'चेक ट्रैकेशन' पद्धति लागू होने जा रही है जो तकनीकी विकास का ही एक पहलू है। इस पद्धति में चेक अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं जाता बल्कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक छवि जाती है। इसका लाभ यह होगा कि विभिन्न शहरों के बीच चेकों की समाशोधन प्रक्रिया मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाएगी जबकि इस प्रक्रिया में पहले लगभग 15 दिन का समय लग जाता था।

भारतीय स्विकार बैंक की ओर से की गई पहल के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा अब देश के हर बड़े शहर में उपलब्ध है जिससे न केवल बैंकों के कार्य का बोझ काफी हद तक कम हुआ है बल्कि धोखाधड़ी के अवसर भी कम हो गये हैं। बैंकिंग उद्योग में जल्द ही 'चेक ट्रैकेशन' पद्धति लागू होने जा रही है जो तकनीकी विकास का ही एक पहलू है। इस पद्धति में चेक अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं जाता बल्कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक छवि जाती है। इसका लाभ यह होगा कि विभिन्न शहरों के बीच चेकों की समाशोधन प्रक्रिया मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाएगी जबकि इस प्रक्रिया में पहले हो जाएगी जबकि इस प्रक्रिया में पहले लगभग 15 दिन का समय लग जाता था।

तकनीकी विकास के इस दौर में सूचना-प्रौद्योगिकी उत्पादों की 'क्रास सेलिंग' के अवसर भी प्रदान करती है। सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि यदि किसी ग्राहक को मुख्य उत्पाद के अलावा तीन और अतिरिक्त उत्पाद बेचे जायें तो लाभप्रदता में 50% की वृद्धि की जा सकती है। अतः इस प्रतियोगी वातावरण में बैंकों को अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक उत्पाद बेचने चाहिए जिससे बैंकों की लाभप्रदता में गुणात्मक वृद्धि हो सके। बैंकों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान करें जिससे बैंकों का ग्राहक आधार तेजी से बढ़ेगा।

रिटेल बैंकिंग

रिटेल बैंकिंग विपणन को भी तकनीकी विकास ने नये आयाम दिये हैं। एटीएम सेवा, डायल सेवा, उगाही या किस्त भुगतान सेवा, मोबाइल फोन सेवा, रिचार्ज सेवा, बीमा प्रीमियम या किस्त भुगतान सेवा, मल्टी सिटी चेक सेवा, सेटेलाइट सेवा, त्वरित विप्रेषण, रेलवे टिकट बुकिंग, एयर बुकिंग तथा बिल भुगतान सेवा इसके उदाहरण हैं। कुछ सेवाएं तो बिल्कुल नई हैं जैसे मेडीकलेम, वरिष्ठ नागरिकों हेतु सेवाएं, टैक्स जमा,

डी-मैट, निवेश सेवा और वित्तीय बाजार से जुड़ी सेवाएं।

तकनीकी विकास ने न केवल बैंकों की आन्तरिक कार्यप्रणाली के बेहतर प्रबन्धन में योगदान दिया है बल्कि सूचना के त्वरित आदान-प्रदान के निर्णय लेने, नीति निर्धारण करने, योजनाएं लागू करने व प्राथमिकताओं पर बल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उच्च तकनीकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण अब बैंकों को विशाल भवनों तथा बड़े शाखा परिसरों की आशयकता नहीं पड़ती। तकनीकी विकास के कारण ही अब बैंकों ने अपने प्रशासनिक कार्यालयों की संख्या कम कर दी है और वे बेहतर ढंग से अपने अधीनस्थ कार्यालयों पर नियंत्रण रख रहे हैं। इससे स्थापना व्यय में भी भागी कमी आई है।

एक वैज्ञानिक शोध में एक बात सामने आई है कि एक सामान्य मनुष्य अपने पूरे जीवन में अपनी क्षमताओं का मात्र 7% ही उपयोग कर पाता है और उसकी 93% क्षमताएं बिना उपयोग के ही रह जाती हैं। अतः किसी भी व्यावसायिक प्रगतिशील संगठन को अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों की क्षमताओं का अपने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग लिया जाना चाहिए। योग्य कर्मचारियों को सही समय पर, सही स्थान पर, तथा सही संख्या में लगाना चाहिए ताकि वे कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

आजकल ग्राहक एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग जैसी तकनीकी सेवा भी चाहते हैं और अपने बैंकरों के साथ व्यक्तिगत प्रत्यक्ष सम्बन्ध भी रखना चाहते हैं। शिष्टाचार, आत्मीयता, सम्मान तथा मित्रता की भावना आदि का प्रदर्शन एक कर्मचारी ही कर सकता है, कम्प्यूटर नहीं। अतः ग्राहकों को सर्वोपरि मानते हुए उन्हें इस तरह की सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इस प्रतियोगी वातावरण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि ग्राहकों की संख्या में वृद्धि

की जाये तथा पुराने ग्राहकों को भी बनाये रखा जाये।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए की सेवा उद्योग की सफलता में मानव संसाधन विकास भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज न केवल अधिकारियों को बल्कि कर्मचारियों को भी मानव संसाधन विकास का प्रशिक्षण देना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्टाफ की मौजूदा कार्यकुशलता बढ़ाकर उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियाँ संभालने, उनके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने व बेहतर और कुशल ढंग से अपना कार्य करने में सक्षम बनाती है। इस बदलते परिवेश में यह भी आवश्यक हो गया है कि प्रशिक्षण तन्त्र को पुनः परिभाषित किया जाये तथा तकनीकी विकास से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जायें जिससे बैंक कर्मचारी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निपुणता हासिल कर सकें और अपने ग्राहकों को त्वरित व अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकें।

बैंकरों को उच्च स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए जो स्वायत्त संस्था हो तथा उसमें व्यावसायिक स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए।

आज के आधुनिक बैंकिंग के दौर में बैंकों को अपनी उत्पाद सेवाओं तथा विपणन प्रणाली को नये आयाम देने होंगे, ग्राहक सेवा में तत्परता तथा उत्कृष्टता लानी होगी जो तकनीकी विकास के सभी नवीनतम आयामों को अपनाकर ही सम्भव हो सकेगा। वहीं स्टाफ का संस्था के प्रति आस्थावान, भरोसेमंद तथा ईमानदार होना भी नितांत आवश्यक है। इस बदलते परिवेश में प्रबन्धकों को भी चाहिए कि वह बाजार का रूख पहचाने तथा उद्देश्यों से प्रेरित प्रबन्धकीय दृष्टिकोण अपनायें। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और बैंक भावी चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी उत्पादकता, लाभप्रदता तथा कारोबार बढ़ाने में सफल होंगे।



Carry Trade कैरी ट्रेड

कैरी ट्रेड विदेशी मुद्रा बाजार में अपनाई जाने वाली प्रमुख व्यापार रणनीति है। इस रणनीति के तहत कारोबारी को यह विश्वास रहता है कि उसे अपने मध्यावधि एवं दीर्घावधि निवेशों से कम से कम कुछ प्रतिफल अवश्य प्राप्त होगा। इसमें सटोरिए जिस करेंसी पर उच्च ब्याज दर प्राप्त होती है उसकी खरीद करते हैं और जिस पर ब्याज दर कम होती है उसे बेच देते हैं। इस तरह के कारोबार में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि हर दिन के कारोबारी ब्याज अधिशेष को संबंधित कारोबारी खाते में दर्ज किया जाता है। इस तरह से कैरी ट्रेड में किसी भी कारोबारी के प्रतिफल में बढ़ोतरी होने की पर्याप्त संभावनाएं रहती हैं।

Financial Leverage वित्तीय विशेष सुविधा

वित्तीय विशेष सुविधा में ऐसे ऋणों या उधारों का समावेश होता है जिन्हें अन्यत्र निवेश कर उच्च प्रतिफल प्राप्त किया जाता है। यह प्रतिफल ऋण या उधार ली गई राशि पर दिए जाने वाले ब्याज की राशि से काफी अधिक होना चाहिए तभी किया गया निवेश लाभप्रद माना जाएगा और फर्म लाभप्रद स्थिति में होगी। इस तरह के निवेश में लाभ अर्जित करने की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं बशर्ते किया गया निवेश ज्यादा प्रतिफल प्रदान करनेवाला हो। इसके विपरीत यदि निवेश निरर्थक हो जाए तो हानि की भी बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं क्योंकि ऋण/उधार की मूलगशि को उपचित ब्याज सहित लौटाना ही पड़ता है।

Foreclosure पूर्व मोचन

जब कोई कर्जदार ऋण लौटाने में असमर्थ हो जाता है तब उसके द्वारा ऋणदाता के साथ किए गए बंधक करार/समझौते के

संकलन : सावित्री सिंह
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

तहत ऋणदाता अपनी राशि वसूली के लिए इस प्रक्रिया को अपनाता है अर्थात् ऋणदाता बंधक/जमानत के रूप में ऋणी द्वारा रखी गई अचल संपत्ति को बेचकर अथवा उसे अपने कब्जे में लेकर अपनी मूल राशि की वसूली करता है। आमतौर पर बंधक करार का उल्लंघन अर्थात् ऋणकर्ता द्वारा भुगतान में चूक होती है और उस स्थिति में ऋणदाता संबंधित संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है। यह प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि ऋणदाता ने बंधक करार अथवा अपने ग्रहणाधिकार का पूर्व मोचन कर लिया है।

Monoline Insurers मोनोलाइन बीमाकर्ता

ये मोनोलाइन इंश्युरेस कंपनीज़ अथवा मोनोलाइन्स के नाम से भी जानी जाती हैं। जब बांड जारी करनेवाली कोई इकाई बांड की मूल राशि और ब्याज की अदायगी करने की स्थिति में नहीं होती उस समय मोनोलाइन्स अपनी वित्तीय विशेष सुविधा के तहत उस बांड की समय पर चुकौती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। चुकौती की इस गारंटी के बीमा की आर्थिक लागत की गणना के लिए बीमाकृत बांड और गैर-बीमाकृत बांड पर मिलनेवाले प्रतिफल के अंतर को लिया जाता है। मोनोलाइन्स द्वारा दी जानेवाली इस गारंटी से उन बांडों को भी बाजार में पर्याप्त स्वीकृति मिलती है जिन्हें कोई जानता नहीं और साथ ही जटिल वित्तपोषण को भी बाजार में समर्थन मिल जाता है। बीमाकृत प्रतिभूतियों में आम बांडों से लेकर म्युनिसिपल बांड, संरचनागत वित्तपोषण से जुड़े बांड एवं घरेलू व विदेशी संपादिकर उधार देयताओं का समावेश होता है।

Balloon Loan ऋण की एकमुश्त अंतिम बड़ी किस्त

ऐसा दीर्घावधि ऋण जिसमें ऋण वसूली की किस्तें इस तरह से निर्धारित की जाती हैं कि उसका पूर्ण भुगतान आगेर तक नहीं

होता और अंत में एक बड़ी राशि शेष रह जाती है। आम तौर पर इस तरह के ऋणों पर व्याज दर कम रखी जाती है। चूंकि इस तरह के ऋणों में आखिरी किस्त में शामिल राशि अधिक होती है और ऋणी को उसकी एकमुश्त अदायगी करनी होती है अतएव इसमें सबसे बड़ा खतरा ऋणी द्वारा समय पर चुकौती नहीं कर पाने का रहता है। ऋण की पूरी अवधि के दौरान मूल राशि एवं व्याज की छोटी-छोटी किस्तों में अदायगी करने से ऋणी को तो सहलियत रहती है लेकिन आखिर में बड़ी मात्रा में शेष राशि की वजह से ऋण की वसूली कई बार संदिग्ध भी हो जाती है।

Bankers Acceptance बैंकर की स्वीकृति

बैंकर की स्वीकृति से तात्पर्य है बैंक द्वारा अपने किसी ग्राहक की ओर से किसी तीसरी पार्टी को निश्चित तारीख पर निर्धारित राशि की अदायगी का वचन देना। बैंक का ग्राहक अपने बैंक से एक निश्चित राशि के लिए बैंकर स्वीकृति का दस्तावेज़ जारी करवाता है और उसे किसी व्यावसायिक लेन-देन के भुगतान के रूप में तीसरी पार्टी को सौंप देता है जो उस दस्तावेज़ को जारीकर्ता बैंक में प्रस्तुत कर उसमें उल्लिखित राशि प्राप्त कर लेती है। इस तरह से बैंकर स्वीकृति बैंक द्वारा गारंटीकृत देयता है इसलिए इसे गौण बाजार के कारोबार में प्रयुक्त किया जाता है। एक निवेशक के दृष्टिकोण से बैंकर स्वीकृति बैंक द्वारा जारी किए जानेवाले जमा प्रमाणपत्र के समान ही वित्तीय लिखत का दर्जा रखता है। यह एक सुरक्षित, तरल और लघु अवधि मुद्रा बाजार निवेश की हैसियत रखता है। दूसरे शब्दों में जब कोई लेन-देन बैंकर स्वीकृति का रूप ले लेता है तो वह जारी करनेवाले बैंक की बिना शर्त देयता के रूप में जाना जाता है।

Bermuda Option लघुमार्गी विकल्प

एक ऐसा विकल्प जो प्रतिभूति जारी करनेवाले को एक तारीख के बाद उस प्रतिभूति की किसी भी समय पुनः खरीद (कॉल बैंक) करने की सुविधा प्रदान करता है।

Cash Flow नकदी प्रवाह

वित्तीय और लेखाकरण के संदर्भ में प्रयुक्त होनेवाली एक

ऐसी संकल्पना जो किसी कंपनी के परिचालन से उत्पन्न होने वाली निवल नकद राशि को दर्शाती है। परंपरागत दृष्टिकोण एवं आम तौर पर नकदी प्रवाह से तात्पर्य है कर एवं मूल्यहास सहित सभी गैर नकदी व्ययों को घटाने के बाद शेष रही राशि। अत्याधुनिक परिभाषा के अनुसार नकदी प्रवाह से तात्पर्य है सभी नकदी बहिर्वाह एवं अंतर्वाह के बीच का शुद्ध अंतर।

Flight to Quality गुणवत्ता की ओर दौड़

यह शेयर बाजार की उस स्थिति को दर्शाती है जब आम तौर पर अचानक कोई अपनी देयताओं को पूरा करने से चूक जाता है अथवा किसी बड़ी राजनीतिक घटना की वजह से समय पर अदायगी में अड़चने आती है तब उस स्थिति में अक्सर निवेशक आर्थिक दृष्टिकोण से कम विश्वसनीय निवेशों को या तो बेच देते हैं अथवा ऐसे निवेशों में निवेश करने से पीछे हट जाते हैं तथा साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक विश्वसनीय निवेशों की अधिक खरीद करते हैं। हम सरल शब्दों में कहें तो यह मजबूत शेयरों में अधिक निवेश करने और कमज़ोर शेयरों से हाथ खींच लेने की भेड़-चाल की स्थिति को दर्शाता है।

Liquidity Reserves आरक्षित चलनिधि

किसी भी इकाई के पास उपलब्ध संसाधनों में से अप्रयुक्त ऐसे संसाधन जिनकी सहायता से भविष्य में अचानक सामने आनेवाली नई वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके अथवा निधि में अचानक आई कमी की पूर्ति की जा सके। बीसवीं सदी में अधिकांशतः आरक्षित चलनिधि को प्राथमिक आरक्षित (बैंकों से देय नकदी एवं जमाराशियां) और गौण आरक्षित (लघु अवधि, विपणन योग्य निवेश प्रतिभूतियां) के रूप में जाना जाता रहा है।

Liquidity Risk चलनिधि जोखिम

किसी वित्तीय संस्थान के लिए चलनिधि जोखिम से तात्पर्य है उसकी आस्तियों एवं देयताओं से इतनी नकद राशि का उत्पन्न हो पाना जिससे वह नकदी की मांग को पूरा कर सके। किसी बैंक के लिए नकदी की मांग से तात्पर्य है कि वह जमाराशि आहरण एवं करार के अनुसार ऋण के लिए निधि उपलब्ध करा सके। फेडरल रिजर्व ने चलनिधि जोखिम की मोटे तौर पर व्याख्या देते

हुए कहा है कि यह किसी संस्थान द्वारा अपनी आस्तियों को चलनिधि में बदलने में असमर्थ रहने अथवा पर्याप्त निधियन न मिल पाने की स्थिति में अपनी देयताओं के लिए समय पर अदायगी करने में असमर्थ रहने की स्थिति है।

Mezzanine Financing मध्यवर्ती वित्तपोषण

किसी कंपनी का स्वामित्व रखनेवाले अथवा प्रमुख निवेशकों द्वारा जोखिम पूँजी के वित्तपोषण के बाद दूसरे निवेशकर्ता द्वारा किया जानेवाला वित्तपोषण। इस स्थिति में निवेशक स्वयं ही प्रमुख निवेशक के बाद दूसरी लाइन में आने के लिए तैयार रहता है और अपने निवेश के लिए एक निश्चित प्रतिफल पाने की प्रत्याशा रखता है।

Mortgage Bonds बंधक बांड

एक सामान्य स्वरूप का सुरक्षित कार्पोरेट बांड। बंधक बांड जारी करनेवाले द्वारा निष्पादित किए जानेवाले दस्तावेजों के अनुसार इस बांड के निवेशकर्ता को ट्रस्टी के माध्यम से कंपनी/निकाय की स्थायी सम्पत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर यदि बांड से मिलनेवाली आय को कंपनी के विनिर्माण अथवा संयंत्र लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और वह आस्ति समर्थित बंधक बांड है तो संबंधित आस्ति में बांडधारक भी हिस्सेदार बन जाता है।

Prepayment Penalty पूर्वभुगतान दंड

यदि उधार लेनेवाला उधार ली गई राशि का निर्धारित समय से पूर्व भुगतान करे तो उसे दंडस्वरूप कुछ शुल्क अदा करना पड़ता है। कई बार उपभोक्ता ऋणों के संदर्भ में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। कुछ बैंक आवास ऋण के रूप में ली गई राशि के समयपूर्व भुगतान किए जाने की स्थिति में ऋणी से देय राशि के अलावा दंडस्वरूप अतिरिक्त राशि की वसूली भी करते हैं।

Risk Based Pricing जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण

अलग-अलग उधारकर्ताओं से अलग-अलग ब्याज दर वसूलने की प्रथा। इसमें प्रत्येक ऋणी की चुकौती क्षमता एवं उसके द्वारा चूक किए जाने की स्थिति के आधार पर ऋण अदायगी में निहित जोखिम का आकलन किया जाता है और उसके आधार पर अलग-अलग ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है।

Amortized Loan परिशोधित ऋण

ऐसा ऋण जो समान आवधिक किस्तों में लौटाया जाता है और उसमें मूल राशि एवं ब्याज की राशि की मात्रा अलग-अलग होती है। उदाहरण के तौर पर उपभोक्ता वस्तुओं के लिए दिए जाने वाले ऋण इस श्रेणी में आते हैं। आम तौर पर इन ऋणों की आरंभिक किस्तों में ब्याज की राशि अधिक (मूल राशि के अधिक होने की वजह से) और मूल राशि कम होती है आगे चलकर जिनका अनुपात ठीक इसके विपरीत हो जाता है।

Asset Liability Management आस्ति देयता प्रबंधन

सरल शब्दों में कहें तो आस्ति देयता प्रबंधन से तात्पर्य है किसी बैंक की आस्तियों एवं देयताओं का प्रबंधन इस तरह से करना कि बैंक के तुलन-पत्र में अधिकतम प्रतिफल हासिल किया जा सके। इसके लिए बैंक को अपने जोखिमों का आकलन कर उन्हें नियंत्रित करने के उपाय करने होते हैं अर्थात् आस्तियों और देयताओं के बीच मौजूदा असंतुलन को दूर करने तथा ब्याज दर जोखिम एवं लेन-देन जोखिम पर नियंत्रण के प्रयास किये जाते हैं।

Flight from Cash नकदी लेन-देन से परे जाना

यह नकदी लेन-देन की प्राचीनतम परंपरा वस्तु के बदले वस्तु की पद्धति को अपनाने की प्रक्रिया है। मुद्रास्फीति के विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाने पर ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है।

धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) एवं इसे रोकने के उपाय

कानूनी दृष्टि से दुनिया के समस्त व्यवसाय दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं। पहला कानूनी अथवा वैध व्यवसाय जो उस देश में प्रचलित नियम कानूनों की परिधि में संचालित होता है एवं इनमें लाभ अर्जन एक सीमा तक होता है। दूसरा गैर कानूनी अथवा अवैध व्यवसाय जो किसी कानून को नहीं मानता। उनका अपना कानून होता है तथा इस व्यापार में, जो कि समाज के हित की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता, अपार लाभ अर्जित होता है। यही अपार लाभ लोगों को इस व्यवसाय की ओर आकर्षित करता है और दुनिया के लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़ जाते हैं। वर्तमान समय में अवैध व्यापार की एक समानान्तर अर्थ व्यवस्था है और इससे जुड़े लोग अवैध तरीके से अर्जित धनराशि को बैंकिंग व्यवस्था को औजार बनाते हुए, ऐसी धनराशि में परिवर्तित करते हैं जो वैध तरीकों से अर्जित की हुई प्रतीत होती है। इसी प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग अथवा धन-शोधन की संज्ञा दी गयी है।

मनी लॉन्ड्रिंग के कारण

मनी लॉन्ड्रिंग निम्न कारणों से की जाती है-

- ⇒ धन के स्रोतों की पहचान छुपाना
- ⇒ धन के वास्तविक मालिक की पहचान छुपाना
- ⇒ धन के स्वरूप को बदलना
- ⇒ ऐसे स्थान पर, जहाँ लोगों का ध्यान कम आकर्षित हो, धन का स्थानान्तरण करना
- ⇒ ऐसे धन का अर्थव्यवस्था के अन्दर समावेश करना

मनी लॉन्ड्रिंग का माध्यम

अपराधी तत्वों द्वारा सामान्यतया बैंकों को इसका माध्यम बनाया जाता है। चूंकि बैंकों की शाखाएं/ नेटवर्क संसार में फैला हुआ रहता है। इन लोगों द्वारा गैर कानूनी तरीकों से

◎ सरजू शरण
वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशिक्षण)
बैंक ऑफ बडौदा, लखनऊ

अर्जित धन को एक स्थान से दूसरे स्थान एवं अन्ततः देश की अर्थव्यवस्था में समावेश करने हेतु बैंकों की इस स्थिति को औजार की तरह प्रयुक्त किया जाता है।

एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 800 बिलियन यू.एस. डालर से 1.6 ट्रिलियन डालर के समतुल्य अवैध तरीकों से अर्जित धनराशि के लगभग 47 प्रतिशत की मनी लॉन्ड्रिंग बैंकों के माध्यम से की जाती है।

मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया

सामान्यतया मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है:

1. प्लेसमेन्ट (स्थिरीकरण)
2. लेयरिंग (परतीकरण)
3. इन्टिग्रेशन अथवा समावेश

स्थिरीकरण अथवा प्लेसमेन्ट

इस प्रक्रिया में अवैध तरीकों से अर्जित लाभ को वित्तीय व्यवस्था में डालने का प्रयास किया जाता है। इस लाभ को छोटी-छोटी राशि में परिवर्तित कर विभिन्न खातों के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था में डाला जाता है अथवा छोटी-छोटी राशि के वित्तीय प्रपत्र यथा ड्राफ्ट / बैंकर चेक इत्यादि बनाकर खातों में जमा कर दिये जाते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार पूरी की जाती है ताकि समस्त वित्तीय लेन-देन संदेह से परे लगे। सामान्यतया यह प्रक्रिया धन के स्रोत से दूर अन्य किसी स्थान पर की जाती है।

परतीकरण अथवा लेयरिंग

इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न खातों में वित्तीय लेन-देनों का ताना बाना इस प्रकार बुना जाता है ताकि समस्त लेन-देन वैध एवं उचित प्रतीत हों। ऐसे धन का प्रयोग वित्तीय सिक्यूरिटी के लेनदेन अथवा व्यापार में भी किया जा सकता है अथवा वैध सेवा अथवा वस्तुओं की खरीद हेतु भुगतान के रूप में भी किया

जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत धन को उसके स्रोतों से बहुत दूर कर उसे वैध दिखाने का प्रयास किया जाता है।

समावेश अथवा इन्टिग्रेशन

इस प्रक्रिया में उपरोक्त तरीकों से धन को वैध तरीकों से अर्जित प्रतीत कर अन्ततः इसका देश की अर्थव्यवस्था में समावेश कर दिया जाता है। इसके लिये ये लोग अचल सम्पत्तियों की खरीद, भोग- विलास की वस्तुएं इत्यादि की खरीद अथवा किसी वैध व्यवसाय में निवेश या अन्य कोई वैध विकल्प का सहारा लेते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे

‘मनी लॉन्ड्रिंग’ प्रक्रिया सीधे-सीधे गैर कानूनी रूप से अर्जित धन से जुड़ी हुई प्रक्रिया है जिसमें इस प्रकार अर्जित धन देश की अर्थव्यवस्था में समाहित किया जाता है। देश के नीति निर्माताओं एवं वित्तीय नियामकों को इस धन के स्रोतों एवं इसके अर्थ व्यवस्था में प्रवाह की जानकारी नहीं होती है। अतः वे इसे नियन्त्रित करने में असफल रहते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

इस प्रक्रिया में चूंकि बैंकों को औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है अतः बैंकों के कर्मचारियों एवं ऐसे असामाजिक तत्वों के मध्य सम्पर्क बन जाता है। ऐसे असामाजिक तत्वों पर देश के कानून लागू करने वाली संस्थाओं की पैनी दृष्टि हरदम रहती है। अगर ये सम्पर्क इन एजेन्सियों द्वारा पकड़े जाने के उपरान्त जनता के सामने खुलते हैं तो इससे जनता के बीच बैंक की साख (रेपुटेशन) का हास होता है और वे कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। इस प्रकार बैंकों को मनी लॉन्ड्रिंग से रेपुटेशन-रिस्क एवं कानूनी रिस्क का खतरा रहता है। समाज के कुछ लोगों का आकर्षण ऐसी गतिविधियों की तरफ बढ़ता है जिससे समाज पर बुरा असर पड़ता है।

पिछले कुछ समय से आतंकवादी संगठनों एवं ऐसे असामाजिक तत्वों के बीच गठजोड़ बना हुआ है। इस गठजोड़ का वीभत्स स्वरूप सितम्बर 11, 2001 में अमरीका में ट्रिवन टावर पर हमलों एवं इसके पश्चात कई देशों में हुए आतंकवादी

हमलों, जिसमें हजारों निर्देष लोगों की जान गई, के रूप में सामने आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग विश्व शान्ति एवं सह अस्तित्व के लिये एक खतरा बनता जा रहा है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के उपाय

अपराधी तत्वों एवं अवैध व्यापार, यथा मादक द्रव्यों, हथियारों की तस्करी इत्यादि के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ के परिणाम स्वरूप संगठित अपराधों का प्रादुर्भाव हुआ। सर्वप्रथम 1980 में इस तथ्य को यूरोपियन कौन्सिल के मन्त्रियों की एक कमेटी ने पहचाना। संगठित अपराधों के अन्तर्राष्ट्रीय आयामों के महेनज़र इस कमेटी ने इसके विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि बैंकिंग प्रणाली कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेन्सियों एवं पुलिस की सहायता कर इस प्रवृत्ति से निपटने में अपनी प्रभावी निरोधात्मक भूमिका अदा कर सकती है।

तत्पश्चात कई देशों में कानून प्रणाली एवं बैंकिंग नियामकों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ और उन्होंने इस प्रवृत्ति के विरुद्ध कदम उठाये किन्तु अन्य कई देशों में बैंकिंग नियामकों के पास पर्याप्त अधिकार न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कदम प्रभावी नहीं हो पाया। कई बैंकों के नियामकों ने इस संबंध में बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेंट की बैंकिंग नियमन एवं नियामक पद्धति की बासेल कमेटी को ज्ञापन दिया। इस कमेटी का मानना था कि बैंक नियामकों का प्राथमिक कर्तव्य अपने देश की बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना एवं इसे सुदृढ़ करना है न कि प्रत्येक वित्तीय व्यवहार की वैधता की जांच करना। फिर भी बैंक नियामक अपराधी तत्वों द्वारा बैंकिंग प्रणाली के दुरुपयोग के प्रति उदासीन नहीं रह सकते क्योंकि इससे जनता के बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को ठेस पहुंचने की संभावना बहुत अधिक है जिससे बैंकिंग प्रणाली के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लग जायेगा क्योंकि बैंकिंग प्रणाली का अस्तित्व ही जनता के विश्वास पर टिका हुआ है। इस कमेटी ने बैंकिंग नियामकों से यह अपेक्षा की है कि वे अपने-अपने देश की बैंकिंग प्रणाली में उच्च स्तर की पेशेवर क्षमता एवं व्यावसायिक

सिद्धांतों एवं मानदण्डों को बढ़ावा दें।

सिद्धांतों का वक्तव्य (स्टेटमेंट ऑफ प्रिन्सिपल्स)

दिसम्बर 1988 में बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेंट द्वारा गठित बैंकिंग नियमन एवं नियामक पद्धति की बासेल कमेटी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने हेतु बैंकों में उच्चस्तरीय पेशेवर क्षमता एवं व्यावसायिक मानदण्डों को विकसित करने के उद्देश्य से एक 'सिद्धांतों का वक्तव्य' दिया गया।

साथ ही इस कमेटी ने बैंक नियमकों से यह अपेक्षा की है कि वे अपने-अपने देश की बैंकिंग व्यवस्था में इन सिद्धांतों की अनुपालन सुनिश्चित करें और ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करने हेतु कड़े नियम बनायें ताकि अपराधी तत्वों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग रोका जा सके। यह प्रतिवेदन कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं है। अतः कमेटी ने यह अपेक्षा की है बैंकिंग नियामक अपने-अपने देश के कानूनी ढांचे के अन्तर्गत रहते हुए इन सिद्धांतों की पालना करें।

प्रतिवेदन के मुख्य बिन्दु

(1) ग्राहक की पहचान

बैंकिंग सेवाओं को अपराधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग से बचाने के लिये ऐसे सभी ग्राहकों, जो बैंक में खाताधारक हैं एवं जो सेफ कस्टडी सेवाओं का उपयोग करते हैं, की सही पहचान बैंकों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(2) कानूनों की अनुपालना

बैंक प्रबंधन को अपना व्यवसाय, उच्च व्यावसायिक मानदण्डों के अनुरूप चलाते हुए देश के कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसे व्यवहार, जिसमें यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त कारण हों कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं, को सहयोग नहीं करना चाहिए।

(3) कानून लागू करने वाली संस्थाओं / अधिकारणों से सहयोग

बैंक देश की कानून लागू करने वाली संस्थाओं को, देश की कानूनी परिधि में रहते हुए, पूर्ण सहयोग प्रदान करें। कानून

को धोखा देने का प्रयास करने वाले लोगों को सहयोग न करें एवं अपराधी तत्वों / मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले खातों, जिसके बारे में पर्याप्त सबूत हों, से अपने संबंध विच्छेद करें, एवं कानून के अनुसार उचित कदम उठायें।

(4) सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करना

बैंक प्रबंधन उक्त प्रतिवेदन में दिये गये सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही अपने कर्मचारियों को इन सिद्धांतों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। इन सिद्धांतों के अनुपालन की निगरानी हेतु आन्तरिक अंकेक्षण की व्यवस्था करें।

फाइनेन्शियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)

मनी लॉन्ड्रिंग के अन्तर्राष्ट्रीय आयाम एवं वित्तीय एवं बैंकिंग व्यवस्था को इससे उत्पन्न हो रहे / भविष्य में सम्भावित खतरों के मद्देनज़र 1989 में ग्रुप -7 देशों की एक बैठक फ्रांस की राजधानी पैरिस में हुई जिसमें इस टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस टास्क फोर्स को मनी लॉन्ड्रिंग तकनीक एवं इससे जुड़े विभिन्न आयामों को जांचने, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध उठाये गये कदमों की समीक्षा करने एवं इससे लड़ने के लिये आवश्यक उपाय सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी।

शुरुआत में इस टास्क फोर्स में 16 सदस्य थे जो वर्ष 2007 में बढ़कर 34 तक पहुंच गये। इस टास्क फोर्स ने अप्रैल 1990 में मनी लॉन्ड्रिंग से कड़ाई से निपटने हेतु 40 सूत्रीय सिफारिश की। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की विस्तृत कार्ययोजना इसमें निहित थी। मनी लॉन्ड्रिंग के खतरों से निपटने के लिये इन सिफारिशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है। वर्ष 1996 एवं 2003 में ऐसी समीक्षा की जा चुकी है। वर्ष 2001 में एफ.ए.टी.एफ. को आपराधिक तत्वों के आतंकवाद को वित्त मुहैया कराने के विरुद्ध भी मानदण्ड सुझाने का लक्ष्य दिया गया। इसके विरुद्ध भी इस टास्क फोर्स ने 9 विशेष सिफारिशों की है।

वर्तमान में एफ.ए.टी.एफ. विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, यथा यू.एन.ओ.सी.डी. यूरोपीय कमीशन, इत्यादि के सहयोग से विभिन्न देशों के मध्य ऐसे संगठन के रूप में कार्य कर रही हैं जो मनी लॉन्डिंग एवं आतंकवाद को वित्त मुहैया कराने वाले संगठनों से निपटने हेतु कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ

मनी लॉन्डिंग एवं आतंकवाद को वित्त पोषण के खतरों के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ भी पूरी तरह सावचेत है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं इससे उत्पन्न अपराधों से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में एक विशेष कार्यालय यू.एन.ओ.डी.सी. की स्थापना की गई है। मनी लॉन्डिंग के विरुद्ध कार्य करने के लिये इसमें एक अलग इकाई स्थापित है। समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने भी मनी लॉन्डिंग एवं आतंकवाद को वित्त पोषण के विरुद्ध कदम उठाये हैं। जैसे:-

- ☞ वर्ष 1988 में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध अधिवेशन
- ☞ वर्ष 1999 में आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने वालों को कुचलने हेतु अधिवेशन
- ☞ वर्ष 2000 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगठित अपराधों के विरुद्ध अधिवेशन
- ☞ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधों के विरुद्ध वैश्विक कार्ययोजना पर राजनैतिक घोषणा पत्र।

11 सितंबर 2001 में अमेरिका में हुई आतंकवाद की घटना के उपरान्त सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1373(2001), इसके अतिरिक्त वित्तीय एवं बैंकिंग व्यवस्था के मनी लॉन्डिंग उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपराधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग रोकने के लिये भी संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 10 जून 1991 को सदस्य देशों को दिशा निर्देश जारी किये थे जिनको 4.12.2001 को संशोधित किया गया।

मनी लॉन्डिंग एवं आतंकवाद को वित्त पोषण के विरुद्ध एक मॉडल कानून

01.12.2005 को संयुक्त राष्ट्र संगठन के मादक द्रव्य

एवं अपराध से संबंधित कार्यालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के संयुक्त प्रयासों से एक कानून का मॉडल बनाया गया जिसमें मनी लॉन्डिंग एवं आतंकवाद को वित्त पोषण के विरुद्ध कानूनी उपाय सुझाये गये हैं। इसके साथ-साथ इसमें इन अपराधों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के उपाय भी सुझाये गये हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासंघ की अपने सदस्य देशों से यह अपेक्षा है कि सदस्य देश मनी लॉन्डिंग के विरुद्ध कानून बनाते समय इसमें दिये गये उपायों का भी अवलोकन करें ताकि इन अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी उपाय किये जा सके।

भारत में मनी लॉन्डिंग

भारत में बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग स्वतंत्रता पूर्व से ही होता आया है। स्वतंत्रता पूर्व बैंकों के संचालक एवं प्रबंधक वर्ग उन्हीं व्यापार / व्यवसायों में पैसा लगाते थे जिनमें उनके स्वार्थ निहित हुआ करते थे। स्वतंत्रता के पश्चात जब बैंक निजी क्षेत्र में थे, बैंक के मालिकों द्वारा बैंकिंग व्यवसाय का उपयोग स्वयं के हित साधनों के लिये ही किया जाता था। देश की तत्कालीन अर्थनीति के परिणाम स्वरूप भी आर्थिक क्षेत्र में कई विकृतियां, यथा जमाखोरी, तस्करी, कर वंचना इत्यादि उभरकर आई जिसके परिणामस्वरूप भी देश में काले धन की बहुत तेजी से उत्पत्ति हुई। आर्थिक सुधारों के बाद भी एक अनुमान के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में अब भी 40 प्रतिशत काला धन विद्यमान है।

अर्थव्यवस्था में स्थित यह काला धन बैंकों के माध्यम से सफेद धन में परिवर्तित होता रहा है। इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ उपाय कर रखे थे। जैसे ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पार्टी/ वर्तमान ग्राहक से परिचय लेना, देश के कानून एवं कानूनी एजेंसियों यथा आयकर विभाग / कोर्ट इत्यादि के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करना एवं कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सहयोग करना एवं जनता के हितों की रक्षार्थ, ग्राहकों के खातों की गोपनीयता के अधिकार को हटाना, आदि शामिल थे।

इतने प्रयत्नों के बावजूद भी भारत में मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रभावी तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकी।

भारत आतंकवाद का शिकार प्रथम देश है। भारत के पंजाब प्रान्त में सर्वप्रथम अपराधियों का आतंकवादियों से गठजोड़ हुआ था जिसे कहा जाता है कि पड़ोसी देश का प्रश्न भी प्राप्त था, जिसके फलस्वरूप भारत का आर्थिक रूप से संपन्न प्रदेश लगभग 15 वर्षों तक आतंकवाद की आग से झुलसता रहा। वर्तमान में तो यह स्थिति है कि इसने सारे देश में अपने पांच पसार लिये हैं और सरकार के लिये इससे निपटना आज की सबसे बड़ी चुनौती है।

मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे प्रयासों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते भारत ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध एक कानून 'प्रिवेन्सन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' पारित किया जो 01.07.2005 से लागू हुआ। इस कानून में ऐसे सभी व्यवसाय / गतिविधि शामिल हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना रहती है। जैसे मादक द्रव्यों, अवैध हथियारों का व्यापार, देह व्यापार, फिरोती, आतंकवाद, तस्करी इत्यादि। उक्त कानून की धारा 3 में मनी लॉन्ड्रिंग अपराध को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धनराशि को बेदाग धनराशि के रूप में दिखाने का प्रयास करता है, अथवा ऐसी किसी गतिविधि में सहयोग करता है, इस कानून के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि के अपराधी माने जायेंगे। इस परिभाषा में ऐसे वित्तीय व्यवहार भी शामिल हैं जिनमें धन आतंकवादी गतिविधियों को वित्त मुहैया कराने में जाता तो भले ही उस धन की उत्पत्ति का स्रोत कैसा भी हो।

ऐसे अपराधी को कम से कम 3 साल एवं अधिकतम 7 साल के कठोर कारावास और पांच लाख रुपये तक आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।

देश में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण

रखने के लिये एक वित्तीय गुप्तचर इकाई का गठन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन पर निगरानी रखने हेतु अधिकृत किया गया है।

बड़े वित्तीय संव्यवहार (दस लाख रुपये एवं इसके ऊपर) एवं संदेहास्पद वित्तीय व्यवहारों का डाटा बैंक बनाने हेतु रिजर्व बैंक के माध्यम से बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे व्यवहारों के विवरण वित्तीय गुप्तचर इकाई को नियमित रूप से तय की गयी सीमा के अंतर्गत प्रेषित करें। बैंकों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने बैंक में एक मुख्य अधिकारी की नियुक्ति करें जो अपने बैंक में धन शोधन के रोकने के कार्य पर निगरानी रखेगा एवं वित्तीय गुप्तचर इकाई से समन्वय स्थापित करेगा।

ऐसे व्यवहारों के डाटा बेस एवं अन्य देशों की वित्तीय गुप्तचर सेवाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वित्तीय गुप्तचर इकाई धन शोधन का पता लगायेगी और इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगी।

अगर कोई बैंक वित्तीय संस्था अथवा स्टॉक ब्रोकर संदेहास्पद वित्तीय व्यवहारों को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ऐसी संस्थाओं पर वित्तीय दण्ड, जो कि प्रत्येक बारी के लिये न्यूनतम 10,000 रुपये होगा, जिसे बढ़ाकर 1,00,000/- रुपये तक किया जा सकता है, भुगतना होगा। बैंक प्रबंधन से यह अपेक्षा की गयी है कि सभी स्टाफ सदस्यों को इस बारे में जानकारी दें और इसके लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था करें जिससे धन शोधन को प्रभावी रूप से रोका जा सके।

इस प्रकार अपराधी तत्वों द्वारा धन शोधन हेतु बैंकिंग व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने हेतु संसार भर में लगभग सभी देश सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब अपराधी तत्वों द्वारा आतंकवाद को वित्तपोषण रोकना भी शामिल है ताकि संसार भर में आतंकवाद को समूल नष्ट कर मानव के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके।

बैंकों में लाभप्रदता आयोजना

◎ राजेन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त अधिकारी

इंडियन ओवरसीज़ बैंक, लखनऊ

आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के लागू होने के बाद उदारीकरण, विनियमीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के फलस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का सृजन हुआ है। कठोर होते विवेकपूर्ण मानदण्ड जैसे- आय की पहचान, आस्तियों का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और पूँजी पर्याप्तता अनुपात के कारण लाभप्रदता पर दबाव बढ़ा है और सभी बैंकों के सामने लाभप्रदता बनाए रखना एक चुनौती साबित हो रही है।

वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में लागत कैसे कम की जाए तथा लाभप्रदता में वृद्धि कैसे की जाए, यह एक अहम मसला है। कोई भी बैंकिंग/वित्तीय संस्था बिना लाभप्रदता के अधिक दिनों तक टिक नहीं सकती क्योंकि किसी भी व्यवसाय का प्रयोजन लाभ अर्जित करना ही होता है। लाभ अर्जित करना तभी संभव हो सकता है जब सभी उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है- मानव संसाधन जहाँ प्रत्येक सदस्य को एक टीम भावना के साथ संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। सभी स्टाफ-जनों में इस बात की जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है कि उनकी समृद्धिशीलता बैंक की लाभप्रदता से जुड़ी है। अतएव शाखा स्तर से लाभप्रदता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को रणनीति बनानी चाहिए।

लाभ की परिभाषा

बैंकिंग लेखक डा. संपतपाल सिंह एवं डा. वी. वी. वर्डे ने लाभ के निम्न समीकरण सुझाए हैं :

लाभ = कुल स्प्रेड - कुल लागत

कुल स्प्रेड = अर्जित ब्याज - कुल भुगतान किया गया ब्याज

कुल लागत = मानव संसाधन पर किया गया व्यय + कुल परिचालन व्यय - कुल गैर ब्याज आधारित व्यय

लाभप्रदता आयोजना के लिए दीर्घ-कालिक रणनीति

दीर्घ-कालिक आयोजना एक नियमित रणनीति है जिसके तहत बाहरी परिवर्तनों का प्रभाव देखा जा सकता है, संसाधनों की पहचान की जा सकती है, आन्तरिक क्षमता को समझा जा सकता है, उद्देश्यों को निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम बनाया जा सकता है। अन्य शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि ये नीतियां भविष्य में निर्देशों को लागू करने एवं भविष्य परिचालनों पर नियंत्रण से संबंधित हैं जिससे बैंक के वांछित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

अतएव बैंक प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह लाभप्रदता आयोजना के दीर्घ-कालिक सुझावों पर ध्यान दे जिससे लाभप्रदता में वृद्धि दर्ज की जा सके :

- * तुलन-पत्र में आस्तियों एवं देयताओं का उपयुक्त मिश्रण सुनिश्चित करना,
- * जोखिम वाली आस्तियों का बेहतर प्रबंधन,
- * अग्रिमों एवं निवेश जैसे आस्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना,
- * ग्राहकों को उच्च मानक सेवाएं प्रदान करना,
- * अमध्यस्थीकरण के दुष्प्रभाव को कम करना,
- * उदारीकरण के प्रभाव पर निगरानी रखना,
- * अविनियमीकरण के प्रभाव का पूरा लाभ उठाना,
- * बैंकिंग कारोबार के बेहतर प्रबंधन द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण से उपजी परिस्थितियों का सामना करना,
- * सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना एवं
- * तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली मदों की उपयुक्त प्रायोजना

इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि उपर्युक्त सुझावों का कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए तो लाभप्रदता में वृद्धि की काफी संभावनाएँ हैं। इसके साथ ही नियंत्रक कार्यालयों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुपालन से बैंक की स्थिति मजबूत की जा सकती है। इसके फलस्वरूप तुलन-पत्र को ठोस बनाया जा सकता है। इस बारे में विस्तृत चर्चा नीचे की जा रही है :

आस्ति देयता प्रबन्धन

आस्ति देयता प्रबन्धन लाभ अर्जित करने की एक ऐसी आयोजना है, जिससे ब्याज दरों की अस्थिरता और परिपक्वता अवधि के परिवर्तन का प्रबन्धन किया जाता है। यह वित्तीय प्रबन्धन का एक एकीकृत तरीका है जिसमें बैंक द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कौन-कौन सी आस्तियां और देयताओं के बैंक के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रबन्धन द्वारा आस्तियों और देयताओं के बीच उपयुक्त मिश्रण और उनकी राशि सुनिश्चित की जाती है। जिस समय ब्याज दरों में अस्थिरता का दौर चल रहा हो उस समय आस्तियों और देयताओं का ऐसा मिश्रण होना चाहिए जिससे निवल ब्याज मार्जिन बढ़ता रहे। आस्ति देयता प्रबन्धन के माध्यम से अस्थिर आस्तियां और अस्थिर देयताओं के बीच अन्तर को नियंत्रित किया जा सकता है।

जिस समय ब्याज दरों में अस्थिरता का दौर चल रहा हो उस समय आस्तियों और देयताओं का ऐसा मिश्रण होना चाहिए जिससे निवल ब्याज मार्जिन बढ़ता रहे। आस्ति देयता प्रबन्धन के माध्यम से अस्थिर आस्तियां और अस्थिर देयताओं के बीच अन्तर को नियंत्रित किया जा सकता है।

वित्तीय सुधार कार्यक्रमों के लागू होने के पहले तुलन-पत्र तैयार होने के बाद ही लाभ का पता चल पाता था। यहां तुलन-पत्र आकार को महत्वपूर्ण समझा जाता था न कि उसकी संरचना अर्थात् आस्तियों एवं देयताओं के मिश्रण को। तुलन-पत्र को लाभप्रदता उन्मुख बनाने की कोई आयोजना नहीं थी और न ही लाभप्रदता को आस्तियों एवं देयताओं के मिश्रण से जोड़ा गया था। परन्तु आज स्थितियां बदल चुकी हैं और लाभप्रदता के लिए अल्पकालिक (एक वर्षीय) और दीर्घकालिक (तीन से पांच वर्षीय) योजनाएँ अनुमान, निष्पादन बजट के आधार पर बनाई जाती हैं।

जोखिम भारित आस्तियों का प्रबन्धन (पूँजी पर्याप्तता मानक)

वैश्वीकरण के चलते यह अनिवार्य हो गया है कि हम

अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर पूँजी पर्याप्तता अनुपात पूरा करें जो बैंकों के परिचालन और उन्हें बने रहने के लिए आवश्यक है।

आस्ति प्रबन्धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात गैर निधि आधारित व्यवसाय की वृद्धि, उच्च जोखिम भारित आस्तियों को शून्य जोखिम आस्तियों एवं स्वतः ही चलनिधि अग्रिमों में बदल देना। इस रणनीति से सकल अग्रिम पोर्टफोलियो में उच्च जोखिम भारित आस्तियों की जगह कम जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि की जा सकती है।

यहां सभी ग्राहकों को एकल खिड़की बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। यहां इस बात पर ध्यान देना आवश्यक होगा कि बैंक को ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से साध्य प्रोजेक्ट चुनने चाहिए, अच्छे आयोजकों का चुनाव करना चाहिए, ऋण प्रस्तावों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, जोखिम प्रबन्धन के दृष्टिकोण से इसकी पूरी छानबीन करनी चाहिए, उचित प्रलेखीकरण, ऋणों का उचित संवितरण, प्रभावकारी ऋण पश्चात निरीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई आदि सुनिश्चित करनी चाहिए। इन सबका उद्देश्य आस्तियों में गुणवत्ता लाना है।

देयता प्रबन्धन से तात्पर्य जमा मिश्रण की ऐसी संरचना से है जिससे ब्याज व्यय में कमी आए और लाभप्रदता में वृद्धि हो। यहां गैर निधि आधारित आय का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए बैंक कर्मचारियों को विशेष ध्यान देना होगा। ब्याज आधारित आय को गैर निधि आधारित ब्याज से जोड़कर लाभप्रदता में उच्च वृद्धि की जा सकती है। यहां यह सिद्धान्त लागू होता है कि एक बैंक का कुल मानव संसाधन पर व्यय और परिचालन व्यय मिलाकर यदि गैर-निधि आधारित ब्याज से पूरा कर लिया जाए तो लाभ ही लाभ है। अन्य शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि कुल गैर-निधि आधारित आय से ही मानव संसाधन पर व्यय और परिचालन व्यय पूरा किया जाए।

ऋणों की निगरानी

आस्तियों की गुणवत्ता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब विवेकपूर्ण मानदण्डों जैसे आय की पहचान, आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के मानदण्डों का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाए। आस्तियों की गुणवत्ता से ही अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। इसके लिए रणनीतियां यहां सुझाई जा रही है :-

- * जो अनुत्पादक आस्तियां काफी समय से लम्बित पड़ी हुई हैं उनकी वसूली के लिए ठोस और संगठित प्रयास करने होंगे,
- * मानक आस्तियों को अवमानक आस्तियों में जाने से रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए,
- * ऋण जोखिम प्रबन्धन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आस्तियां गुणवत्ता की श्रेणी में ही रहें एवं
- * ऋणों की सतत निगरानी जैसे ऋण लेखा परीक्षा, आवधिक समीक्षा एवं वसूली के लिए अनुर्ती कार्रवाई द्वारा अनुत्पादक आस्तियों को न्यूनतम स्तर पर रखना चाहिए।

आय की पहचान के लिए बेहतर आस्ति प्रबंधन एवं लाभप्रदता बढ़ाने वाली रणनीतियों का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। इसी तरह संदेहास्पद आस्तियों एवं हानिगत आस्तियों के उन्नयन के लिए संगठित प्रयास करने चाहिए।

वैश्विक स्तर की सुविधाएं प्रदान करना

वैश्विकरण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। दूरसंचार माध्यमों एवं परिवहन की आधुनिक सुविधाओं के कारण आज विश्व एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गया है। आज बैंकों को राष्ट्रीय स्तर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर दोनों में प्रतिस्पर्धा का सामना करना है। ऐसे माहौल में अपने को बनाए रखने के लिए और अपनी बाजार सहभागिता और विकास दर बरकरार रखने के

लिए उन्हें ग्राहकों को उच्च कोटि और वैश्विक स्तर की सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही उच्च सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राहकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए नए-नए उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदान करने हेतु स्टाफ को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए जिससे उनकी गुणात्मक उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। लाभप्रदता बढ़ाने के लिए विपणन रणनीतियों को भी लागू करना चाहिए।

उदारीकरण के प्रभाव का प्रबन्धन

उदारीकरण, विनियमीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव एवं वित्तीय कारोबार का विविधीकरण, ब्याज दरों का अविनियमन, रुपए की परिवर्तनीयता और कारोबार में पारदर्शिता के कारण बैंकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। आज बैंकों को अमध्यस्थीकरण की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ऋणकर्ताओं को अनेक विकल्प उपलब्ध हैं और वे कम दर पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से भी ऋण ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब बैंकों में तरलता अधिक होती है तो वे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। यद्यपि यह आर्थिक विकास की दृष्टि से सही नहीं है फिर भी बैंक ऋणों के जोखिम से बच जाते हैं।

अतएव बैंकों को लाभप्रदता अर्जित करने के लिए दीर्घ कालिक योजना बनाकर रणनीतियों को लागू करना चाहिए। इसके लिए तुलन-पत्र का विश्लेषण कर व्यवसाय की शक्ति और कमजोरियों का अध्ययन करना चाहिए, उत्पादों और सेवाओं का विपणन करने के लिए नए-नए उपयुक्त बाजारों की तलाश करनी चाहिए। साथ ही शुल्क आधारित आय को बढ़ाने के लिए सभी संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। लाभप्रदता बढ़ाने में ग्राहक संतुष्टि का विशेष स्थान है अतएव नए ग्राहकों को बैंक में लाने, पुराने ग्राहकों को बैंक में बनाए रखने को वरीयता देनी चाहिए।

अविनियमन से लाभ

अविनियमन के अन्तर्गत बैंकों को स्वतंत्रता होती है कि वे

अपने ऋणों एवं जमाओं पर ब्याज दर स्वयं निर्धारित करें। इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीकृत व्यवस्था एवं वित्तीय नवोन्मेषिता आवश्यक है।

अविनियमन द्वारा निर्धारित वातावरण से अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए संसाधनों का बेहतर अभिनियोजन, कार्यक्षमता में वृद्धि और स्टाफ की उत्पादकता बढ़ाकर किया जा सकता है। बैंकों को आने वाले जोखिम एवं आशंकाओं का सामना करने के लिए और अपने को बनाए रखने के लिए अपनी नीतियों को बनाना चाहिए। आस्ति-देयता के बेहतर प्रबंधन द्वारा आय, लागत और परिपक्वता अवधि के बीच सामंजस्य स्थापित कर लाभप्रदता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

बेहतर प्रबंधन द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बैंकों को निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाना चाहिए :

- * गैर लागत एवं कम लागत की जमा योजनाओं द्वारा संग्रहण बढ़ाना,
- * ग्राहक सेवाओं में मानकीकरण लाना,
- * लेन-देन की लागत और अन्य परिचालन लागत कम करने के लिए और ग्राहकों को त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए,
- * ग्राहकों की मांग के अनुसार उत्पादों और सेवाओं को विकसित किया जाना चाहिए, इसमें आने वाले जोखिमों के प्रबंधन के बारे में समुचित उपाय किया जाना चाहिए, आस्तियों और परिचालन की गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए,
- * उपलब्ध बाजार को वर्गीकृत कर देना चाहिए इसी के आधार पर ग्राहकों को चुनकर व्यवसाय में वृद्धि करनी चाहिए,
- * मानव संसाधन का बैंकों की लाभप्रदता में विशेष योगदान है अतएव उनके ज्ञान में वृद्धि करना, उनके कौशल को बढ़ाना, उनके विचार भाव में सार्थक परिवर्तन लाना जिससे उत्पादकता में वृद्धि की जा सके, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके और उन्हें बाजार उन्मुख बनाया जा सके।

इस रणनीति के आधार पर बाजार में मध्यमवर्गीय लोगों के लिए बैंकों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के बारे में ग्राहकों में जागरूकता पैदा करना, इसके बारे में उन्हें पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करना जिससे वे सही समय पर निर्णय ले सकें। साथ ही गैर-निधि आधारित व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए।

इस रणनीति का जो दूसरा हिस्सा है वह है ग्राहकों के लिए सहज और सरल रूप में सेवाएं उपलब्ध कराना, उनकी सुविधा को ध्यान में रखना, सेवाओं में मानवता का पुट देना, बाजार में प्रचार-प्रसार करना, सेवाओं में गुणवत्ता, सुरक्षा, गति, बेहतर प्रबंधन आदि सुनिश्चित करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना

यदि हम पिछले दो दशकों का इतिहास देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी का बैंकों में अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है। चूंकि बैंकिंग एक सेवा उद्योग है इसमें अधिक से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाएं हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग से कुछ चुनौतियां भी खड़ी हो गयी हैं, जैसे रोजगार के अवसरों में कमी आना, विस्थापन, अयोग्यता के कारण छंटनी, स्टाफ की बहुलता आदि। अतएव इन सब समस्याओं से जूझने के लिए प्रशिक्षण देना, मानव संसाधन को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने लायक बनाना अत्यन्त आवश्यक है।

सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश तभी सार्थक होगा जब व्यवसाय में वृद्धि होगी, ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता आएगी और लाभप्रदता बढ़ेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी के आने से कम्प्यूटर फ्राड (धोखाधड़ी) की संभावनायें बढ़ रही हैं अतएव इसके परिचालन में सावधानी एवं सतर्कता बरतनी पड़ेगी। इसके लिए कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण और सिस्टम का नियमित लेखा परीक्षण एवं सुरक्षा के सभी उपाय किए जाने चाहिए।

कम्प्यूटर से असीमित लाभ हैं, इससे प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट तुरन्त उपलब्ध हो जाती है जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया

में तेजी आती है। बैंकों में कम्प्यूटर द्वारा अति संवेदनशीलता विश्लेषण (सेन्सिटीविटी एनालिसिस) किसी भी समय की जा सकती है, जो लाभप्रदता आयोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है।

तुलन-पत्र के अतिरिक्त कारोबार की आयोजना

स्प्रेड में कमी आने के कारण ब्याज के अतिरिक्त आय के अन्य स्रोतों को खोजना आवश्यक है। इसमें गैर-निधि आधारित आय और शुल्क-आधारित आय शामिल हैं जैसे- बैंक गारण्टी, ऋण साख पत्र, पारम्परिक वित्त, निवेश संबंधित लेन-देन आदि।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2008 में घोषित मौद्रिक एवं ऋण नीति में ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। नकदी आरक्षित अनुपात 8.25 प्रतिशत तक कर दिया गया है जो दो चरणों - प्रथम 50 आधार अंक और द्वितीय 25 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। इस तरह 75 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। इस कदम से बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन पर 15 से 20 आधार अंकों की कमी आ सकती है। इस बीच वर्ष 2008-09 में ऋणों की वृद्धि 20 प्रतिशत तक अनुमानित है जबकि 2007-08 में यह 22 प्रतिशत रही। अतएव बैंकों के समक्ष लाभप्रदता बढ़ाने का एक मात्र विकल्प अन्य आय और शुल्क आधारित आय को बढ़ाने से ही संभव है।

बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन

पते में परिवर्तन

कार्यकारी संपादक
बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन
भारतीय रिजर्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
गारमेट हाउस, वरली, मुंबई - 400 018.



भारतीय समस्याओं का समाधान भारतीय ही हो सकता है



इंडियन ओवरसीज़ बैंक के स्टाफ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री समीर बर्स्त्वा न केवल ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हैं बल्कि अपने कार्यों में भी उतनी ही उर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अनुभव के साथ-साथ वे व्यावहारिक पक्ष पर भी उतना ही ध्यान देते हैं और यही कारण है कि उनका महाविद्यालय अपनी प्रगति की सीढ़ियां सफलता के साथ पार कर रहा है। उनसे महाविद्यालय की गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई उनकी धाराप्रवाह विचारधारा से चुने हुए उनके कुछ विचार:

- सरकारी नीतियों और आम आदमी के बीच बैंक मध्यस्थ का कार्य कर सकते हैं।
- बैंकिंग का काम आम आदमी तक पहुंचना है और उसे सहायता का हाथ देना है।
- प्रशिक्षण वास्तव में देखा जाए तो एटिट्यूड, स्किल एवं नॉलेज का संमिश्रण है- इन तीनों को साथ रख कर हम दुनिया के किसी भी विषय को आसानी से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं।
- प्रशिक्षण के लिये विदेशों की तरफ ताकने का अर्थ यह नहीं है कि हमारे पास प्रशिक्षण का स्तर नहीं है- वास्तव में हमें नहीं भूलना चाहिये कि भारतीय समस्याओं का समाधान भारतीय ही हो सकता है। उनकी सोच, उनकी धारणायें और उनके शब्द, हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। फिर हम भी तो लगातार अपने आपको अपग्रेड कर रहे हैं।
- आज बैंकिंग प्रशिक्षण में प्रोफेशनल एप्रोच आ गया है। हमने फेकल्टी को सेंसेटाइज किया है - यह ठीक है कि कुछ मामलों में हम पिछड़े हैं परंतु इतने भी नहीं कि विषय को समझ न सके।
- हमारे यहां ग्रामीण योजनाओं के कार्यान्वयन असफल होते हैं क्योंकि हम ग्रामीण जीवन से जुड़े बिना वहां के निर्णय लेते हैं।
- मेरा फलसफा तो यह है कि हमे रूटीन से परे जाना चाहिये। यदि कोई उल्लेखनीय कार्य करना है तो वन शुड गो बियांड रूटीन ... फिर देखिये चमत्कार।
- वर्क कल्चर के पैमाने पर देखें तो हम उल्टे जा रहे हैं - रिवर्स - अधिकारी लिपिक का काम कर रहा है, दफ्तरी का काम कर रहा है, टाइपिस्ट हो रहा है और कलर्क.. बस समझ लीजिये हम वो नहीं हैं जो होने चाहिये।
- पोजिटिव सोच ही हमें आगे ले जाती है वर्ना हम एक कदम आगे तो दो कदम पीछे की दुविधा में उलझे रह जाते हैं।

इन्हीं विचारों के परिप्रेक्ष्य में, चलिए आपको ले चलते हैं- इंडियन ओवरसीज़ बैंक स्टाफ महाविद्यालय में, जहां एक हराभरा माहौल आपका स्वागत करेगा। खूबसूरत पेड़-पौधों के बीच वो जो नामपट्ट हम देख रहे हैं- वहीं है ... इंडियन ओवरसीज़ बैंक स्टाफ महाविद्यालय



वास्तव में इंडियन ओवरसीज़ बैंक की अपनी सुव्यवस्थित प्रशिक्षण व्यवस्था है जो आधुनिक बैंकिंग की अपेक्षाओं को पूरा करती है। इस व्यवस्था से बैंक के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को भारत भर में स्थापित अपने 9 प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा पूरा किया जाता है। कोयंबत्तूर में एक ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण केंद्र है और चेन्नै में पूर्णतः साधन संपन्न स्टाफ महाविद्यालय है जो बैंक की प्रशिक्षण व्यवस्था का केंद्रीय प्राधिकरण है।

प्रशिक्षण तंत्र का नियंत्रण एक गवर्निंग बोर्डी द्वारा होता है जिसके अध्यक्ष, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय हैं व सभी महाप्रबंधकगण, प्राचार्य इसके सदस्य हैं, श्री समीर बरुआ स्टाफ महाविद्यालय के प्राचार्य हैं।

आपको बतादें कि चेन्नै के कीलपॉक के मिलर्स रोड में एक किराए के परिसर में सन् 1957 में बैंक की प्रशिक्षण व्यवस्था ने अपना काम प्रारंभ किया और बाद में केंद्रीय कार्यालय परिसर में अपना स्थान-परिवर्तन किया। इसके पश्चात् लगभग 16 वर्षों तक

माउण्ट रोड में (एल आई सी भवन के सामने) एक किराए के मकान में अपना काम करता रहा और तत्पश्चात् सन् 1992 में अण्णा नगर में अपने आवासीय परिसर में निवास परिवर्तन कर लिया।

अण्णा नगर के पास 4.5 एकड़ भूमि के फैलाव में बने अहाते में शांतिपूर्ण वातावरण में, एक तरफ चेन्नै के रिंग रोड और दूसरी तरफ कूवम नदी के किनारे स्टाफ महाविद्यालय स्थित है।

महाविद्यालय चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 8 किमी की दूरी पर है। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने का पूनमल्ली हाई रोड (ई वे आर पेरियार रोड) सीधे कोयम्बेडु राउण्ड-टाने को जाती है। वहाँ से दायीं ओर मोड़ लें और कूवम नदी के उस पार जाने से अण्णा नगर द्वार के पहले बायीं ओर महाविद्यालय दिखता है। महाविद्यालय विमानपत्तन से कतिपारा जंक्शन, अशोक पिलर, वडपलनी जंक्शन, रिंग रोड होकर कोयम्बेडु सर्कल (जवाहरलाल नेहरू रोड) 16 किमी की दूरी पर है।

शैक्षिक व प्रशासनिक भवन

इस भवन में दृश्य-श्रव्य सुविधायुक्त सम्मेलन हॉल स्थित है जिसमें लगभग 132 प्रतिभागी बैठ सकते हैं। यहां पर विडियो कान्क्षेसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। विभिन्न वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के लिए सात प्रशिक्षण कक्ष हैं। प्रत्येक कक्ष में 25 से 50 प्रतिभागी बैठ सकते हैं। शोर-मुक्त वातावरण में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सभी प्रशिक्षण कक्षों में विभक्त वातानुकूलन सुविधा प्रदान की गयी है। महाविद्यालय में 16 संकाय सदस्य हैं।

कंप्यूटर प्रयोगशाला

कंप्यूटर के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए महाविद्यालय में दो कंप्यूटर प्रयोगशालाएं लगाई गयी हैं।

पुस्तकालय

प्रशिक्षणार्थियों के उपयोगार्थ पुस्तकों से भरा पुस्तकालय उपलब्ध है जिसमें वातानुकूलित पठन कक्ष भी उपलब्ध है। बैंकिंग, प्रबंध, उधार, विदेशी विनियम, प्रवृत्ति विज्ञान, औद्योगिक ऋण, ग्रामीण ऋण, ग्राम विकास, वित्त आदि विभिन्न विषयों पर 5000 से अधिक पुस्तकों का संग्रहण उपलब्ध है। प्रशिक्षणार्थियों तथा संकाय-सदस्यों के लाभार्थ सभी प्रमुख समाचार पत्र-पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं। हिंदी व तमिल भाषा की किताबें भी उपलब्ध हैं।

दृश्य, श्रव्य, फिल्म संग्रहालय

महाविद्यालय बैंकिंग व संबद्ध विषयों पर दृश्य-श्रव्य कैसटों व फिल्मों से साधन-संपन्न है।

छात्रवास

छात्रवास के दो भवन हैं जिनमें एक कमरे में दो के हिसाब से 132 प्रशिक्षणार्थियों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। कमरे वातानुकूलित, साज-सामान तथा स्नानगृह युक्त हैं।

कैंटीन

दो मंजिलों के कैंटीन भवन में प्रशिक्षणार्थियों के खान-पान की तैयारियों के लिए रसोई की आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गयी हैं। खान-पान परोसने के लिए तीन हाल हैं।

दवाखाना

कैंटीन भवन की पहली मंजिल में दवाखाना हैं और प्रातःचिकित्सा अधिकारी आते हैं। आपातकाल में काम आने के लिए दो शय्याएँ उपलब्ध हैं।

खेल

प्रशिक्षणार्थियों / संकाय-सदस्यों तथा महाविद्यालय के स्टाफ-सदस्यों के लिए इनडोर व आउटडोर खेलकूद की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

विभिन्न विषयों पर हम बैंक / संस्थान-विशिष्ट कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं।

महाविद्यालय के अन्य कार्यकलाप

महाविद्यालय के संकाय-सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए भिन्न-भिन्न तरीके से अपना ज्ञान बांटते हैं।

विद्या दीपम

यह महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित तिमाही सूचना पत्र है जो प्रशासनिक कार्यालयों तथा शाखाओं के आंतरिक परिचालन के लिए होता है। स्टाफ के अनुरोध पर इसकी एक प्रति निःशुल्क भेजी जाती है।

अध्ययन मंडल

संकाय सदस्यों द्वारा बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिए जाने से जो ज्ञान हासिल किया जाता है उसे आपस में बाँट लेने के उद्देश्य से महाविद्यालय अध्ययन मंडल की बैठकों का आयोजन करता है। हमारे संकाय-सदस्यों के अलावा अन्य संस्थानों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संबोधन की भी व्यवस्था की जाती है।

अध्ययन, अनुसंधान, सर्वेक्षण

महाविद्यालय द्वारा बैंकिंग तथा संबद्ध विषयों पर तरह-तरह के अध्ययन, अनुसंधान, सर्वेक्षण किये जाते हैं और उनकी रिपोर्ट विभिन्न विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाती है।

अभ्यागत संकाय सहायता

महाविद्यालय शाखाओं में विदेशी विनिमय, ग्राहक सेवा, उधार जैसे कुछेक विशिष्ट क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।

अतिथि संकाय सहायता

हमारे संकाय सदस्यों की निपुणता से प्रभावित होकर कुछेक अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनकी सहायता ली जाती है। अन्य बैंकों के अधिकारियों के लिए विदेशी विनिमय पर चुनिंदा केंद्रों में फ्रेडाई प्रायोजित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम

हमारे बैंक के पंचाट कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए प्रति वर्ष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों को हमारे अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय / तकनीकी संस्थानों के बैंकिंग से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाता है।

सम्पूर्ण

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै ने गावों के समग्र विकास के लिये 'सम्पूर्ण' नाम की योजना बनाई है जिसे कई गावों में लागू किया गया है।

स्टाफ़ प्रशिक्षण केंद्र

लिपिकीय व अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए विभिन्न स्थानों में बैंक के अपने दस प्रशिक्षण केंद्र हैं जो भुबनेश्वर, कोलकाता, चेन्नै, कोयम्बतूर, मदुरै, तिरुवनन्तपुरम, तंजाऊर, मुम्बई, हैदराबाद व नई दिल्ली में स्थित हैं। ये केंद्र तीन या चार क्षेत्रों के स्टाफ़ सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए एक या दो प्रशिक्षणालयों सहित प्रमुख स्थान में स्थापित हैं। इन केंद्रों में अधिकारियों के लिए भी कुछेक कैप्स्युल कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है।

तो रहा ना आपकी परिक्रमा का यह रोचक सफर सूचनापरक और मजेदार। अगली बार अन्य किसी महाविद्यालय में होगी मुलाकात।

◆
प्रस्तुति : डॉ. पुष्पकुमार शर्मा



रिवर्स मोरगेज योजना - बुजुर्गों का सहारा

◎ ओम प्रकाश अग्रवाल
सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुम्बई

आज सब ओर बदलाव का दौर चल पड़ा है। आधुनिकीकरण, शहरीकरण और एकल पारिवारिक प्रणाली में तेजी का दौर है। सामान्यतया लोग खुश नजर आ रहे हैं। परन्तु अभी भी समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग कई प्रकार की परेशानियों को झेल रहा है - वह वर्ग है, बुजुर्ग एवं वरिष्ठ नागरिकों का। ऐसे नागरिक, जिन्होंने

60 वर्ष की उम्र पार कर ली हो और जिनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु नियमित आय का जरिया नहीं हो, उनकी मुसीबतों का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु वे दूसरों पर निर्भर हैं। बुढ़ापे में संतान की उपेक्षा भी सहन करनी पड़ती है। जमा पूँजी

अथवा संपत्ति के नाम पर उनके पास महज अपना एक घर होता है। समाज के वरिष्ठ नागरिकों की तनावमुक्त जिन्दगी व्यतीत करने की लालसा बनाए रखने तथा उनके स्वाभिमान की रक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2007 के अपने बजट भाषण में रिवर्स मार्गेज योजना का जिक्र किया था। इस योजना के अन्तर्गत बुजुर्ग नागरिकों को उनके मकान को गिरवी रखकर 15 वर्ष तक एक नियत रकम भुगतान की व्यवस्था की जाती है।

परिचय

जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, रिवर्स बंधक, सामान्य बंधक के विपरीत है। सामान्य बंधक प्रक्रिया के अंतर्गत लोग कर्ज लेकर लगातार सावधिक तौर पर उसे चुकता करते हैं। लेकिन रिवर्स मोरगेज के अंतर्गत एक वरिष्ठ नागरिक अपने घर को बंधक रखकर बदले में आवधिक भुगतान अपने जीवन के शेष काल में प्राप्त करता है। इस अवधि में वरिष्ठ नागरिक

यह एक वार्षिकी कार्यक्रम की तरह कार्य करता है जिसमें एक नियत आमदनी मकान मालिक को मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर वितरित की जाती है। इस योजना में वे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे ऊपर है, अपनी संपत्ति किसी बैंक या गृह वित्त कंपनी के पक्ष में बंधक रखकर नियमित गृह आमदनी प्राप्त करते हैं और साथ ही उसमें उन्हें रहने की इजाजत भी रहती है। यह गृह कर्ज व्यवस्था सन् 2007-08 के बजट से प्रारंभ की गई है जो कि उन वरिष्ठ नागरिकों के लिये उपयोगी है जिनके पास गृह संपत्ति

अपने घर में अपनी पत्नी/ अपने पति के साथ रहना भी जारी रख सकते हैं। उन्हें इस राशि को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक वार्षिकी कार्यक्रम की तरह कार्य करता है जिसमें एक नियत आमदनी मकान मालिक को मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर वितरित की जाती है। इस योजना में वे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे ऊपर है, अपनी संपत्ति किसी बैंक या गृह वित्त कंपनी के पक्ष में बंधक रखकर नियमित गृह आमदनी प्राप्त करते हैं और साथ ही उसमें उन्हें रहने की इजाजत भी रहती है। यह गृह कर्ज व्यवस्था सन् 2007-08 के बजट से प्रारंभ की गई है जो कि उन वरिष्ठ नागरिकों के लिये उपयोगी है जिनके पास गृह संपत्ति होने के बावजूद आमदनी का कोई निश्चित जरिया नहीं होता है।

रिवर्स बंधक कर्ज के मार्गदर्शी सिद्धान्त

राष्ट्रीय आवास बैंक ने इस नई योजना के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं, जो इस प्रकार हैं :-

- 1) बंधक कर्ज अधिकतम 15 वर्ष हेतु लिये जा सकते हैं। यदि स्वयं मालिक या उसकी पत्नी (या पति) कर्ज के समय तक भी जीवित हो, तो वह उस घर में रह सकते हैं। सिर्फ उन्हें समयावधि के बाद ऋण का आवधिक मासिक भुगतान नहीं होगा।
- 2) कर्ज लेने वाला व्यक्ति 60 वर्ष या उसके ऊपर की उम्र का हो जिसके नाम पर वह संपत्ति (मकान/फ्लैट/बंगला) हो। यह संपत्ति आवासीय होनी चाहिए। शादीशुदा युगल संयुक्त कर्जदार के रूप में हो सकते हैं। यदि संयुक्त

- कर्जदार के रूप में कर्ज लिया जाता है तो पति-पत्नी दोनों में से किसी एक का 60 वर्ष से ज्यादा आयु का होना जरूरी है। दूसरा साथी, यदि कर्ज लेते समय 60 वर्ष से कम आयु का हो तो भी कर्ज दिया जा सकता है।
- 3) आवासीय संपत्ति, स्वयं-अधिग्रहीत हो, उसमें वे स्वयं रहते हों और यह संपत्ति ऐसी हो जिसमें वरिष्ठ नागरिक की मालिकी हो और गृह संपत्ति का शेष जीवन कम से कम 20 वर्ष बचा हो।
 - 4) कर्ज की राशि निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहेगी -
 - ☞ संपत्ति का बाजार मूल्य
 - ☞ कर्जदार, अर्थात् वरिष्ठ नागरिक की आयु
 - ☞ कर्ज की वर्तमान ब्याज दर
 - 5) यदि वरिष्ठ नागरिक, कर्ज के किसी भाग का पूर्व-भुगतान करते हैं तो उन पर कोई शुल्क या जुर्माना नहीं लगाया जायेगा।
 - 6) कर्ज राशि वरिष्ठ नागरिक की वर्तमान आय के आधार पर गृह संपत्ति के बाजार मूल्य का 40 से 60 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। ज्यादा उम्र होने पर वरिष्ठ नागरिक को ज्यादा कर्ज मिलेगा।
 - 7) उधारकर्ता संस्था, हर 5 वर्ष में संपत्ति का बाजार-पुनर्मूल्यांकन करती रहेगी और कर्ज की राशि का संशोधन, इस पुनर्मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
 - 8) इस योजना में प्राप्त राशि, सिर्फ विशेष जरूरतों में ही इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे, घर का रखरखाव, पेंशन या अन्य आमदनी को बढ़ाने में, चिकित्सा खर्च और आपातकालीन खर्चों में, घर से संबंधित कर्जों को चुकाने में और अन्य यथार्थ खर्चों में।
 - 9) कर्ज राशि का भुगतान मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक या वार्षिक हो सकता है। एकमुश्त राशि भी ली जा सकती है। लेकिन यह विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है, जैसे

कि चिकित्सा, आपातकाल, रखरखाव/घर का नवीकरण आदि।

- 10) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि को आमदनी नहीं माना जा सकता है। इसलिए इसके अंतर्गत प्राप्त राशि (चाहे मासिक या वार्षिक ही क्यों न हो) को आयकर अधिनियम के लिये आय नहीं माना जायेगा।

योजना का प्रारंभ

सबसे पहले यह योजना पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अप्रैल, 2007 में आरंभ की गई। इस योजना को बैंक ने ‘पीएनबी-बागवान’ नाम दिया है। इस योजना में कर्ज की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये रखी गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कर्जदार अपना एक करोड़ का आवासीय मकान 10 वर्ष के लिए इस योजना में गिरवी रखता है तो उसे 49,000/- रुपये मासिक का कर्ज मिलेगा। यह योजना प्रायोगिक तौर पर 30 सितम्बर, 2007 तक के लिए बनाई गई। इसका अनुभव आने के बाद इसमें संशोधन कर इसमें अन्य बातों को भी शामिल करने की व्यवस्था थी। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक इलाहाबाद बैंक द्वारा 20 लाख रुपये तक की रिवर्स मोरेज योजना लागू की गई है।

निजी वित्तीय संस्था, दीवान हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ने अपनी ‘सक्षम’ योजना में रिवर्स बंधक कर्ज देना प्रारंभ किया है। यह संपत्ति के 90 प्रतिशत ब्याज सहित कर्ज देना स्वीकार करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि गृह संपत्ति का मूल्य 10.00 लाख रुपये है तब कर्ज राशि और उसका ब्याज मिलाकर यह संस्था 9.00 लाख रुपये कर्ज देगी। यदि ब्याज दर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष होती है और यह सिर्फ 10 वर्ष के लिये ही पात्र हैं तब मासिक भुगतान के रूप में, कर्जदार को 3,900/- रुपये ही प्राप्त होंगे। यह कंपनी उन गृह संपत्तियों पर वरिष्ठ नागरिकों को रिवर्स बंधक कर्ज नहीं देती जो 20 वर्ष से ज्यादा पुरानी है।

कर्ज अवधि के बाद आय

यदि गृह संपत्ति का मालिक या उसकी पत्नी या पति कर्ज अवधि के बाद भी जीवित रहते हैं तो वह उस इमारत में रह सकते हैं। लेकिन उन्हें कर्ज की जो राशि मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक जो

अभी तक मिल रही थी, मिलनी बंद हो जायेगी।

ब्याज दर

राष्ट्रीय आवास बैंक की सिफारिशों के अनुसार ब्याज दर वित्तीय संस्था द्वारा ही निश्चित की जा सकती है और यह जोखिम-ज्ञान और कर्ज मूल्य निर्धारण नीति के आधार पर निश्चित होगी। यह ब्याज दर स्थिर या चलायमान (फ्लोटिंग) कोई भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए, शर्तों का पारदर्शी प्रकटीकरण होना जरूरी है। इन सभी बातों का ध्यान रखने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने इस बंधक पर ब्याज दर 10 प्रतिशत (स्थिर) वार्षिक निश्चित की है जबकि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यह ब्याज दर प्रत्येक व्यक्ति के कर्ज की मात्रा के अनुसार निश्चित करती है। यह 12 प्रतिशत से 16 प्रतिशत सीमा में हो सकती है।

कर्ज वापसी

एक बार जब कर्ज अवधि पूरी हो जाती है तो वरिष्ठ नागरिकों के देहान्त के बाद उनके वारिसों द्वारा राशि चुकायी जा सकती है। लेकिन वारिसों द्वारा राशि की अदायगी नहीं करने पर बैंक/वित्तीय संस्था जिसने रिवर्स बंधक किया था, उस संपत्ति को बेच कर अपना कर्ज वसूल कर सकती है। कुछ मामलों में यह भी हो सकता है कि संपत्ति को ऊँची कीमत पर बेचा जाए। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त राशि वरिष्ठ नागरिक के वारिसों को भुगतान की जायेगी।

कर्ज दस्तावेज

इस कर्ज में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता रहती है :-

- * निवास स्थान का प्रमाण
- * पिछले 6 माह का बैंक खाते का विवरण
- * पिछले 3 माह के बिजली/पानी एवं टेलीफोन बिल की प्रतियाँ
- * फ्लैट से संबंधित हाउसिंग सोसाइटी से पिछले 6 माह के रखरखाव खर्चों की रसीदें
- * संपत्ति की सीमा का प्रमाणपत्र/बीमा पॉलिसी
- * राशन कार्ड की प्रति

समय-पूर्व भुगतान

राष्ट्रीय आवास बैंक के नियमानुसार, रिवर्स बंधक कर्ज ब्याज सहित समय-पूर्व भी चुकाया जा सकता है लेकिन वित्तीय संस्था भुगतानकर्ता से कोई भी पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लेगी।

संपत्ति का मूल्यांकन तथा उम्र

राष्ट्रीय आवास बैंक ने मूल्यांकन अनुपात कर्जदार की बढ़ती उम्र के साथ इस प्रकार रखा है :-

उम्र	संपत्ति का अनुपातिक प्रतिशत
60 से 70 वर्ष	45 प्रतिशत
71 से 75 वर्ष	50 प्रतिशत
76 से 80 वर्ष	55 प्रतिशत
80वर्ष से ज्यादा	60 प्रतिशत

इसको इस प्रकार रखने के दो मूल कारण हैं। पहला उम्र बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ते हैं और आमदनी कम होती जाती है और दूसरा यह कि उम्र जितनी ज्यादा होगी, वित्तीय संस्था द्वारा किया जाने वाला मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक भुगतान उतना ही कम होगा (क्योंकि मृत्यु की संभावना उतनी ही नजदीक होती जाती है)।

परिणाम

यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को न केवल स्वावलंबी बनायेगी अपितु वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों के वारिसों द्वारा धन/संपत्ति हड्डपने की घटनाओं में भी कमी आयेगी क्योंकि वारिस बिना पूरा भुगतान किये संपत्ति को छुड़ा नहीं सकते। इससे वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वित्तीय तकलीफों से बच जायेंगे। यह योजना अभी नयी है और इसमें बुजुर्गों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन की बात बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सोची जा रही है।

पुरस्कृत निबंध

बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका *

◎ हरमीत सिंह जस्मल

पंजाब नेशनल बैंक

अंचल प्रशिक्षण केंद्र, लुधियाना

परम पिता परमात्मा द्वारा रचित इस विशाल और अंतहीन ब्रह्मांड की तरफ़ यदि हम दृष्टिपात करें तो जो सबसे अधिक उपयोगी, चमत्कारिक, अनूठी और रचनात्मक रचना प्रभु ने की है, वह है मनुष्य। अपने विलक्षण गुणों यथा बुद्धि, शक्ति व क्षमता के बल पर मनुष्य ने विकास के ऐसे-ऐसे नए आयाम छुए हैं कि आज हम उत्तरोत्तर विकास करते हुए अग्नि, पहिये एवं मशीनों के आविष्कार से कहीं आगे कम्प्यूटर युग में प्रवेश कर चुके हैं।

सन् 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों की शाखाएं केवल शहरों में ही होने से ग्रामीण क्षेत्र इस सुविधा से वंचित व अनजान थे। राष्ट्रीयकरण के उपरांत 1970 के दशक के मध्य में बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी तीव्र गति से हुआ वहीं इसके व्यवसाय में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

बैंकिंग उद्योग के इस बहुत आकार के कारण इसका प्रबंधन कुछ दुष्कर सा होने लगा। सूचना प्रौद्योगिकी ने इसका संभाव्य हल प्रस्तुत किया लेकिन भारतीय बैंकों द्वारा विस्तृत स्तर पर इसका प्रचलन नहीं किया गया, क्योंकि इससे छँटनी व बेरोज़गारी की आशंका थी।

तथापि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी से सुसज्जित विदेशी बैंकों के आगमन से राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर जहाँ बैंक यूनियनों, प्रबंधन तथा कामगारों ने सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को प्रभावित करने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की, वहीं शासन ने इस प्रक्रिया में परोक्ष भूमिका निभाई।

अंततः सूचना प्रौद्योगिकी के एक संतुलित विकास के प्रति मुक्त सहमति बनी, जिसके अंतर्गत यह संगठन हेतु सकारात्मक

◆ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अंतर बैंक निबंध स्पर्धा वर्ष 2006-07 में क्षेत्र 'ख' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध। पत्रिका के अनुरूप संपादित।

भी हो और कर्मचारियों पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी न्यूनतम हों।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सन् 1968 में अपना पहला और 1979 में बड़े आकार का कम्प्यूटर लगाया गया। कुछ बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा 1980 के दशक के आरंभ में कम्प्यूटर का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया। इसी बीच दो बड़ी बैंक यूनियनों एआईबीईए तथा एनसीबीई द्वारा सितंबर 1983 तथा मार्च 1987 में भारतीय बैंक संघ के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें मुख्य रूप से वर्तमान स्टाफ की नौकरियों को सुरक्षित रखने तथा भावी नियुक्तियों की संभावनाओं को भी स्वीकार किया गया।

धीरे-धीरे सूचना प्रौद्योगिकी ने बैंकों के हर कार्यकलाप व हर पहलू में अपना एक निश्चित तथा महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

यद्यपि विगत एक दशक में ही इस क्षेत्र में एक क्रांति आई है, तथापि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, जब 1973 में 15 देशों के 239 बैंकों द्वारा स्विफ्ट अर्थात सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटर-बैंक फाइनेंशियल टेलिकम्यूनिकेशन की आधारशिला रखी गई।

सूचना प्रौद्योगिकी बैंक प्रबंधन, ग्राहक तथा स्टाफ तीनों के हितार्थ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान समय में निभा रही है। बैंक की दृष्टि से एक तीव्र, सटीक, लाभप्रद, ग्राहक सेवा हेतु उत्कृष्ट माध्यम के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाणित हुई है।

ग्राहक की दृष्टि से इसका प्रयोग न केवल सुविधा, तीव्रता

व अल्प लागत प्रदान करता है, बल्कि गुणात्मक तथा उत्तम सेवा का लाभ भी उसे मिलता है।

बैंक के स्टाफ के लिए भी सुविधाजनक होने के साथ कार्यक्षमता में वृद्धि भी करती है और समय की बचत और उसका अन्यत्र उपयोग करने हेतु अवसर उपलब्ध करवाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व तथा इस पर निर्भरता दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग परिदृश्य में अपेक्षित भी है। इस परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी के बिना बैंकिंग क्षेत्र के परिचालन तथा संचालन की कल्पना भी निरर्थक सी प्रतीत होती है।

इसकी संभाव्य प्रगति के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पारित किया गया था, जो विभिन्न पूर्व अधिनियमों में आवश्यक संशोधनों का प्रावधान दर्शाता है।

इसकी चौथी अनुसूची की धारा 94 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58(2) को संशोधित करते हुए एक खंड सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज द्वारा निधि अंतरण को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

अधिनियम की तृतीय अनुसूची की धारा 93 में बैंकर्स बुक्स एवीडेंस एक्ट 1891 में संशोधन के अनुसार खाताबही, दैनिक बही, रोकड़ बही आदि की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड अर्थात् फ्लापी, सीडी आदि भी वैधानिक साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी किस तरह बैंकिंग क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, आइए इस पर नज़र डालें:

- ☞ आज ‘कहीं भी कभी भी’ बैंकिंग संभव बन चुकी है। ग्राहक किसी भी स्थान से किसी भी समय खाते का परिचालन कर सकता है।
- ☞ बैंक देश की अर्थव्यवस्था हेतु एक स्तंभ का कार्य करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से बैंक के कार्यों की गति जहां तीव्र हुई है, वहीं व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि भी होने से प्रत्यक्षतः देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने

हेतु बैंकों के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनने से राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति औसत आय में भी वृद्धि होती है। कर्मचारी भी अपने कार्य के प्रति अधिक संतुष्ट हैं।

- ☞ आज ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा दी जा रही है। ई-कॉमर्स में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के पालन यथा डिजिटल हस्ताक्षर से धोखाधड़ी की संभावना भी न्यूनतम हो जाती है। डिजिटल हस्ताक्षर पब्लिक एनक्रिप्शन पर आधारित होते हैं और इनकी मान्यता हस्तलेख हस्ताक्षर की तरह होती है।
- ☞ निधियों का प्रेषण तीव्र, सुविधाजनक तथा त्रुटिहीन हो गया है। अब प्रलेखों के खो जाने तथा संभावित हानि की आशंका समाप्त होती जा रही है।
- ☞ ‘आरटीजीएस’ क्रांति के माध्यम से ग्राहक द्वारा किसी अन्य बैंक के खाते में तत्काल धन का अंतरण किया जा सकता है, इससे समय की बचत तो होती है, साथ ही पूर्व में ग्राहक का धन कई दिनों तक अप्रयुक्त पड़ा रहता था और कोई अतिरिक्त लाभ बैंक द्वारा नहीं दिया जाता था, अर्थात् भुगतान चक्र अब लगभग शून्य दिन हो चुका है, और एक ही दिन में वही विशिष्ट राशि कई बार और कई ग्राहकों में उपयोग की जा सकती है।
- ☞ विशिष्ट ग्राहक, जिनका एक से अधिक शहरों में व्यवसाय फैला हो, उसे अलग-अलग खाते खोलने की आवश्यकता नहीं है। खातों पर होने वाले व्यय, समय तथा परिचालन लागत कम करने में सहायता मिली है।
- ☞ मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत मोबाइल कनैक्टिविटी से भुगतान सेवाएं, जमा व ऋण खातों में शेषराशि पूछताछ, विवरण, निधि अंतरण, कार्ड में शेष राशि की जांच, सुविधाजनक बैंकिंग जैसे प्रावधान शामिल हैं।
- ☞ इंटरनेट /टेलीबैंकिंग, वायरलेस फिडेलिटी या वाइ-फाइ तकनीक की बैंकिंग, लैपटॉप आदि के कारण ग्राहक को खाते के परिचालन / लेनदेन के लिए ग्राहक को स्वयं बैंक शाखा में आने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

- ☞ बीमा कंपनियों, धन विनिमय आदि संस्थाओं से टाई अप व्यवस्थाएं सूचना प्रौद्योगिकी के कारण मूर्त रूप में लागू हो चुकी हैं।
- ☞ आज का ग्राहक किसी शाखा मात्र का ग्राहक न होकर पूरे बैंक का ग्राहक बन चुका है, यहाँ तक कि कुछ सुविधाओं के मामलों में वह अन्य बैंकों से भी जुड़ जाता है।
- ☞ अंतर्विभागीय प्रविष्टियां अब तत्काल होने लगी हैं, यथा आयकर, सेवा कर आदि बैंक में जमा होते ही त्वरित गति से संबंधित विभागों को अंतरित हो जाते हैं।
- ☞ भारतीय रिजर्व बैंक की अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) की निर्देश नीति का अनुपालन करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से बेनामी खातों तथा लेन-देनों पर रोक लगी है।
- ☞ बैंकों की परिचालन लागत कम हुई है, इससे लाभप्रदता भी बढ़ी है।
- ☞ अब अपेक्षाकृत कम कर्मचारियों से भी कार्य निष्पादित हो जाता है। अतः विपणन, म्यूचुअल फंड, बीमा, ग्राहक सेवा आदि क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाफ का सदुपयोग किया जा सकता है, जिससे न केवल व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है, वरन् ग्राहकों के लिए भी नए विकल्प उपलब्ध होते हैं।
- ☞ एक्सल में आंकड़ों का त्वरित समेकन व गुणन कार्य, एमएस वर्ड में मेल मर्ज में बहु पत्र व्यवहार, पॉवर प्लायट में विभिन्न प्रस्तुतियों आदि के माध्यम से जहां ग्राहकों के लिए गुणात्मकता एवं विश्वसनीयता बढ़ी है, वहीं आंतरिक कार्यकलाप तथा प्रशिक्षण आदि भी रोचक व प्रभावशाली हो गए हैं।
- ☞ ग्राहक सेवा के बढ़ते महत्व के दृष्टिगत ग्राहकों का अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, साधारण श्रेणीकरण तथा तदनुसार उन्हें उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं के संबंध में भी सूचना प्रौद्योगिकी ही एक आधारभूत माध्यम है।
- ☞ आंतरिक निरीक्षण के क्षेत्र में भी कुछ पहलुओं का ऑन लाइन निरीक्षण प्रारंभ हो चुका है, जहां समय व व्यय बचता है, वहीं रिकार्ड या आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की संभावना भी समाप्त हो जाती है। त्वरित ऑन लाइन निरीक्षण द्वारा समय रहते कुछ सुधार कर लेने से वित्तीय तथा छवि संबंधी हानियों से बचा जा सकता है।
- ☞ गुम प्रलेखों की सूचना तुरंत प्रचारित की जा सकती है तथा इसके गलत भुगतान पर तत्काल रोक भी लगाई जा सकती है।
- ☞ अब ग्राहक घर बैठे ही वायुयान, रेलवे आदि टिकटों के आरक्षण के बाबत स्थान उपलब्धता के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बना सकता हैं और बैंक में मौजूद अपने खाते को नामे करके टिकट भी आरक्षित करवा सकते हैं।
- ☞ बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, आयकर आदि का भुगतान भी अब ग्राहक अपने कम्प्यूटर से खाते को नामे करके कर सकता है।
- ☞ टिकट आरक्षण तथा बिल भुगतान जैसी सुविधाओं के कारण बैंकों में नए ग्राहक आने से खातों की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई है।
- ☞ स्टाफ को आंतरिक वेबसाइट के माध्यम से परिपत्रों की तत्काल उपलब्धता संभव हो चुकी है। इससे न केवल उनका ज्ञान अद्यतन बना रहता है, वरन् ग्राहकों तक नई सुविधाओं, दरों तथा योजनाओं के लाभ तत्काल पहुंचाये जा सकते हैं।
- ☞ वर्तमान पूँजी बाज़ार में सभी लेन-देन अनिवार्य रूप से डीमैट स्वरूप में किए जाते हैं। इंटरनेट से ग्राहकों को शेयर दलालों की वेबसाइट तक पहुंचने की सुविधा मिलती है, जिससे वह प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय हेतु आदेश दे सकता है।
- ☞ समाशोधन में होने वाली देरी या डाक से होने वाली संभावित अनियमितताओं से वित्तीय व छवि-संबद्ध हानि की संभावना न्यूनतम हो जाती है। विभिन्न संप्रेषण माध्यमों

यथा दूरभाष, फैक्स, डाक, कोरियर आदि पर होने वाले व्यय को बचाया जा सकता है और इसके स्थान पर ई-मेल, इंटरनेट जैसे आधुनिक साधनों द्वारा त्वरित संप्रेषण किया जा सकता है।

- ☞ समय आने पर कम्प्यूटर आवश्यक चेतावनियां, सूचनाएं स्वतः ही उपलब्ध करवाता है, इससे कार्य में विलंब होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। उदाहरणार्थ ग्राहक के स्थायी अनुदेश के अनुसार निश्चित तारीख पर बचत खाते से आवर्ती / ऋण खाते में मासिक किस्त का अंतरण अपने आप ही हो जाता है।
- ☞ अशिक्षित तथा गँवार व दूर दराज के क्षेत्रों के ग्राहक भी आज ए.टी.एम. जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। एजीएस इंफोटैक कंपनी ने किसान एटीएम का अविष्कार किया है। यह एटीएम ग्राहकों से बातचीत करके उन्हें पैसा निकालने की सुविधा देता है। यह एटीएम ग्राहक की पहचान उसकी उँगलियों / अँगूठे अर्थात् फिंगर प्रिंट्स के आधार पर करता है।
- ☞ एटीएम के अतिरिक्त विभिन्न कार्ड प्रचलित है, जैसे चार्ज कार्ड (25 से 50 दिनों में ग्राहक से भुगतान प्राप्त), क्रेडिट कार्ड(भुगतान हेतु आसान विकल्प), डेबिट कार्ड (प्रयुक्त होते ही खाता तुरंत डेबिट), स्मार्ट कार्ड (स्मरण शक्ति सहित प्रोसैसर)।
- ☞ खाते के शेष / लेनदेनों की जानकारी अब टेलीबैंकिंग द्वारा उपलब्ध है। टेलीबैंकिंग सेवाएं कम्प्यूटरों पर वॉयस प्रोसेसिंग सुविधा द्वारा संचालित होती है, इसमें कम्प्यूटर एक मोडम के सहारे दूरभाष से जोड़ दिया जाता है और ग्राहक की पहचान हेतु वॉयस प्रोसेसिंग साफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है।
- ☞ नकदी प्रबंध सेवा द्वारा विभिन्न शहरों /स्थानों में स्थित खातों का समेकन एक ही स्थान पर करके नकदी प्रबंध की अनियमितताएं दूर की जा सकती हैं।
- ☞ घर / कार्यालय में नकदी रखने से होने वाली चोरी आदि की संभावना नहीं रहती और अवकाश, कार्यदिवस की

समाप्ति के पश्चात भी नकदी लेन-देन की सुविधा प्राप्त होती है।

- ☞ बासेल-2 के अनुपालन में सूचना प्रौद्योगिकी भी एक आधार है। ऋण खातों की निगरानी तथा गैर निष्पादक आस्तियों की श्रेणी के संभावित खातों का पीएमएस आदि पैकेजों की सहायता से पूर्व में ही पता लगाया जा सकता है और तत्संबंधी कदम उठाए जा सकते हैं।
- ☞ बैंकों में खुदरा ऋण प्रस्तावों के प्रसंस्करण हेतु विधिवत साफ्टवेयर प्रयोग में लाने से प्रचलित किस्म के ऋण प्रस्तावों पर निर्णय व निपटान में तेज़ी आई है।
- ☞ ग्राहक सेवा की परेशानियों का निपटान, शेष मिलान, व्याज की गणना, बहियों का रखरखाव आदि पर होने वाले समय व शक्ति व्यय अब समाप्त हो चुका है और इसका अन्यत्र उपयोग किए जाने से बैंक की लाभप्रदता, छवि आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- ☞ सिंगल विंडो सिस्टम की अवधारणा में एक ही काउंटर पर लगभग सभी सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।
- ☞ कार्यालयीन पत्र व्यवहार, प्रोफार्म आदि कार्य अब अति तीव्र गति से होने लगे हैं, इसमें पूर्व पत्र में मामूली से हेरेफेर से नया पत्र तैयार हो जाता है और व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी दूर होती हैं और टायपिंग त्रुटियों की वजह से किसी विशिष्ट पत्र को बार बार टाइप करने से होने वाले अतिरिक्त समय व लेखन सामग्री का अपव्यय समाप्त हो गया है।
- ☞ ई-मेल, सी. डी., फ्लॉपी आदि की मदद से बड़े से बड़ा प्रलेख भी बिना किसी लेखन सामग्री के प्रयोग किए तुरंत भेजा जा सकता है।
- ☞ कर्मचारियों ने दिन में कितना कार्य किया और किस किस समय किया अन्यथा वह कार्य कितने समय का था, इसकी जानकारी कम्प्यूटर के माध्यम से ली जा सकती है। इससे कार्यकुशलता या समयबद्धता में अनियमितता जैसे दोषों पर नज़र रखी जा सकती है।

- ☞ सार्थक विपणन प्रक्रिया व कार्यनीति हेतु नवीनतम आंकड़े, सर्वेक्षण परिणाम तथा उनका आकलन केवल सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा ही संभव है।
- ☞ राजभाषा हिंदी के संबंध में सरकार द्वारा बैंकों हेतु नीति बनाई गई है और विभिन्न लक्ष्य समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से वास्तव में हिंदी भाषा में कार्य होने लगा है, क्योंकि कम्प्यूटर के माध्यम से हिंदी के प्रोफार्म आदि सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं और हिंदी पैकेजों में अंग्रेजी में कार्य करने पर स्वतः हिंदी मुद्रण का प्रावधान होता है। हिंदी की-बोर्ड कम्प्यूटर पर उपलब्ध होने से वास्तविकता में भी हिंदी भाषा में कार्य करना अपेक्षाकृत अधिक सरल हो गया है।
- ☞ पूर्व में विभिन्न विवरणियां / सूचनाएं शाखाओं से विभिन्न चरणों में प्रधान कार्यालय तक भेजी जाती थी। इसमें जहाँ अतिरिक्त ऊर्जा, परिश्रम तथा स्टाफ की आवश्यकता रहती थी, वहाँ इनके संकलन तथा प्रेषण में भी बहुत समय व व्यय लगता था। अब प्रधान कार्यालय किसी भी शाखा का अद्यतन रिकार्ड, आंकड़े या अन्य विवरण तत्काल जांच सकता है।
- ☞ बैंकों में तकनीकी रोज़गार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन 'नैसकॉम' के अध्यक्ष किरण कर्णिक के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में रोज़गार के 10 लाख अवसर सृजित होंगे।
- ☞ वैश्वीकरण की अपेक्षाएं साकार हुई हैं तथा पेपर रहित बैंकिंग लगभग संभव हो गई है।

बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के समक्ष चुनौतियां

जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी आज बैंकिंग क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वहाँ इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता, कि कुछ दुष्प्रभाव भी बैंकिंग क्षेत्र में दृष्टिगोचर हुए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार दिया जा सकता है:

- ☞ आए दिन बैंकिंग कार्यकलाप में कम्प्यूटर से संबंधित

तकनीकी खराबियों की बात सुनने को मिलती रहती है। कनैकिटविटी की समस्या का निदान पाने के लिए विभिन्न बैंक संघर्षरत रहते हैं।

- ☞ स्टाफ सदस्यों को ज्ञान की अल्पता से सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित तथा पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है। निरंतर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आते जा रहे परिवर्तनों की गति के साथ कर्मचारी अपने कदम मिला नहीं पा रहे हैं।
- ☞ यदि पासवर्ड लीक हो जाए तो धोखाधड़ी की संभावना प्रबल बन जाती है।
- ☞ बैंक कर्मचारी मुख्य रूप से लेखा पद्धति विशेषज्ञ माने जाते हैं, किंतु अब डाटा प्रविष्टि का कार्य ही मुख्य रह जाने से उनके कौशल का सदुपयोग नहीं हो पाता।
- ☞ कम्प्यूटर पर निर्भरता से आत्म विकास रुक सा गया है, पहले कार्य करते हुए मानसिक कार्यशीलता व सक्रियता रहती थी पर अब नवोन्मेष प्रकृति का अभाव सा है।
- ☞ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली लागू करने तथा रखरखाव हेतु बड़ा व तत्काल व्यय करना पड़ता है।
- ☞ ग्राहकों को सुविधाएं देने की होड़ में बैंकों का राजस्व कम होता जा रहा है।
- ☞ नेटवर्क में विभिन्न वायरस (वाइटल इनफर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज़) आने से संपूर्ण कार्यप्रणाली ही रुक सकती है और यदि इसका उपचार न किया जाए तो समय भी बरबाद होता है और बहुमूल्य रिकार्ड भी नष्ट हो सकता है।
- ☞ कई साइबर अपराध यथा फिशिंग, फार्मिंग, हैकिंग, सोशल इंजिनियरिंग अस्तित्व में आ गए हैं। इनमें अनधिकृत ढंग से अन्य व्यक्ति के खाते तक पहुंचने के प्रयास किए जाते हैं तथा धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
- ☞ कुछ ही महिनों में साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर 'पुराने' हो जाते हैं। इनका कोटि उन्नयन (अपग्रेडेशन) अनिवार्य हो जाता है और बैंक को व्यय के प्रावधान भी करने पड़ते हैं।

- ☞ स्टाफ तथा ग्राहकों का प्रत्यक्ष संबंध समाप्त सा होता जा रहा है, जिससे न तो बेहतर ग्राहक सेवा का आभास करवाया जा सकता है और न ही व्यवसाय वृद्धि हेतु पुराने संबंधों को अधिक समय तक प्रयुक्त किया जा सकता है।
- ☞ यूनियनों के हस्तक्षेप के कारण सूचना प्रौद्योगिकी अपने आदर्श स्वरूप को बहुधा प्राप्त नहीं कर पाती है।
- ☞ कर्मचारियों के समक्ष स्वास्थ्य संबंधी नए जोखिम भी उत्पन्न हो गए हैं। उत्पादन की मात्रा, गति में तीव्र वृद्धि तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण व मार्गदर्शन तथा अनियमित कार्य वितरण से तनाव ग्रस्तता अत्यंत बढ़ चुकी है।
- ☞ कम्प्यूटर आधारित मशीनों तथा विज़ुअल डिस्प्ले यूनिट का अति प्रयोग घातक भी सिद्ध होता है। वीडीओ ब्लूज़, नेत्र व मांसपेशियों की समस्याएं, टेनोसाइनोवाइटिज़, वैरीकोज़ वेन्स, अल्सर, नॉसिया, सिरदर्द, चमड़ी रोग, जन्म दोष, खींची रोग जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं और बढ़ती हैं। उक्त के बावजूद सामान्यतः कर्मचारियों को कम्प्यूटर जन्य स्वास्थ्य समस्याओं की जागरूकता या प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

सिटी बैंक की चालीस महिला कर्मचारियों पर सर्वेक्षण किया गया तो उनतालीस को यह ज्ञान नहीं था, कि कम्प्यूटर पर कार्य करना इतना घातक भी सिद्ध हो सकता है।

एटीएम आदि सुविधाओं के कारण अर्थ सुलभता सहज तथा सतत हो जाने से मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों का उपभोग स्तर अधिक होने की संभावना बनी रहती है और इस तरह सूचना प्रौद्योगिकी जाने अनजाने अति उपभोक्तावाद हेतु उत्तरदायी बन जाती है।

विश्लेषण

उक्त विवेचन से सूचना प्रौद्योगिकी के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं का ज्ञान मिलता है। नकारात्मक पहलू इस बात की ओर संकेत करता है, कि निस्संदेह बैंकों का व्यवसाय, ग्राहकों हेतु सुविधाएं तथा स्टाफ की कार्यक्षमता चमत्कारिक रूप से बढ़े हैं, परंतु सुरक्षा पक्ष भी निर्बल होता जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कि चिकित्सा विज्ञान ने उल्लेखनीय

प्रगति की है, परंतु रोगों की गति उससे भी तीव्र है और इस विकास के बावजूद कुछ ऐसे रोग पनप जाते हैं, जिनका चिकित्सा विज्ञान के पास कोई उत्तर और उपचार नहीं है। उसी प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ असुरक्षा तथा साइबर अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है।

फिर भी विवेचन से यह बात प्रमाणित हो जाती है, कि सूचना प्रौद्योगिकी का बैंकिंग कार्यकलाप एवं विकास में एक अतुलनीय योगदान है। इसके बिना बैंकिंग क्षेत्र के अस्तित्व की कल्पना भी दुष्कर है। बैंकिंग इस कदर सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो चुकी है, कि बैंक कार्यकलाप की शुरुआत से अंत तक हर क्षण, हर पहलू, हर पक्ष पर सूचना प्रौद्योगिकी का साम्राज्य है।

सूचना प्रौद्योगिकी के अज्ञान, सतर्कता का अभाव, गलत दृष्टिकोण से ही हमें इसके नकारात्मक परिणाम व प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अज्ञानता की वजह से एक पूर्ण विद्या की आलोचना अवांछनीय है।

सुझाव

सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए निम्न सुझाव ध्यानार्थ हैं:-

- ☞ ग्राहकों को फिशिंग, फार्मिंग तथा सोशल इंजिनीयरिंग जैसे साइबर अपराधों, जोखिम तथा संभावित आशंकाओं से बचाने के लिए शिक्षित तथा जागरूक बनाया जाना चाहिए।
- ☞ स्टाफ को जागरूक तथा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि सुरक्षा उपाय मात्र सूचना प्रौद्योगिकी टीम का ही नहीं, वरन् यह सामूहिक दायित्व है।
- ☞ 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का ब्राउज़र ही प्रयुक्त किया जाए, ताकि सूचना लीक न हो पाए और गोपनीयता बनी रहे।
- ☞ खाते की सूचना तथा पासवर्ड को गोपनीय रखा जाए।
- ☞ इंटरनेट प्रयुक्त करते समय सुनिश्चित करें कि ब्राउज़र विंडो

- के नीचे दाँड़ ओर एक लॉक चिह्न बना हो, यह आपकी साइट को सुरक्षित होने का संकेत देता है।
- ☞ कम्प्यूटर को कभी भी खुला छोड़ कर न जाएं। जब भी कहीं जाना हो तो अपने कम्प्यूटर को लॉग ऑफ करके ही जाएं, अन्यथा किसी भी तरह की हानि हो सकती है।
 - ☞ खाता सूचना या पासवर्ड ई-मेल द्वारा न भेजें।
 - ☞ पासवर्ड को समय-समय पर परिवर्तित करते रहें। कोई भी पासवर्ड दोबारा प्रयुक्त न करें। लंबे पासवर्ड का प्रयोग, जिसमें शब्द व अंक दोनों शामिल हों, सर्वोत्तम है। किंतु स्मरण रखें, कि लंबे पासवर्ड याद रखना मुश्किल है और कुछ व्यक्ति इन्हें लिख कर रख लेते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यह और भी घातक हो जाता है। अतः पासवर्ड ऐसा रखें जो आसानी से याद हो तथा अन्य व्यक्ति उसका अनुमान न लगा सके।
 - ☞ बाहरी व्यक्ति, जिनमें कम्प्यूटर के अनुरक्षण से संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, को कभी भी पासवर्ड न दें। यदि बाध्यता हो तो कार्य समाप्ति पर उसे तुरंत बदल दें।
 - ☞ अच्छी गुणवत्ता वाला एंटी-वायरस प्रयुक्ति किया जाए तथा अपग्रेडेशन भी करते रहें।
 - ☞ अपने कम्प्यूटर का ब्राउज़र केश हमेशा साफ रखें, क्योंकि इसमें हाल ही में खोले गए वैब पेजों का रिकार्ड रहता है, अतः केश को क्लीन करके ही कम्प्यूटर छोड़ें, विशेषकर जब वह कम्प्यूटर अन्य व्यक्तियों द्वारा भी प्रयोग किया जा रहा हो,
 - ☞ एक व्यक्तिगत फायरवाल साफ्टवेयर का प्रयोग अत्यावश्यक है, ताकि हमारे कम्प्यूटर तक किसी अन्य व्यक्ति की अनधिकृत पहुंच न हो सके। इस प्रकार से फिशिंग, हैकिंग, सोशल इंजिनीयरिंग जैसे साइबर अपराधों से हम सुरक्षित रहते हैं।
 - ☞ ई-मेल जिसमें व्यक्तिगत सूचना हेतु तत्काल निवेदन किया

गया हो, उसके प्रति सतर्क रहें।

- ☞ वैब ब्राउज़र से जब क्रेडिट कार्ड या अन्य संवेदनशील सूचना प्रस्तुत करें तो सुनिश्चित करें कि आप एक सुरक्षित वैब साइट प्रयुक्त कर रहे हैं। इसके लिए एक वैब ब्राउज़र टूल बार का संस्थापन अवश्य करें ताकि संभावित धोखाधड़ी से संरक्षण रहे।
- ☞ अपने ऑनलाइन खाते को नियमित रूप से लॉग करें। अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड विवरण की जाँच करते रहें और सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियां वैध हैं।
- ☞ सुनिश्चित करें कि आपका ब्राउज़र अद्यतन है।
- ☞ संदेह की स्थिति में ग्राहक तुरंत बैंक को टेलीफोन करके इसकी पुष्टि करें।
- ☞ कम्प्यूटर पर कार्य करने से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि निर्भरता असीमित हो चुकी है अतः दुष्प्रभावों से बचने के लिए योग साधना आदि के नियमित अभ्यास से हानि की संभावना न्यूनतम हो जाती है।

यह प्रमाणित तथ्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी बैंकिंग क्षेत्र का अभिन्न अंग बन चुकी है और इसकी किसी भी तरह से कथित आलोचना या निंदा व्यर्थ है। इसकी हानियां या नकारात्मक प्रभाव की चर्चा करने की पृष्ठभूमि में मात्र ज्ञान का अभाव तथा गलत दृष्टिकोण ही हो सकता है। यदि सतर्कता, सावधानी, सकारात्मक दृष्टिकोण तथा ज्ञान प्रसिद्धि की जिज्ञासा के साथ सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए तो यह निश्चित रूप से बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक चमत्कार से कम नहीं और विशेष यह है कि इसके अनगिनत लाभ बैंक, बैंक के ग्राहकों तथा बैंक के स्टाफ को सहज ही प्राप्त होते हैं।

विभिन्न स्तरों पर सहयोग के प्रावधान भी किए जाते रहे हैं। यथा बैंकिंग प्रौद्योगिकी हेतु विकास तथा संसाधन बैंकिंग संस्था हैदराबाद द्वारा वित्तीय सेवाओं तथा बीमा क्षेत्र में एक कम्प्यूटर आपातकालीन अनुक्रिया टीम की स्थापना की गई है,

जिसका कार्य अनुक्रिया तथा प्रतिक्रिया उपायों को उपलब्ध करवाना है, ताकि कम्प्यूटर सुरक्षा के मामलों पर निगरानी रखी जा सके।

वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु बैंक तथा ग्राहकों के लाभार्थ नवीनतम प्रौद्योगिकी की संभावनाओं के स्तर पर खरे उतरना होगा। इसकी गति के साथ कदम मिलाकर चलने से ही इसका वास्तविक सम्मान होगा। सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय संचालक का स्थान ग्रहण कर चुकी

है और हमारा उद्देश्य इसके माध्यम से सर्वोत्तम ग्राहक सेवा व्यवसाय वृद्धि, लागत में कमी तथा स्टाफ की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी का होना चाहिए।

अतः पूर्वाग्रह त्यागकर इस वैज्ञानिक क्रांति को समर्पित भाव से अपनाने, स्वीकार करने में ही बैंकों का भविष्य सुरक्षित व उज्ज्वल बन सकता है और देश की अर्थ-व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होने की वजह से बैंकों द्वारा इसके प्रयोग तथा विकास में ही देश तथा देशवासियों का हित भी निहित है।



रचनाएं आमंत्रित हैं-

वित्तीय समावेशन विशेषांक

(अक्तूबर- दिसंबर 2008)

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अक्तूबर- दिसंबर 2008 अंक 'वित्तीय समावेशन' विशेषांक होगा जिसमें आपकी रचनाएं आमंत्रित हैं। इसमें वित्तीय समावेशन के परिचय के साथ-साथ वित्तीय वंचन की स्थिति, वित्तीय समावेशन- चुनौतियां और समाधान, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन के विभिन्न स्तंभ, वित्तीय समावेशन में सरकार की भूमिका, वित्तीय समावेशन और सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन और लघु वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और सामाजिक बैंकिंग, वित्तीय समावेशन-विभिन्न बैंकों के प्रयास, वित्तीय समावेशन के कानूनी पहलू, वित्तीय समावेशन हेतु वातावरण निर्माण, वित्तीय समावेशन-वैश्विक परिदृश्य आदि हो सकते हैं।

रचनाएं पत्रिका के स्वरूप के अनुकूल और मौलिक होनी चाहिये और पहले कहीं प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। रचनाओं को पुस्तक के रूप में संकलित कर प्रकाशित करने पर लेखक को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। प्रकाशित रचनाओं पर मानदेय का भी प्रावधान है।

रचनाएं हमें सितंबर 2008 के अंत तक मिल जानी चाहिए।



पुस्तक का नाम :	ऋण जोखिम प्रबंधन
लेखक का नाम :	दिलीप मेहरा
प्रकाशक :	आधार प्रकाशन, पंचकूला (हरियाणा)
पृष्ठ संख्या :	163
मूल्य :	225/- रुपये
संस्करण :	प्रथम (2007)

भारत में बैंकिंग कामकाज की मात्रा बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसमें बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की संख्या और उनकी मात्रा भी उसी के अनुरूप बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऋण जोखिम प्रबंधन का महत्व अधिक हो जाता है। आज के समय में ऋण जोखिम प्रबंधन करना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। दिए जाने वाले ऋण में कितनी जोखिम है इसका पता लगाना या उसका आभास होना अपने आप में एक जटिलता भरा कार्य है। मुझे आशा है कि इस चुनौती और जटिलता भरे कार्य में श्री दिलीप मेहरा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की मौलिक हिन्दी पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत लिखी गई 'ऋण जोखिम प्रबंधन' नामक पुस्तक काफी सहयोग प्रदान करेगी।

यह पुस्तक 18 अध्यायों में बंटी हुई है। इसमें पहले अध्याय में जोखिम के विभिन्न प्रकारों तथा जोखिम के विभिन्न कारणों का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में उन्होंने बासल पूंजी समझौते के ढांचे को स्पष्ट करने की बेहतर कोशिश की है। तीसरे, चौथे और पांचवें अध्यायों में ऋण जोखिम के विभिन्न घटकों, मूल तत्वों, नीति संरचना तथा ऋण प्रबंधन तथा जोखिम प्रबंधन की विभिन्न प्रणालियों एवं तरीकों का उल्लेख किया गया है। छठे अध्याय में ऋण जोखिम रेटिंग ढांचे की मूल संरचना तथा परिचालन के सिद्धांतों के मूलतत्वों तथा अच्छी आंतरिक ऋण जोखिम तथा रेटिंग प्रणाली की विशिष्टताओं का उल्लेख किया गया है। सातवें अध्याय में ऋण जोखिम के सिद्धांतों के मूल तत्वों तथा अच्छी आंतरिक ऋण जोखिम परिचालन मॉडल

की उपयोगिता तथा ऋण रेटिंग और ऋण जोखिम के अंतर को बारीके से समझाया गया है। साथ ही ऋण जोखिम मॉडल वृष्टिकोण, अनुप्रयोग के क्षेत्र तथा उसके चयन आदि के बारे में प्रकाश डाला गया है। आठवें तथा नौवें अध्याय में संविभाग प्रबंधन एवं जोखिम सीमाओं तथा अंतर बैंक व्यवहारों में ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक मानदण्ड निर्धारित करने के तरीकों को विस्तार से बताया गया है। दसवें अध्याय में यह बताया गया है कि तुलन-पत्र में न दिखाई जानेवाली गैर-निधिक सुविधाएं प्रदान करते समय बैंकों को ऋण जोखिम का निर्धारण किस प्रकार करना चाहिए। ग्यारहवें अध्याय में देशीय जोखिम के विभिन्न प्रकार तथा उनके प्रबंधन की विस्तृत रूप रेखा दी गई है। बारहवे-तेरहवें तथा चौदहवें अध्यायों में लेखक ने ऋण जोखिम से संभाव्य हानि, ऋण जोखिम के लिए नियामक पूंजी का आकलन तथा जोखिम की कीमत निर्धारण की विभिन्न प्रणालियों और तरीकों का उल्लेख किया है। सोलहवें तथा सत्रहवें अध्यायों में बाज़ार जोखिम प्रबंधन तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन के विभिन्न घटकों / प्रणालियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अंतिम अठारहवें अध्याय में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के विभिन्न तरीके बताए गए हैं।

कुल मिलाकर लेखक ने ऋण जोखिम के विभिन्न आयामों, मानदण्डों, प्रणालियों तथा तरीकों का उल्लेख बड़े ही सुस्पष्ट ढंग से किया है जो उनके विशद अनुभव का परिचायक है। पुस्तक पठनीय होने के साथ-साथ काफी उपयोगी बन पड़ी है। विभिन्न

परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह पुस्तक काफी लाभकारी हो सकती है। बैंक कर्मियों के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न उपयोगी सामग्री मिल सकेगी।

भाषा की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि इस पुस्तक की सामग्री को आसानी से समझा जा सकता है। कठिन शब्दों के लिए अंग्रेजी पर्यायों को देवनागरी लिपि में लिख दिया गया है जैसे : श्रेणी निर्धारण (रेटिंग), संविभाग (पोर्टफोलियो), शोधक्षमता (साल्वैंसी), ऋण लेखा परीक्षा (क्रेडिट ऑडिट) आदि। पुस्तक का मुख पृष्ठ विषय के अनुरूप तथा सुन्दर है। सामग्री को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। बासल पूँजी समझौते

को बोधगम्य तरीके से समझाया गया है। पुस्तक में विषय के सभी अंगों को उन्होंने समाहित करने का प्रयास किया है।

यद्यपि यह पुस्तक मौलिक लेखन योजना के अंतर्गत लिखी गई है। लेकिन कहीं-कहीं अनुदेशों के संकलन होने का आभास लगता है। पुस्तक में तकनीकी उपयोगों के बढ़ते प्रयोग को ध्यान में रखते हुए ऋण जोखिम प्रबंधन के बारे में और विस्तार से बताया जाता तो यह पुस्तक अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती थी।

◎ एम. पी. शर्मा

सहायक महाप्रबंधक

भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई

पुस्तक का नाम : वायदा व्यापार क्या और क्यों?

लेखक का नाम : डा. सतीश कुमार शुक्ल

प्रकाशक : संस्कार साहित्य माला, मुंबई

पृष्ठ संख्या : 95

मूल्य : 150/- रुपये

संस्करण : प्रथम (2007)

किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के इष्टतम मूल्य निर्धारण के लिए वित्तीय बाजारों के एक घटक के रूप में वायदा बाजार का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत में वायदा व्यापार का इतिहास काफी पुराना रहा है तथापि वर्ष 1991 से शुरू हुए वित्तीय सुधारों और उदारीकरण ने वायदा व्यापार की भूमिका को नये सिरे से रेखांकित कर दिया है। हाल ही में तेल की बढ़ती कीमतों, दलहन, सोने-चांदी के भावों में हो रही उठापटक के कारण लोगों का रुझान इस दिशा में बढ़ने लगा है। शेयर बाजार भी वायदा बाजार का ही हिस्सा है। आज एनसीडीएक्स और एमसीएक्स जैसे कमोडिटी एक्सचेंजों का नाम हमारे लिए नया नहीं रह गया है परंतु इनकी कार्यप्रणाली और वायदा व्यापार से संबद्ध अन्य कई पहलूओं से आम आदमी आज भी अपरिचित है। इसी दिशा में डा. सतीश

कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गयी पुस्तक 'वायदा व्यापार क्या और क्यों?' गागर में सागर भरने जैसी कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करती है। लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से वायदा व्यापार के विभिन्न पक्षों और इससे जुड़ी तमाम संकल्पनाओं को बड़ी सहजता और सरलता के साथ सामान्य पाठक की जानकारी के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

यह पुस्तक कुल मिलाकर आठ अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय वायदा बाजार और वायदा व्यापार में लेखक ने वायदा व्यापार और हाजिर व्यापार की संकल्पना पर गहराई से प्रकाश डाला है। दूसरे अध्याय वायदा व्यापार की उपयोगिता एवं महत्त्व में अग्रिम व्यापार के एक अभिन्न अंग के रूप में वायदा व्यापार के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है।

तीसरा अध्याय हमारी कृषि अर्थव्यवस्था और वायदा व्यापार कृषि उत्पादों के मूल्यनिर्धारण में वायदा व्यापार की भूमिका को परिभाषित करता है। चौथा अध्याय वस्तु बाज़ार में जोखिम प्रबंधन वायदा कारोबार में हैजिंग या वायदा संबंधी व्यापारिक अनुबंधों के साथ-साथ अन्य प्रकार के अनुबंधों की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। पांचवा अध्याय वायदा व्यापार में नियंत्रण वायदा व्यापार नियमन एक्ट, 1952 के अंतर्गत वायदा व्यापार के नियंत्रण तथा विनियमन के लिए लागू किए गए त्रिस्तरीय नियंत्रणों पर केंद्रित है। छठे अध्याय वायदा व्यापार अतीत से अब तक में लेखक ने अमेरिकी गृहयुद्ध (1860) के उत्तरवर्ती काल से लेकर वर्ष 1991 के बाद के उदारवादी काल तक वायदा कारोबार के क्रमागत इतिहास से परिचित कराने के साथ-साथ देश में वायदा व्यापार की वर्तमान स्थिति और भावी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। सातवें अध्याय वायदा व्यापार और वर्तमान एक्सचेंज में इस क्षेत्र में परंपरागत रीजनल एक्सचेंजों द्वारा निभायी जा रही भूमिका के साथ-साथ वायदा बाज़ार आयोग की भूमिका को भलीभांति रेखांकित किया गया है। आठवें अध्याय वायदा व्यापार करनेवाले कुछ प्रमुख एक्सचेंज में देश में कार्यरत नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लि. (NCDEX) तथा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया (MCEX) जैसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंजों के साथ-साथ क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्यरत चेंबर आफ कामर्स, हापुड़, राजधानी आइल एंड आइल सीडस् एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल बोर्ड आफ ट्रेड, इंदौर जैसे कई कमोडिटी एक्सचेंजों की कार्यप्रणाली और उनके द्वारा किए जा रहे कारोबार आदि की विस्तृत जानकारी दी गयी है।

इतना ही नहीं पुस्तक के अनुलग्नक 'क' में वायदा व्यापार से संबंधित पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न (FAQ's) के रूप में कुल 103 प्रश्न शामिल किए गए हैं। इनके उत्तर

वायदा व्यापार के संबंध में सामान्य पाठक की जिज्ञासा का पूरी तरह निराकरण और समाधान प्रस्तुत करते हुए प्रतीत होते हैं। लेखक ने एक कदम आगे बढ़कर अनुलग्नक 'ख' में वायदा व्यापार में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्दों का हिंदी रूपांतरण भी उपलब्ध कराया है जो इस तकनीकी और गंभीर विषय को और अधिक स्पष्ट और सुग्राह्य बनाने में निश्चित रूप से उपयोगी साबित होता जान पड़ता है। कुल मिलाकर इस पुस्तक में वायदा व्यापार से जुड़े हरेक पहलू को सटीक, सरल और बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास किया गया है जिसे निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय एवं सार्थक प्रयास के रूप में लिया जा सकता है।

पुस्तक की साज-सज्जा, मुद्रण और कवर आकर्षक होने के साथ-साथ सुंदर भी है। हालांकि पुस्तक की छपाई में जगह-जगह प्रूफ की अशुद्धियाँ जैसे- अनावृष्टि के स्थान पर आनावृष्टि, सम्बन्ध के स्थान पर सम्बन्ध, एसोसिएशन के स्थान पर एशोशिएशन, मूल्य के स्थान पर मुल्य, Mutual Fund के स्थान पर Muturl Fund तथा Frequency Curve के स्थान पर Frequency Carue आदि भी देखने में आते हैं। इसके अलावा 95 पृष्ठ की पुस्तक के पेपर बैक संस्करण का मूल्य 150/- रुपए कुछ ज्यादा जान पड़ता है।

वायदा कारोबार जैसे तकनीकी विषय पर हिंदी में लिखी गयी यह पुस्तक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों, वायदा कारोबारियों के साथ-साथ वित्तीय विषयों के विद्यार्थियों के लिए संग्रहणीय और अनुपम उपहार हो सकती है।

○ के. सी. मालपानी

सहायक प्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई



अमेरीका में सब-प्राइम बन्धक बाज़ार: हाल की गतिविधियां

सब-प्राइम बन्धक एक प्रकार का आवासीय ऋण है जो प्राइम बन्धक से भिन्न होता है। अतः इसके पूर्णतया पुनर्भुगतान की गुंजाइश कम रहती है। सब-प्राइम ऋण देते समय उधारकर्ता का ऋण लेखा जोखा, ऋण सेवा और आय अनुपात (55 प्रतिशत से अधिक) तथा बन्धक ऋण और मूल्य अनुपात (85 प्रतिशत से अधिक) का मूल्यांकन किया जाता है। हाल में अमेरीका में सब-प्राइम ऋण की जो समस्या उत्पन्न हुई वह मुख्य रूप से आवासीय ऋण बाज़ार से संबंधित थी। इस समस्या का पहला संकेत तब मिला जब अधिक मात्रा में पूर्व भुगतान की चूक होने लगी, जिसके अंतर्गत उधारकर्ता पहले तीन मासिक किस्तों में से एक या दो किस्त भरने में चूक कर देता है और कालांतर में यह अपप्रवृत्ति बढ़ती जाती है। आवासीय संपत्ति क्षेत्र में मंदी के साथ-साथ ऋण दाताओं द्वारा समझौते की दरों पर ऋण देना भी चूक और अपप्रवृत्ति कारक बने। ब्याज दर बढ़ जाने तथा मकानों की कीमतें घट जाने के कारण और कई क्षेत्रों में वह ऋणात्मक बन जाने से कई उधारकर्ताओं के पास चूक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि आवासीय इक्विटी के कम मात्रा में रहने या बिल्कुल ही न रहने से ऋण की समय पूर्व अदायगी या पुनर्वित विकल्प व्यावहारिक नहीं थे। समझौते की ब्याज दरों के अंतर्गत ऋणदाताओं ने उधारकर्ताओं को प्रारंभ में कम राशि का पुनर्भुगतान और बाद में उच्च राशि का पुनर्भुगतान करने की छूट दे दी। मकानों की कीमतों में गिरावट आ जाने से मकान मालिकों के लाभ में कमी आई जिसके कारण वे समूचा ऋण चुकता नहीं कर पाए और परिणामतः अपप्रवृत्ति और चूक की घटनाएं बढ़ी।

सब-प्राइम उधारकर्ताओं को प्राइम उधारकर्ताओं की तुलना में ऊंचे ब्याज दर से ऋण दिया जाता है क्योंकि उनके मामले में चूक होने की जोखिम अधिक रहती है। सब-प्राइम ऋण संरक्षित होते हैं। संपार्शिक ऋण संबंधी दायित्व की तरह प्रतिभूतियों को अस्तियों का आधार होता है। बचाव निधियां (हेज फंड्स), पेंशन फंड और बैंक जैसे संस्थागत निवेशक इन प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। यद्यपि सब-प्राइम बन्धक और चूक राशि की सही मात्रा ज्ञात नहीं है। मोर्टगेज एसोसिएशन के अनुसार मोर्टगेज बाज़ार में लगभग दस ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर की राशि लगी हुई है जिसमें अमेरीकी मोर्टगेज मार्केट के प्राइम बन्धक का 80 प्रतिशत हिस्सा है और सब-प्राइम बन्धक का 15 प्रतिशत, अर्थात् 1.5 ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर सब-प्राइम मार्केट की हिस्सेदारी 10 से 15 प्रतिशत है जो अमेरीका की मोर्टगेज मार्केट की वास्तविक व्याख्या के अनुसार है। बन्धक बैंकर्स एसोसिएशन की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 30 या अधिक दिनों से लंबित सब-प्राइम ऋण का प्रतिशत वर्ष 2007 के पहले तीन महिनों में 15.8 प्रतिशत तक पहुंच गया जो अब तक का सर्वाधिक रहा और पिछले वर्षों के अंतिम तीन महिनों में 14.4

*भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2006-07 से साभार

प्रतिशत से अधिक रहा।

सब-प्राइम ऋण संकट का असर वित्तीय प्रणाली के दूसरे घटकों पर भी पड़ा। सब-प्राइम ऋण में आए संकट के कारण जोखिम लेने की प्रवृत्ति पर विपरीत असर पड़ा और वित्तीय बाज़ार में उथलपथल मच गई। सब-प्राइम मोर्टगेज ऋण को समयपूर्व चुकता करने के लिए निर्धारित की गई ब्याज दर में तीव्र वृद्धि कर दी गई, परिणामतः लगभग 24 प्राइम मोर्टगेज ऋण फर्म या तो डूब गई या उन्हें दिवालिया घोषित करना पड़ा। इन कंपनियों के डूब जाने से 6.5 ट्रिलियन डॉलर के मोर्टगेज प्रतिभूति बाज़ार पर प्रतिकूल असर पड़ा।

सब-प्राइम मार्केट की समस्या उभरने के तुरंत बाद सुनियोजित ऋण (स्ट्रक्चर्ड ऋण) और मोर्टगेज मार्केट उत्पादों की खरीद-बिक्री बिल्कुल ही बंद हो गई। निवेशकों को अपनी निवेश स्थिति ठीक करने के लिए अन्य उपाय करने पड़े। परिणामस्वरूप निवेशकों को परेशानी से ग्रस्त प्रतिपक्ष के मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ा। कोई खरीदार न होने की वजह से वे अपनी प्रतिभूतियां भी नहीं बेच पाए जिससे वे नकद राशि जुटा पाते। अंततः उन्हें मुद्रा बाज़ार से नकद राशि उठानी पड़ी। सुनियोजित उत्पादों में निवेश करने वाली बचाव निधियों को भी निधि आहरण तथा मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ा। कुछ बैंकों को भी जोखिम-भरे संपत्ति ऋणों से नुकसान पहुंचा। जोखिम युक्त बॉण्ड के संबंध में चूक से बचाव हेतु लागत में भी वृद्धि हो जाती है। यह भी जानकारी मिली की कुछ निधि प्रबंधकों ने कैरी ट्रेड में उधार देना कम कर दिया। अधिकांशतः वाणिज्य पत्रों के माध्यम से अल्पावधि ऋण लेने वाले और दीर्घावधि ऋण में निवेश करने वाले संरचित निवेश सुविधा (स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट वेहिकल) इस चलनिधि संकट के प्रमुख कारक रहे।

इसके पश्चात जोखिम से बचने के लिए जो उपाय किए गए उसमें संयुक्त अमेरीका के शेयर बाज़ार में सस्ते दामों पर शेयरों की बिकवाली हुई। नुकसान से बचने के लिए संस्थागत निवेशकों ने ईएमई शेयर बाज़ार से बाहर निकलना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि प्रमुख विकसित और उभरती बाज़ार अर्थ-व्यवस्थाओं में अगस्त 2007 के मध्य में शेयर बाज़ार बुरी तरह लुढ़के।

यह भी देखने को मिला कि संयुक्त अमेरीका के कुछ बैंकों और यूरो बहुल क्षेत्रों ने उधार देने के बजाय नकदी राशियां अपने पास रखना उचित समझा। इससे ऋण शर्तों में कड़ाई आई और नकदी के लिए होड़ लग गई। परिणामस्वरूप, अमेरीका और ईसीबी को बाज़ार में हस्तक्षेप करना पड़ा। 9 अगस्त, 2007 को ईसीबी ने 94.8 बिलियन यूरो (129.8 बिलियन यूएस डॉलर) और फेडरल रिजर्व ने 24 बिलियन यूएस डॉलर बाज़ार में उपलब्ध कराए। ईसीबी ने इसके परिचालनों का 'फाइन ट्यूनिंग' के रूप में वर्णन किया।

लेखकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखनेवाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूँजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर सांकेतिक मानदेय देने की व्यवस्था है। कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि:-

- ❖ सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है।
- ❖ उसमें दी गयी जानकारी उपयोगी और अद्यतन है एवं **अधिकतम ४ टांकित पृष्ठों** में है।
- ❖ लेख यदि संभव हो तो फ्लापी में आकृति / एपीएस फांट में भेजने की व्यवस्था की जाए।
- ❖ वह कागज के **एक और स्पष्ट अक्षरों** में **लिखित** अथवा **टांकित** है।
- ❖ यथासंभव सरल और प्रचलित हिन्दी शब्दावली का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिये गये हैं।
- ❖ यह प्रमाणित करें कि लेख **मौलिक** है, प्रकाशन के लिए **अन्यत्र नहीं भेजा गया** है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- ❖ लेख में शामिल **आंकड़ों, तथ्यों आदि** के संबंध में स्रोत का स्पष्ट उल्लेख करें।
- ❖ प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी **अन्य पत्र-पत्रिका** में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

प्रकाशकों से

जो प्रकाशक अपनी पुस्तक की समीक्षा करवाना चाहते हैं
वे कृपया अपनी पुस्तकों की दो प्रतियां भिजवाने की व्यवस्था करें।

पाठकों से

इस पत्रिका को आप **निःशुल्क** प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखित रूप में "कार्यकारी संपादक, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन" से अनुरोध करना होगा। आपका पत्र मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका निरंतर मिलती रहेगी। आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें। पुराने पाठक कृपया पत्राचार करते समय अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख अवश्य करें।